खण्ड-306, अंक-5
शुक्रवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1896
(22 मार्च, 1974 ई0)

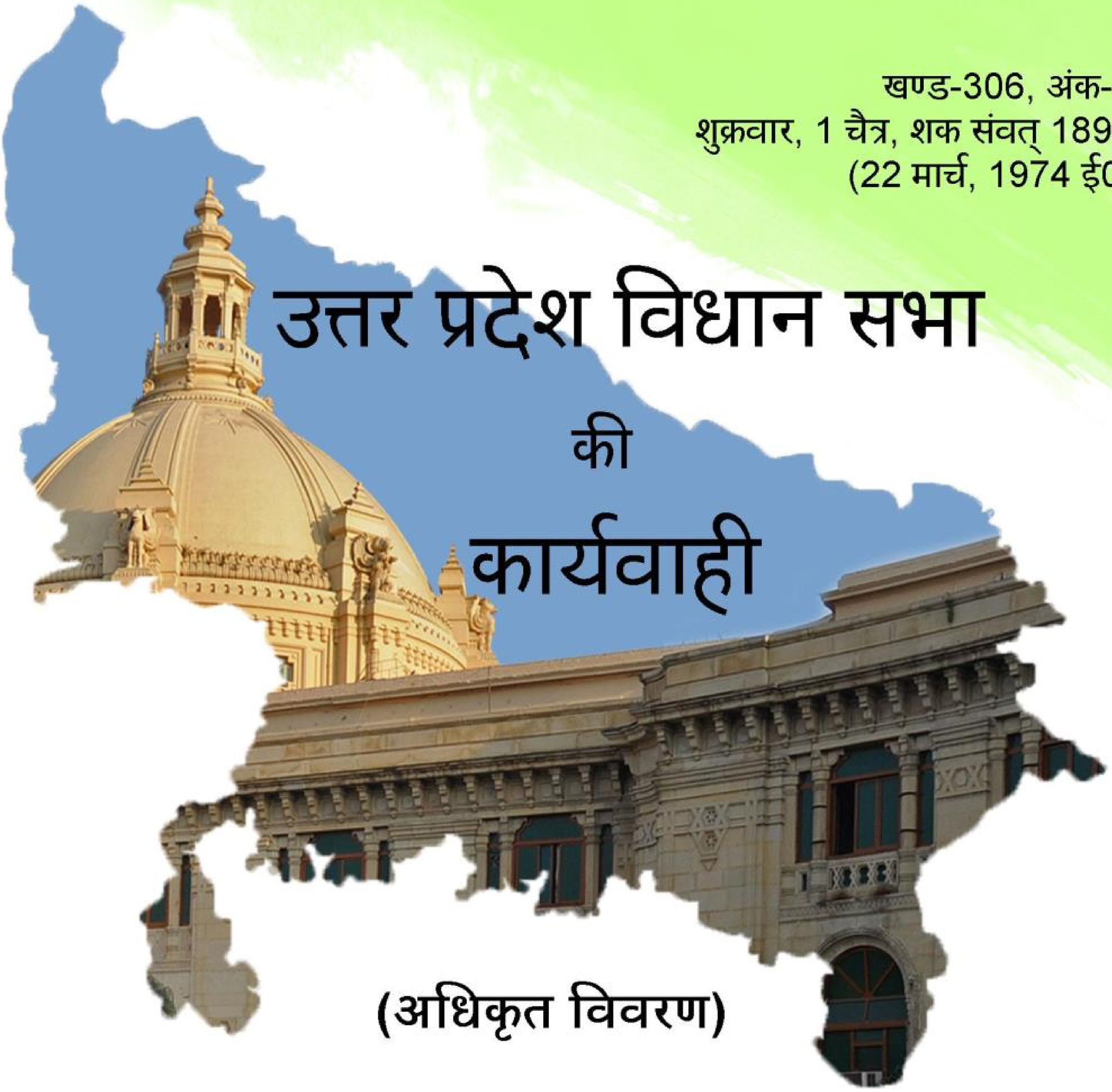

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 306 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार 22 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—394

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देई, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुनाप्रसाद, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री
जुगल किशोर, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ, श्री
दीपनरायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथ राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री

नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यार लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभू दयाल, श्री
प्रम दत्त, श्री
प्रम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांक लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह, विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुंशी लाल, श्री
मुन्नी लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथसिंह श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
रघुनाथ, श्री

रघुनाथसिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जदव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजन्द्र कुमारी बाजपयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती, श्री (जिला वाराणसी)
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमन ब, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रुप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन स्वरूप भटनागर, श्री

वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुलरहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पान्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री (जिला आगरा)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव संपत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सफीकुल रहमान बर्क, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप रानी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खण्डलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 22 मार्च, 1974

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश के मिट्टी के तेल के कोटे में कमी

*1—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को मिलने वाले मिट्टी के तेल के कोटे में अभी हाल में भारी कमी कर दी है? यदि हां, तो क्यों तथा प्रदेश के सभी जिलों में कितना-कितना तल दिय जाने का आदेश प्रदेश की सरकार ने दिया है?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

जी हां । देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बेतहाशा बृद्धि हो जाने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप तथा क्रूड आयल और रिफाइन्ड पेट्रोलियम प्राडक्ट के विश्व व्यापी अभाव के कारण भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को मिलने वाली मिट्टी के तेल के कोटे में भी कमी कर दी है। भारत सरकार ने फरवरी, 1974 के लिये 20,812 मीट्रिक टन मिट्टी के तेल का कोटा आवंटित किया था । तदनुसार प्रत्येक जिले का कोटा आवंटित कर दिया गया है। संबंधित आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 293–294 पर)

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में भारत सरकार ने इस प्रदेश के लिए कितना-कितना कोटा आवंटति किया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से तेल की जो मांग की थी उसके अनुसार देने का आश्वासन दिया गया था 58 हजार मैट्रिक टन, लेकिन वह पूरा नहीं मिल पाया । दिसम्बर म 24,736, जनवरी में 2,2696 मिला तथा फरवरी में 20,812 और मार्च में 21,875 मैट्रिक टन का आवंटन था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि पर्वतीय क्षेत्र में जहां बिजली का साधन नहीं है वहां जो मिट्टी के तेल का कोटा दिया जाता है उसमें वृद्धि करने पर विचार करेंगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्र की तकलीफों को समझती है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि समय पर पर्वतीय क्षेत्र को तेल पहुंच सकें और उपलब्धता के आधार पर कोटे में वृद्धि कर सकें ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिट्टी के तेल की सबसे अधिक आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों को होती है इसलिये वहां मिट्टी का तेल देने की पूरी व्यवस्था करेंगे भले ही शहरी क्षेत्रों को कुछ कम मिले ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

ग्रामीण क्षेत्रों की कठिनाइयों को देखते हुए 19 जनवरी, 74 को एक जी0ओ0 प्रसारित किया गया था जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि 70 प्रतिशत मिट्टी का तेल ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध हो । सरकार पूरी तरह समझती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री एस0 सी0 ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगी कि मिट्टी के तेल की कमी का यह कारण है कि वह डिजल और पेट्रोल में मिलाया जा रहा है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

मिट्टी के तेल की मांग ही ज्यादा है और जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार प्राप्त नहीं होता है इसलिये उसकी कमी है ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या सरकार यह बतलायेगी कि दिसम्बर से फरवरी में कितना कोटा कम मिला और जनवरी-फरवरी में इस प्रदेश में कितनी नई दूकानें सरकार ने खोली?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

जनवरी और फरवरी में नई दुकानें खोली गईं, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि अगर देहात में तेल मिलता भी है तो दो ढाई रुपये लीटर मिलता ह और जब बेचने वालों से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि उनसे इशू करने की जगह पर ही 15, 20 रुपये एक ड्रम पर अधिक से अधिक ले लिये जाते हैं, इसलिये उनका परता नहीं पड़ता है ? अगर मालूम है तो इसके रोकने की क्या व्यवस्था की है?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

मैं इसमें नेता, जनसंघ की मदद चाहूंगी कि वह हमारी मदद करें। सरकार की यह इच्छा नहीं है कि अधिक कीमत पर रिटेलर्स बेचें । मैं चाहती हूं कि सभी दलों के सदस्य इसमें हमारी सहायता करें जिससे कि यह जो भ्रष्टाचार है वह जन सहयोग और जन प्रतिनिधियों की सहायता स दूर हो सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि तेल का जितना कोटा मिलना चाहिये उससे कम मिल रहा है, तो उसको पूरा कराने के लिए उसने भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

इसके लिए बार-बार प्रयत्न किया जा रहा है और मैंने प्रांत की आवश्यकता के बारे में भारत सरकार को बतलाया था । तदनुसार उन्होंने 58 हजार टन की व्यवस्था की बात

कही थी लेकिन जसा कि आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं अन्तरराष्ट्रीय जगत में जो कमी है उसके कारण भारत सरकार हमें चाहते हुए भी नहीं दे सकी । मुख्य मंत्री जी जब दिल्ली जाते हैं और मैं दिल्ली जाती हूं तो कोशिश करते हैं कि हमें मिट्टी का तेल ज्यादा से ज्यादा मिल सके ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश ने अगस्त, 74 तक का कोटा फरवरी, 74 तक ही ही समाप्त कर दिया है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

प्रदेश को 58 हजार मेट्रिक टन मिट्टी का तेल देने का भारत सरकार ने वादा किया था लेकिन आधा भी नहीं दिया । तो क्या इसके लिये भारत सरकार से लिखा पढ़ी की गई कि कम कोटा मिल रहा है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैंने अभी बतलाया कि मैं इसके लिये जो कुछ हो सकता है कर रही हूं । दिल्ली में मंत्री जी से मिलती हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा तेल मिले । इस तरह हम जितना प्रयत्न कर सकते हैं, कर रहे हैं ।

श्री हिम्मत सिंह---

हम लिखा-पढ़ी के बारे में जानना चाहते हैं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय सदस्य यदि लिखा-पढ़ी देखना चाहते हैं तो मैं उन्हें दिखला सकती हूं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय मंत्राणी जी ने कहा कि 70 प्रतिशत तेल देहात में दिया जा रहा है, तो क्या वह बतलायेंगी कि देहात में जो वितरण की व्यवस्था है वह न्याय पंचायत स्तर पर है, ब्लाक स्तर पर है, या तहसील स्तर पर है ? अगर तहसील स्तर पर है तो क्या उसे न्याय पंचायत स्तर पर करने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मेरा प्रयास यह है कि नीचे के स्तर पर वितरण की व्यवस्था हो और वह न्याय पंचायत स्तर से हो । रिटेलर्स की दुकानों का विस्तार किया जावेगा और इसके लिये मैं सदस्यों का सुझाव लूंगी कि कहां है कमी और व्यवस्था की जाय । सदस्य जो भी सुझाव भेजेंगे उसका स्वागत करूंगी और प्रबन्ध करूंगी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्राणी जी को जानकारी है कि बहुत से घर ग्रामीण अंचल में ऐसे हैं जिनमें कार्ड नहीं बने हैं तो क्या उनके लिये प्रकाश की व्यवस्था करने की कृपा की जायगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

19 जनवरी को जो आदेश प्रसारित किये थे उनमें यह भी था कि जिन घरों के कार्ड न बने हों उनको प्रधान की परची पर प्रति माह दो लिटर तेल दे दिया जाय ताकि किसी घर में

अन्धेरा न रहे । हमारी व्यवस्था यह है कि राशन कार्ड पर चीनी, मिट्टी का तेल और मोटा कपड़ा दे दिया जाय और एक व्यवस्थित ढंग से इन चीजों का वितरण हो । यह 19 जनवरी का जी0ओ0 है। लिहाजा हमने सोचा कि अगर कार्ड बनने में कहीं देर हुई हो तो प्रधान की परची पर दो लिटर मिट्टी का तेल दे दिया जाय ताकि वहां प्रकाश की व्यवस्था हो सके । कार्ड की व्यवस्था इसलिये कराई गयी है जिससे जानकारी रहे जितना तेल ग्रामीण अंचल में जाता है वह सही तरीके से लोगों को मिल सके और आगे के लिये भी आबादी तथा आवश्यकता के हिसाब से आवंटन के लिये सही आंकड़े तैयार हो सके । लोगों की कठिनाइयों को मैं समझती हूं और हमारी सरकार इसकी पूरी व्यवस्था करेगी जिससे ग्रामीण अंचलों में, घरों में प्रकाश की व्यवस्था हो सके ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गांव में कोटेदार तेल लाते ही नहीं और अगर लाते हैं तो ब्लैक कर लेते हैं अगर कोई अनपढ़ आदमी आता है चीनी लेने तो उसके कार्ड पर तेल भी लिख देते हैं ? क्या कोई प्रबन्ध ऐसा नहीं है कि जिसमें जांच हो सके अगर दूकानदार चीनी लिख रहा है तो तेल न लिख सके और अगर वह तेल नहीं उठा रहा है तो उसका कोटा कैंसिल कर दिया जाय और वह दूसरे को दे दिया जाय ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ऐसी कोई अनियमितता की सूचना निश्चित रूप से माननीय सदस्य देंगे तो तुरन्त उस पर कार्यवाही की जायगी और उसको सस्पेन्ड किया जायगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने इससे पहले एक प्रश्न किया था कि दो रुपये ढाई रुपये लिटर मिट्टी का तेल बिक रहा है उस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि विरोधी पक्ष के लोग अगर उनकी मदद करें तो वह इसकी व्यवस्था कर सकती हैं यानी सरकार ने अपनी पूरी असमर्थता प्रकट की। मैं यह पुनः पूछना चाहता हूं क्या उनको जानकारी है कि दूकानदार को 20,25 रुपये इश्यु गोडाउन्स पर देने पड़ते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर अलग लेता है इसलिये दूकानदार मजबूर हैं कीमत बढ़ाने के लिये तो इसमें किस प्रकार की सहायता माननीया मंत्री चाहती हैं और क्योंकर वह इसे रोकने में असमर्थ हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय नेता जनसंघ ने जो आक्षेप किया वह मेरा मतलब नहीं था मेरी कोई असमर्थता नहीं है। जहां पर भी भ्रष्टाचार है, जहां पर भी लोग इस तरह से गलत काम करते हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। मैंने कल इस सदन में यह भी निवेदन किया था कि हमने लोगों को गिरफ्तार करवाया है, उनके लाइसेंस रद्द करवाये हैं। सरकार ऐसे तत्वों को रोकने में पूरी तरह से समर्थ है। हमने यह भी निश्चय कर लिया है कि जो भी गलत काम करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे उन्हें डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत पकड़ सकते हैं । यह कर्मचारियों पर, अफसरों पर और कोटेदारों पर भी लागू होता है।

(श्री काशीनाथ मिश्र के कुछ कहने पर कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये ।)

श्री अध्यक्ष—

अगर इस माननीय सदन के सभी माननीय सदस्य किसी विषय में इतनी दिलचस्पी रखते हों तो इसका दूसरा उपचार भी तो हो सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, चर्चा होती है।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

चर्चा के लिये हम सहमत हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

ढाई घंटे की चर्चा इस विषय पर करा दें ।

श्री अध्यक्ष---

आधे घंटे की चर्चा का जो नियम है उसको हम देखेंगे ।

(कई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न कहते हुए खड़े हो गये ।)

मैं हर दल के एक-एक सदस्य को एक-एक सवाल करने का पुनः मौका देता हूं . . (व्यवधान) इस विषय पर इधर के और उधर के माननीय सदस्य बहुत इच्छुक हैं। इसलिये इस पर आधे घंटे की बहस का मौका दिया जायेगा। आप लोग उसमें तैयार होकर आयें ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जो प्रश्न सरकार से किया था जिसमें कि मंत्री जी ने उनकी सहायता की मांग की है उसके उत्तर के संबंध में मंत्री जी उत्तर नहीं दे पाई थीं कि वहां से माननीय काशीनाथ जी ने उत्तर देना शुरू कर दिया । तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के सदन में उपस्थित होते हुए भी कोई सदस्य सरकार की तरफ से उत्तर देने का अधिकारी है ?

श्री अध्यक्ष---

पहले मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपने कैसे समझ लिया कि माननीय काशीनाथ मिश्रा सरकार की तरफ से बोल रहे हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार---

तो फिर वे बोले क्यों ?

श्री अध्यक्ष---

जो प्रश्न आपने किया और जो वे मुझसे चाहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है क्यों कि वह आपकी कल्पना है। किसी कल्पित विषय पर मैं व्यवस्था नहीं दे सकता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर दे दीजियेगा। आप एक वरिष्ट सदस्य हैं । आप नोटिस दे सकते हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, यह नियम है कि जिसका सवाल हो उसे प्रश्न पूछने का मौका दिया जाय । आपने सिर्फ एक बार मौका दिया । प्रश्न के संबंध में मैं बता सकता हूं कि कहां क्या गड़बड़ियां हुई हैं । आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

आपके सवाल के बारे में मुझे जानकारी है। आप केवल सूचना दे रहे हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आपकी इस व्यवस्था पर मुझे बहुत दुख है। इसके विरोध में मैं वाक आउट करता हूं।

(श्री त्रिवेणी सहाय सदन त्याग कर चले गये।)

श्री काशीनाथ मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना मुझे मिली है। सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अन्तर्गत माननीय सदस्य सर्वश्री नियाज हसन, राममूर्ति व शिव प्रसाद गुप्त ने लिख कर भेजा है कि "कल 21-3-74 को श्री काशीनाथ मिश्र ने जानबूझ कर संगठन कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाया है कि श्री के0 के0 बिड़ला संगठन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यह उन्होंने माननीय सदन के सदस्यों को गुमराह करने के लिये किया है। इसलिये हम विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान का प्रश्न उठाते हैं।

इस सम्बन्ध में श्री नियाज हसन खां साहब को क्या कहना है?

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय काशीनाथ मिश्र ने जो इल्जाम हमारे दल पर लगाया है वह बहुत ही गलत है और यह तरीका सही नहीं है। शीशे के घर में रह कर वे दूसरों पर पत्थर मारना चाहते हैं। इस तरह से हाउस का उन्होंने अवमान किया है। ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है। हमारे दल के प्रत्याशी तो श्री दाऊजी गुप्त हैं, फिर किस तरह से उन्होंने कहा कि श्री बिड़ला हमारे दल के उम्मीदवार हैं। उनके ऊपर तो बिड़ला का भूत सवार है, उनका दल बिड़ला के भूत से भी कहीं बढ़ा हुआ है। जब माननीय कमलापति जी राज्य सभा का चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे दल ने बिड़ला या किसी पूंजीपति को नहीं खड़ा किया था। हमारे दल ने तो अपने कार्यालय के एक कर्मचारी को खड़ा किया था जिसे सत्ता कांग्रेस ने अपनी थैली के बल पर बैठा दिया, उसे खरीद लिया और आज श्री काशीनाथ मिश्र यह कहते हैं कि श्री बिड़ला हमारे दल के उम्मीदवार हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि या तो वे अपने शब्दों को वापस लें वरना मैं उनके खिलाफ ब्रीच आज प्रिविलेज की सूचना देता हूं ताकि आप उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करें।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन और माननीय सदस्य जिन्होंने यह लिख कर दिया है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि शायद वे विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली और भारतीय संविधान के खंड 194 से परिचित नहीं हैं। किसी भी आदरणीय सदन के अन्दर और इस विधान सभा के अन्दर भाषण स्वातंत्र्य की अनुमति है। अपनी निश्चित सूचना के आधार पर मैं कहता हूं कि संगठन कांग्रेस के अन्दर मीटिंग हुई और यह बहस हुई और यह तय हुआ कि श्री के0 के0 बिड़ला की मदद की जाय। जो भी मेरी निश्चित सूचना है मेरा कर्त्तव्य है कि उससे मैं सदन को अवगत कराऊं। (व्यवधान) यदि यह बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। संगठन कांग्रेस ने निश्चित रूप से तय किया है। जब हम यह बात कहते हैं तो इससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है। मेरा यह मौलिक अधिकार है और मैंने कहा है और अब भी कहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संगठन कांग्रेस ने निश्चित रूप से तय किया है कि उनकी पार्टी का वोट श्री के0 के0 बिड़ला को दिया जायेगा और अपनी पार्टी से एक फर्जी उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। (व्यवधान) मैं, अपने विश्वास के साथ और निश्चित सूचना के आधार पर यह कहना चाहता हूं। (व्यवधान) (एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक एक साहब बोलें।

*श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन की भी कोई मर्यादा है। माननीय सदस्य ने हाउस में गलत आरोप लगाया है और मिथ्या भाषण किया है। यह ठीक नहीं है। इससे सदन का अवमान होता है। यह कहां से इनको अधिकार मिल गया कि सदन में जो चाहे कहें और मिथ्या भाषण करें। अगर इस प्रकार से माननीय सदस्य सदन में मिथ्या भाषण करेंगे तो सदन का अवमान करेंगे और उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना पड़ेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं एक बात कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। (व्यवधान) (शोर) (कई सदस्य एक साथ बोलने लगे तथा मेजों को थपथपाना शुरू कर दिया।)

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नियाज हसन खां साहब ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि माननीय काशीनाथ मिश्र ने गलत कहा कि श्री कृष्णकुमार बिड़ला संगठन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जबकि कल संगठन कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इसका खंडन किया था। उनकी पार्टी के उम्मीदवार श्री दाऊजी गुप्त हैं तो उनका कहना यह है कि जब उनकी पार्टी के उम्मीदवार राज्य सभा के लिये खड़े हुये हैं तो इस तरह का मिथ्या भाषण उनको नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह सारा देश जानता है कि श्री के0 के0 बिड़ला किसी दल के उम्मीदवार नहीं हैं। यह बात वह खुद कह चुके हैं और उनका बयान भी आ चुका है। वे पैसे के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। इस स्थिति में यह कहना कि वे कांग्रेस संगठन के उम्मीदवार हैं इससे जो कांग्रेस संगठन के यहां माननीय सदस्य हैं उनको मानहानि होती है और उनके ऊपर लांछन आता है। इस तरह का सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं। जब ऐसा सवाल उठता है तो माननीय सदस्य खड़े होकर वापस ले लेते हैं। लेकिन यहां मामला दूसरा उठ गया है और माननीय काशीनाथ जी ने किसी मीटिंग का हवाला दिया है। एक बैठक में निर्णय लिया गया है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन जाने पर उस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि यह सदन की मर्यादा के सन्दर्भ में उचित नहीं होगा। यदि श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा इसे वापस लिया जाये तो मुझे खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष—

जो कल की कार्यवाही थी उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं "संगठन कांग्रेस ने एक प्रस्ताव किया कि हम बिड़ला जी का समर्थन करेंगे। सी0 बी0 गुप्ता से मिलकर श्री के0 के0 बिड़ला ने परचा दाखिल किया है तो कांगो के 10 वोट उनके पक्के हैं।" तो यह कल कहा था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन, मेरे असमंजस्य का पता मेरे साथी ने लगा लिया, लेकिन मैं यह गलती नहीं करूंगा कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाऊं ।

एक सदस्य—

चेहरे से पता चलता है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर एक दूसरे के चेहरे को देखकर निर्णय किए जाते हैं तो यह अच्छा है ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

कल ही नेता संगठन कांग्रेस ने इस सदन में इस तथ्य का खंडन किया था । इस सदन में परम्परा यह रही है कि आरोप और प्रत्यारोप लगाये जाते हैं । पार्टियों की नीतियों के बारे में उनके निर्णयों के बारे में और दूसरी तरफ से उनका खंडन किया जाता है। 2–3 दिन से लगातार यह हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने यह किया बी0 के0 डी0 ने यह किया । अगर ये सारे मामले विशेषाधिकार की अवहेलना के हो जायेंगे तो क्या होगा । ये सारे विशेषाधिकार के प्रश्न हो ही नहीं सकते हैं । विशेषाधिकार का प्रश्न केवल यह हो सकता है कि जहां पर जान-बूझ कर तथ्य मालूम हो और उन्हें छिपाकर गलत बयानी बार-बार की जाये । तब विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। कल जब उन्होंने कहा कि बिरला हमारे उम्मीदवार नहीं हैं । दाऊ जी हमारे उम्मीदवार हैं । बात साफ हो गयी आज । वह दूसरी बात कह गये । आज यह हो सकता है कि उनकी आशा यह थी कि द्वितीय वरीयता उनको दी जा सकती है । अगर ऐसा नहीं है तो मा0 नेता संगठन कांग्रेस यह कहें कि ऐसा नहीं तय हुआ है तो मैं मा0 सदस्य बलिया से कह दूं कि वह अपनी बात स्वीकार कर लें ।

श्री नियाज हसन खां—

जो रवैया माननीय काशीनाथ मिश्र का आज रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इनको यह सूचना कहां से मिली ? क्या वह ख्वाब देख रहे थे जो इस किस्म की सूचना गलत तरीके से दे दी है, इनको इस प्रकार की बात कहने का सदन में अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की पूछताछ सदन में करें । उसमें उन्होंने माननीय गुप्ता जी को भी लपेट लिया है जो कि इस सदन में भी नहीं है जबकि श्री काशीनाथ मिश्र यह बिलकुल जानते हैं कि श्री गुप्ता जी ने ऐसी बात नहीं की है । यह आरोप जो श्री काशीनाथ मिश्र ने इस सदन में लगाया है उसको वापस लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बात अखबारों में आयी थी (व्यवधान).....

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, यह बात कौन से अखबारों में आयी है

(व्यवधान)

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सदन का ध्यान हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स की तरफ खींचना चाहता हूं ···

(व्यवधान)

कई सदस्य--

मान्यवर, ····· (व्यवधान) ····· (शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने यह बात सुनी है कि कांग्रेस संगठन पार्टी में यह बात तय हुई है कि द्वितीय वरीयता उनको दी जायगी ।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, यह साधारण आरोप नहीं है । यह दल के चरित्र की हत्या की बात है । अगर इनको इस प्रकार की छूट दी गई. . . (शोर)

श्री राम सेवक यादव--

श्री काशीनाथ मिश्र ने क्या कहा, किसी ने नहीं सुना । (व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, जबकि माननीय नेता संगठन कांग्रेस ने जो कहा था और उसके बाद हमारे तिवारी जी नेता सदन के कहने पर जब श्री काशीनाथ मिश्र जी ने अपनी बात वापस ले ली है तो इसके और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ····· (व्यवधान) ····· (शोर) माननीय काशीनाथ मिश्र ने यह कहा कि मैं माननीय नेता सदन के कहने पर अपनी बात वापस लेता हूं, उसके बाद अब यह बात और आगे नहीं बढ़नी चाहिये ।

एक सदस्य--

सब ने नहीं सुना ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

क्या कहा है अभी उसको सुना दिया जायगा । अभी मालूम हो जायगा ।

अब दूसरा एक और विशेषाधिकार का है ····

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

श्रीमन्, मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीया सदस्या डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी को माननीय मिश्र जी का वकील बना दिया है । अगर ऐसी बात है तो ठीक है वर्ना समझ में नहीं आता कि जो बात उन्हें कहनी है, वे स्वयं क्यों नहीं कहते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मैं कांग्रेस पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं । नेता सदन की बात मानकर मैंने अपनी बात वापस ले ली है ।

श्री राम सेवक यादव--

श्रीमन्, ये कभी हमारी पार्टी के भी अनुशासित सदस्य थे, अब उनके हो गये हैं । (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक द्वारा वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय शतरुद्ध प्रकाश जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, ने एक पत्र भेजा है जिसे जिलाधिकारी, लखनऊ, श्री रमेश चन्द्र पंत ने मेरे पास भेजते हुए लिखा है कि गिरफ्तारी के बाद इन्होंने आपको सम्बोधित एक प्रार्थना-पत्र दिया है, जिसे मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं। यह पत्र जेल से आया है इसमें लिखा है—

"मान्यवर,

क्षमा करें, इस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं हो पाया। प्रातःकाल अपने कुछ छात्र साथियों सहित एक स्थानीय होटल में, श्री के० के० बिड़ला से, जो कि राज्य सभा के उम्मीदवार हैं, मिलने गया था।

उनकी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में वार्ता हुयी। वार्ता के बाद जब हम लोग लौट रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरे द्वारा अपना विधान सभा का परिचय-पत्र दिखाने के बाद भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया जब कि मैं वहां से सीधे सदन की कार्यवाही में भाग लेने आ रहा था।

मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस के इस जनतांत्रिक कार्य की उम्मीद नहीं थी।

आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही में भाग लेने से मुझे वंचित न किया जाय। उत्तर प्रदेश की सरकार जो समस्त छात्रों को रिहा कर देना चाहिये, ऐसा मेरा विचार है।"

एक दूसरा पत्र भी अधीक्षक, जिला कारागार की मारफत आया है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

जो पत्र आपने पढ़ा यह मजिस्ट्रेट के द्वारा आया है या जेल के द्वारा आया है?

श्री अध्यक्ष—

जो पत्र मैंने अभी पढ़ा था वह श्री रमेश चन्द्र पंत, जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा आया है। उन्होंने इसको अग्रसारित किया है।

दूसरा पत्र जो अधीक्षक, जिला कारागार, द्वारा प्राप्त हुआ है, जो उन्होंने जेल से लिखा है, इस प्रकार है:

"मान्यवर,

दिनांक 20 मार्च को मैं कुछ अन्य छात्रों के साथ स्थानीय "कार्टन होटल" लखनऊ जहां राज्य सभा के उम्मीदवार श्री के० के० बिड़ला ठहरे हुए हैं, गया था। मैंने उनसे कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मगर आपके पीछे उत्तर प्रदेश विधान सभा के किसी भी राजनैतिक दल का समर्थन नहीं है तो आखिर आप चुनाव में किस आधार पर खड़े हुए हैं? मैं इस दृढ़ विश्वास का हूं और देश तथा प्रदेश की जनता का भी यही विश्वास है कि आप केवल पैसे के सहारे विधायकों के वोट खरीदना चाहते हैं। आपका यह कार्य देश की राजनीति में भ्रष्टाचार को तो बढ़ायेगा ही साथ ही जनतंत्र जो मृतप्राय है उसे जहर की अंतिम गोली भी मिल जायगी। प्रजातंत्र एवं स्वच्छ राजनीति और जन-जीवन के लिये आप अपना नामांकन-पत्र वापिस ले लें।

इसके बाद उनसे वार्ता समाप्त हो गयी तथा मैं और विद्यार्थीगण उठ कर कुछ कदम बढ़े ही थे कि पुलिस पहुंच गयी और छात्रों को गिरफ्तार कर लिया।

[श्री अध्यक्ष]

मैंने उनकी गिरफ्तारी का कारण पूछा और पूछा कि क्या आपके पास इनके खिलाफ कोई वारंट है ? तो इस पर श्री इनाम अली, सी0 ओ0, हजरतगंज ने कहा—'न तो मेरे पास कोई वारंट है और न ही मुझे गिरफ्तारी के कारण का पता है। मैं तो ऊपर के आदेश का पालन कर रहा हूं'। मुझसे उन्होंने पूछा ,'आप कौन हैं? आप भी चलिए" । इस पर मैंने उन्हें विधान सभा का अपना परिचय-पत्र दिखाया और कहा कि मुझे विधान सभा जाना है, क्योंकि मैंने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्तुत किया है और उस पर मुझे आज बोलना भी है। परन्तु उन्होंने अकारण मुझे पुलिस मोटर में बैठाकर एक थाने पर पहुंचा दिया। थाने पर एक दंडाधिकारी आये। उन्हें मैंने अपना परिचय-पत्र दिखाया। इस पर उन्होंने कहा कि आपको अकारण पकड़ लिया गया है और मैं स्वयं आपको सदन में पहुंचा दूंगा। इतना कहकर वे दूसरे कमरे में चले गये और जब लौट कर आये तो उन्होंने मुझे सदन में न भेज कर कारागार में भेज दिया और बताया कि मुझ पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 का जुर्म है। मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि यह धारा जमानती है। दंडाधिकारी महोदय को स्वयं जमानत आफर करनी चाहिये थी। विधान सभा का सदस्य होने के नाते मुझे जाती मुचलके पर छोड़ देना चाहिये था। परन्तु उन्होंने सभी मान्य धानिक परम्पराओं तथा व्यवस्थाओं को तोड़ कर मुझे जान बूझकर जेल भेज दिया और अब मुझे जेल से पता चला है कि मेरे ऊपर 188 आई0पी0सी0 के अतिरिक्त अन्य धाराओं का भी आरोप है जोकि निश्चित तौर पर मेरी गिरफ्तारी के बाद ही गढ़ा गया है ।

विश्वस्त सूत्रों से मुझे यह भी जानकारी मिली है कि जो आरोप मुझ पर लगाये गये हैं, वे दिनांक 11 मार्च, 1974 की किसी तथाकथित घटना के आधार पर हैं। मैं 11 मार्च, 1974 को लखनऊ में नहीं वरन वाराणसी में था।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मेरा आपसे अनुरोध है कि जब सत्ता और उसके इशारे पर चलने वाली नौकरशाही इस तरह आरोप गढ़े और बनाये तो किसी तकनीकी बहस में न फंसकर वास्तविकता की कसौटी पर वस्तुस्थिति का अवलोकन हो और मेरे जो विधान सभा के सदस्य के विशेषाधिकार हैं उनका इस मनगढ़ंत और परस्पर विरोधी आरोपों के कारण हनन न हो। आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज आप ही विधान सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की सुरक्षा के संरक्षक हैं।

आपसे पुनः निवेदन है कि मेरी गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है और जो तथ्य मेरी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सदन में रखे गये हैं वे असत्य हैं। यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि थाने पर दंडाधिकारी को मैंने एक पत्र जो आपके नाम लिखा था दिया। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया था कि उस खत को वे आप तक पहुंचा देंगे। मुझे पता नहीं ह खत आप तक पहुंचा या नहीं।

आपसे निवेदन है कि मेरे अधिकारों की रक्षा करें। धन्यवाद।"

इसकी एक प्रतिलिपि उन्होंने माननीय रामसेवक यादव, उपनेता विरोधी दल को भी भेजी है। वह उनको मिली होगी ।

इस पर कल चर्चा हो गयी है। मैंने पढ़ दिया कि वस्तुस्थिति यह है। अब इस पर सदन क्या कर सकता है ? अगर मान लीजिये कि यह सब घटना मान लेते हैं सही है, तो हमारा क्या अधिकार है ?

*श्री राम सेवक यादव—

इस सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि कल माननीय तिवारी जी ने विशेषाधिकार की परम्परा का जिक्र किया, तो वह सही है। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। केवल इतना ही निवेदन करना है कि जब इस तरह के प्रश्न उठे तो एक टेक्नीकी बहस के दायरे से ऊपर उठना है। क्योंकि एक मामला अपने नए ढंग का उठ गया है कि मान लो कोई अधिकारी या अफसर इस तरह से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर सन्दर्भ से अलग काम करके किसी माननीय सदस्य को सदन की सेवा से वंचित कर दे तो हमें क्या करना है—यह एक मौलिक प्रश्न आज उठता है।

क्योंकि जब कोई गिरफ्तार होगा तो कोई न कोई इस तरह से धारायें लगा ही दी जाया करेंगी और इस बारे में तो साफ जाहिर है कि बिड़ला प्रकरम में वह गिरफ्तार हुए और बाद में यह सब बनाया गया। हमारे एक माननीय सदस्य श्री सत्यपाल मलिक भी वहां गये थे। एफिजी जलाने का जो मामला है तो एफिजी इनके सामने जलाई नहीं गयी बल्कि ये तो उल्टा करने के लिए गये थे। श्री शतरुद्ध प्रकाश और श्री सत्यपाल मलिक, ये दोनों गये थे। विद्यार्थियों ने उनसे बात की और उनको कहा कि हम लोगों का प्रदर्शन होने वाला है 19 तारीख को और अगर आप विधान सभा के सामने या कहीं और कोई प्रदर्शन करेंगे तो सरकार को एक मौका मिल जायेगा 19 तारीख के प्रदर्शन को रोकने का और अनुमति न देने का। इतना कहकर वे चले आये। इन लोगों के सामने न कोई प्रदर्शन हुआ न एफिजी जली। यह सब बाद में कराया गया। नहीं तो सत्यपाल जी ने भी भाषण दिया था, अगर कोई ऐसी चीज थी तो आज तक श्री सत्यपाल मलिक को क्यों नहीं पकड़ा गया, वह सदन में आते हैं, उस दिन प्रदर्शन में भी रहे। तो इन सारी चीजों की पृष्ठ भूमि में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या रास्ता निकाला जाय। यह सही है कि मामला अदालत में है, वह निर्णय देगी, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया महज टेक्निकल बहस न कर के जो हालात आज पैदा हो रहे हैं उसमें यह सदन क्या रास्ता निकालता है यह मैं आपके ही सुपुर्द कर रहा हूं और माननीय तिवारी जी से चाहूंगा कि इस तरह के मामले में क्या करेंगे।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न रखा था.....

श्री अध्यक्ष—

वह इससे अलग है। उस पर चर्चा का मौका मिलेगा। एक आप यह कह रहे हैं कि माननीय मन्त्री जी का कथन असत्य था और गुमराह किया गया और सूचना नहीं भेजी गयी। दूसरा यह है कि पत्र प्राप्त हुआ जो मैंने पढ़ा या नहीं। तो दंडाधिकारी की सूचना हमको मिल गयी थी और पत्र भी मिल गया था। आपको बोलने का मौका मैं दूंगा। अगर आप चाहें तो अभी बोलें।

श्री सत्यपाल मलिक—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री शतरुद्ध प्रकाश की गिरफ्तारी के बारे में जो माननीय मन्त्री ने कल बयान दिया मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया गया है और मैं इसलिये बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि अगर इस तरह की परम्परा चलती है तो विरोधी दल के सदस्यों को जब सरकार चाहेगी गिरफ्तार करके, फरजी मुकदमा चला करके उनको बन्द कर सकती है। माननीय मन्त्री जी ने तो कहा कि 18 तारीख को जो विश्वविद्यालय में घटना हुई और जो एफिजी जलायी गयी उसके सिलसिले में श्री शतरुद्ध प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। उस दिन लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ ने हम दोनों को बोलने के लिए बुलाया था। हम लोग ठीक 11 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंचे और छात्रों की उस सभा में शतरुद्ध प्रकाश और मैंने, दोनों ने वही बातें कहीं जो आज जयप्रकाश जी सारे देश में घूम-घूम कर कह रहे हैं। लेकिन शतरुद्ध जी की गिरफ्तारी हो

[श्री सत्यपाल मल्लिक]

जाती है और मेरी या आदरणीय जय प्रकाश नारायण जी की गिरफ्तारी नहीं होती। तो अगर 18 तारीख को किसी घटना में शतरुद्र प्रकाश जी मौजूद थे और उसी दिन मुकदमा दर्ज हुआ तो 19 तारीख को प्रदर्शन में वह रहे, राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने के लिए यहां आये और उसके बाद प्रदर्शन के मंच पर मौजूद रहे। माननीय राजनारायण जी ने कई बार उनका नाम पुकारा लेकिन गिरफ्तार नहीं किये गये। उनकी गिरफ्तारी श्री के0 के0 बिड़ला से मिलने के बाद की गयी। मैं किसी गर जिम्मेदार सदस्य की तरह से सत्तारूढ़ दल के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि सत्तारूढ़ दल उन तमाम नौजवानों को दबाना चाहती है जो राजनैतिक स्वच्छता को तथा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन्होंने कभी माननीय नारायण दत्त तिवारी जैसे लोगों से, जब वे विरोध पक्ष में बैठते थे, प्रेरणा ली थी। मुझे अफसोस है कि आज वे इन तमाम नौजवानों पर मुकदमा चलाना चाहते हैं। जिस आदमी के पास एक भी वोट नहीं है, उस आदमी को रोकने के लिये अगर नौजवान जाते हैं तो उन पर आज झूठे इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, यह कितने अफसोस की बात है।

जो लोग माननीय सदस्य के साथ गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक तो मिर्जा मन्जूर हसन बेग हैं जिनका लखनऊ विश्वविद्यालय की घटनाओं से कोई सम्बन्ध ही नहीं है और उस दिन वे यहां लखनऊ में मौजूद ही नहीं थे। वे तो 19 तारीख को बनारस से प्रदर्शन में यहां हिस्सा लेने के लिए आये हुए थे, लेकिन उनको लखनऊ विश्वविद्यालय की घटनाओं के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी तो बिड़ला साहब को प्रोटेक्शन देने के लिए की गयी है। माननीय वित्त मन्त्री जी को भी तमाम चीजें मालूम थीं। लखनऊ विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र नेता बोले उन्होंने बराबर यह अपील की कि आज आप प्रदर्शन न करें हमारी उम्र के तमाम लोग जो इस सदन में आये हुए हैं, उन्होंने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन दिन जेलों में काटे हैं और कभी आज तक हिंसा नहीं की है। हमने गांधी जी को देखा नहीं था, लेकिन डाक्टर राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं से प्रेरणा लेकर गांधी जी के रास्ते को जाना था और उन्हीं के बताये हुए रास्तों पर हम चल रहे हैं। हमने बराबर अपने नौजवानों से कहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर चल कर ही तथा लोकतांत्रिक तरीकों को अपना कर ही अपना कार्य करें। अपने नौजवानों को सही दिशा देने के बाद अगर हमारे साथ यह व्यवहार होता है तो इस का अर्थ यह होगा कि यह सरकार हमें हिंसा में विश्वास पैदा कराना चाहती है। हमको गलत तरीकों की तरफ ले जाना चाहती है। अगर 18 तारीख की घटनाओं के सम्बन्ध में ही श्री शतरुद्र प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है तो उस दिन तो मैं भी वहां मौजूद था, मुझे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उसका दोषी तो मैं भी था। मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाय अगर उसी दिन की घटना के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया है, उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लिया जाय।

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, सब से पहले तो आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपको एक नयी परम्परा प्रस्थापित करने के लिए बधाई दूं क्योंकि जहां तक मुझे स्मरण है, सम्भवतः पहली या दूसरी बार किसी विधान सभा के सदस्य के पत्र को, जो जेल में हो, इतना महत्व दिया गया हो और पूरे ब्योरे के साथ आपने सदन को सूचित किया हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि विधान सभा के सदस्यों की मर्यादा और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आप कितने तत्पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। इस सदन ने भी आपको इस परम्परा का स्वागत किया है। हमारी तरफ से भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। यह इस बात का सबूत है कि सदन के प्रत्येक सदस्य की मर्यादा सुरक्षित रहे।

मैं माननीय सदस्य, मलिक जी को बधाई देता हूं। उनकी विशेषाधिकार के प्रति शुरू में ही इतनी रुचि हुई। यह उनकी मेडेन-स्पीच रही और यह सदन की परम्परा रही है कि कोई नया आगन्तुक सदस्य जब पहली बार सदन में बोलता है तो चाहे वह कुछ भी कहे, किसी भी भाषा में कहे, यदि वह असंसदीय न हो तो उसे ध्यानपूर्वक सुना जाता है। इसी परम्परा के अनुरूप उनकी मेडेन-स्पीच को सभी ने यहां अच्छी तरह सुना और उन्होंने भी अपनी बात को बहुत अच्छी तरह उपस्थित भी यहां किया। मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि वह गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि यह सरकार खामख्वाह किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। हम लोग तमाम बातें करते रहते हैं, तमाम आलोचना—प्रत्यालोचना करते रहते हैं, किन्तु सारे प्रदेश में शासन का हमको अनुभव और साथ ही आप में से भी बहुतों को अनुभव हुआ है। हमारे सामने बैठे हुए भी कई सदस्यों की समय-समय पर गिरफ्तारियां होती रहती हैं, उससे दुख भी होता है, लेकिन जो शासनतन्त्र कार्य करता है, उसको उसमें वह कार्य करना ही पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है कि खामख्वाह किसी माननीय सदस्य को उसके कर्त्तव्य से वंचित कर दिया हो। मैं तो श्रीमन्, आपसे आग्रह करूंगा कि जो पत्र आपकी सेवा में माननीय सदस्य ने जेल से भेजा है, उसे आप इतनी कृपा कर मेरे पास भेजने का कष्ट करें। साथ ही मैं माननीय सदस्य बड़ौत—श्री मलिक से भी निवेदन करूंगा कि जो जानकारी इस सम्बन्ध में उनके पास है, उसे वह मेरे पास भेज दें। मुझे बिना पूरी तरह घटनाक्रम से सूचित किये हुए वह दोषित न करें कि मैंने कोई अन्याय किया है। मुझे अभी आरोपित न किया जाय, इतना मैं उनसे भी न्याय चाहूंगा।

श्रीमन्, मैं इतना अवश्य आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे पूरे तथ्यों की आप जानकारी कर लेने दें। जहां तक मेरी सूचना है यह निश्चित सूचना है कि केवल 18 मार्च को विश्वविद्यालय में हुई घटना और वहीं पर की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य बनारस—श्री शतरुद्र प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं दुबारा और तिबारा यहां पर दोहराना चाहता हूं कि श्री के0 के0 बिड़ला की राज्य सभा की सदस्यता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो उपनेता, भारतीय क्रांति दल की चिन्ता है कि शतरुद्र प्रकाश जी हमारे विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए शीघ्र यहां प्रस्तुत हों, मैं समझता हूं कि उनकी यह चिन्ता मान्य है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी से परामर्श करके आज शाम तक इसका निर्णय ले लूंगा, जिससे हमारे सदस्य बनारस—श्री शतरुद्र प्रकाश इस सदन की कार्यवाही में यहां आकर भाग ले सकें।

श्री रामसेवक यादव—

माननीय नेता सदन ने जो अभी कहा कि सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार नहीं किया जायगा...

श्री नारायण दत्त तिवारी—

केवल 'नहीं किया गया'।

श्री रामसेवक यादव—

तो इसमें कोई धन्यवाद की जरूरत नहीं है। यह तो ठीक ही आपने किया है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जो 18 तारीख की घटना है, जिसमें माननीय शतरुद्ध प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है, उसमें कुछ और लोगों को भी क्या गिरफ्तार किया जाना है—जो सदन के मेम्बर हैं अथवा नहीं हैं, जो इस सम्बन्ध में एफ० आई० आर० वगैरह हैं, क्या उसको सदन के पटल पर रखा जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

'करण' 207 में है कि—"सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायगी, उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा। यदि किसी शासकीय अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मन्त्री द्वारा ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मन्त्री सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे।" इस परिवेश में मान लीजिए सदन के दोनों पक्षों की तरफ से कोई बात माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी और कुछ सन्देह जरूर व्यक्त किया गया, तो सारे जो पत्र हैं मैं माननीय नेता सदन को भेज दूंगा और सदन की इस अपेक्षा को भी व्यक्त करता हूं कि सदन इस पर चिंतित है। वास्तविक स्थिति क्या है उसकी जांच कर लेंगे और जांच के उपरान्त जो नेता सदन, नेता विरोधी दल सदन के मामलों में कार्यवाही करते हैं, उसकी सूचना आपको दे दी जायगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह विषय समाप्त हो गया, मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने विशेषाधिकार के बारे में कह दिया था लेकिन आज चिट्ठी है। जेल से कोई दुखी आदमी आवेदन-पत्र करता है अध्यक्ष को तो उस पर हम लोग याचिका समिति में विचार करते हैं। जेल से कोई माननीय सदस्य दुख की बात कहता है तो उसको सुनना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि शासन का ध्यान आकृष्ट हो।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बात तो समाप्त हो गयी। इसी से सम्बन्धित एक बात आपके द्वारा माननीय नेता सदन से निवेदन करना चाहता हूं। जैसे माननीय सदस्य गिरफ्तार हो गए और इस वक्त जेल में हैं, वैसे ही इस समय ब्रजेश कुमार भी जेल में हैं। आपने 25 तारीख को इसलिए छुट्टी की है ताकि जिन्होंने चुनाव लड़ा है अपना रिटर्न फाइल कर सकें। ब्रजेश कुमार जी ने चुनाव लड़ा है। उनको भी रिटर्न फाइल करना है। केस अभी ट्रायल कोर्ट में नहीं गया वह ऐसी स्थिति में नहीं आया है कि सब-जुडिस हो। तो मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा लगता है कि केस बड़ा ट्राइफलिंग और टेक्निकल है। अगर नेता सदन राजी हों तो इस स्थिति पर केस समाप्त कर दिया जाय और अगर इस पर किसी तरह से राजी न हों उनको छुट्टी दी जाय कि अपना रिटर्न 25 तारीख को फाइल कर सकें अगर वह रिटर्न फाइल न कर पायें तो वह मुख्य मन्त्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वह फिर चुनाव न लड़ पायें, मैं समझता हूं कि यह भावना नहीं होगी। इसके संरक्षण के लिए आप कोई स्टेप लें।

---

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि दोनों का जवाब दे दें, जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं, उन्होंने सत्याग्रह नहीं किया, जिन विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ दें तो बड़ी कृपा होगी और जब तक न छोड़ें तब तक उच्च श्रेणी दें तो अच्छा होगा। यह परम्परा के अनुसार होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सम्मानित नेता जन संघ ने इस प्रश्न के दूसरे पहलू की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मैं उनका आभारी हूं। इस पर भी आज ही विचार किया जायगा। जो उच्च श्रेणी के बारे में उन्होंने कहा है मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मेरी अपेक्षा है कि उच्च श्रेणी मिली होगी। नहीं मिली है तो उच्च श्रेणी दी जायगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसकी भी व्यवस्था कर दें कि रिटर्न फाइल कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने बतलाया कि आज विचार होगा।

श्री अध्यक्ष—

जो विशेषाधिकार का मामला सदन के सामने था, वह समाप्त हो गया।

अधिष्ठाता मंडल में नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय श्री पाल सिंह को अधिष्ठाता मंडल में नाम निर्दिष्ट करता हूं।

विविध विषय

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के सम्बन्ध में अभी जो प्रदेश में जिला परिषद् के चुनाव होने जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में एक वैधानिक आपत्ति है···

श्री अध्यक्ष—

इसको आप लिख कर दें। अब हम आगे चलेंगे। अगर आप समझते हैं कि किसी संवैधानिक पक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट करना अभिप्रेत है तो लिखित दें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैंने लिखकर दे दिया है। आप दो मिनट जरा सुन लें। विधान परिषद् के चुनाव होने जा रहे हैं। समाचार-पत्रों में ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि लोकल पार्टीज के माध्यम से भी विधान परिषद् के सदस्य चुने जायेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कान्स्टीच्यूएशन की धारा····

श्री अध्यक्ष—

ऐसे सवाल तो आप लिखकर दें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैंने लिखकर दे दिया है। आप कृपा करके 2 मिनट सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष—

आप 10 मिनट लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन हो सकता है कि आपका प्रश्न बहुत मूल्यवान हो और संवैधानिक प्रश्न हो । इसलिये आप लिखकर दें ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैंने लिखकर दे दिया है, आप सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास अभी पंहुचा नहीं है । आपका प्रश्न ऐसा अविलम्बनीय नहीं है कि हम सारा काम छोड़कर अभी तुरन्त इसको देखें । हमारे कार्यालय को भी नोटिस की जरूरत होती है । आप 26 तारीख को ही उठायें तभी उचित होगा और अगर वह प्रश्न उठने लायक होगा तो अवश्य समय दिया जायेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल से छुट्टी रहेगी 23,24 और 25 । मुझे एक चीज के बारे में सदन को सूचना देनी है कि 3 से 9 तक मेरी संस्था का अधिवेशन है । इस सदन की यह परम्परा रही है कि अगर किसी दल का कोई अधिवेशन होता है, या महत्वपूर्ण बैठक होती है तो यह सदन इसका ख्याल रखता है और उस अवसर पर सदन की बैठकें नहीं होती हैं । अतः मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर देना चाहता हूं कि 3 से 9 तक यह कार्यक्रम रहेगा और इसका ध्यान रखा जाय तथा इसी के अनुसार एडजस्ट किया जाय ।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो कार्य सूची मिलती है वह हम लोगों को यहां आकर मिलती है, तभी हम लोग देख पाते हैं । मैं विधान सभा में नया सदस्य चुनकर आया हूं और इससे मुझे काफी असुविधा होती है । मैं प्रार्थना करूंगा कि कार्य-सूची हम लोगों को 7 1/2 बजे तक अवश्य मिल जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

सुझाव उचित है और उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित नेता जनसंघ दल को विश्वास दिलाता हूं कि जो परम्परा इस सदन की पहले से रही है, उसका पूरा अनुपालन किया जायेगा । यह अवश्य परम्परा रही है कि अगर किसी दल का अखिल भारतीय या प्रादेशिक अधिवेशन होता है तो सदन का कार्यक्रम तदनुसार ही किया जाता है । हमने जो कार्यक्रम रखे हैं उसमें जो विधेयक हैं, ऐसा नहीं है कि जिसमें अधिक समय लेंगे । मैं समझता हूं कि उनके सहयोग से हम सदन के कार्य को इसी माह में खत्म कर सकेंगे और यह पूरी अपेक्षा है कि किसी भी हालत में उनका जो अधिवेशन है वह एडजस्ट हो जायगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जो माननीय नेता सदन ने विचार व्यक्त किये हैं उससे मुझे एक प्रकार का भय है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर देना चाहता हूं । मैंने कार्यसूची देखी नहीं है लेकिन जो विधेयक और अध्यादेश आने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । तो कहीं ऐसा न हो कि इस विचार से कि हमको एडजस्ट करना है और वह हमारा सहयोग मांग रहे हैं इसलिये एक दिन में ही रश-अप कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं भी रहूंगा और आप भी रहेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 1974

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करती हूं ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 295–298 पर)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1974

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 299–300 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक सूचना श्री सत्य प्रकाश मालवीय से इलाहाबाद में बिजली के अभाव से उत्पन्न समस्याओं के बारे में प्राप्त हुई है और दूसरी सूचना सर्वश्री सूबेदार प्रसाद, ओम प्रकाश सिंह और आशाराम यादवेश से मिर्जापुर में भीषण सूखा के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के विषय में प्राप्त हुई है । ये दोनों नियम 56 में अस्वीकृत कर दी गयी हैं । पहली नियम 52 के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुकी है और चर्चा होगी । दूसरे पर वक्तव्य होगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

नार्दर्न इंडिया पत्रिका में बिजली के संकट के बारे में प्रकाशित हुआ है । इलाहाबाद में तीन दिन बिजली फेल हो जाने से पानी का अभाव हो गया है । लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है और अस्पतालों में मरीजों का आपरेशन न होने के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं फौरन इसको सरकार को भेज रहा हूं । इस पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा होगी ।

सदस्यों को आवास के आवंटन के सम्बन्ध में शिकायत

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यहां जो नये सदस्य आये हैं और खास तौर से विरोधी पार्टी के, उनको मकान एलाट नहीं किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा सवाल उठाया । 51 में एक माननीय सदस्य ने नोटिस भी दिया है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है । आपका जो प्रश्न है इसको भी उसी में सम्मिलित कर लूंगा ।

श्री हर प्रताप सिंह—

मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात तब सुनेंगे जब शासन की ओर से कुछ आ जाय कि यह व्यवस्था है । पर्याप्त व्यवस्था है या अपर्याप्त व्यवस्था है । उसी समय आप अपनी राय से लाभान्वित करायें ।

श्री हर प्रताप सिंह—

जिस मकान में मैं रहता था वह मकान दूसरे को दे दिया गया । मेरा सामान निकाला जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

यह सदन इस पर ध्यान नहीं देगा । आप हमें लिख कर देंगे तो उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

इनका सामान निकाला जा रहा है..

श्री अध्यक्ष—

कुछ माननीय सदस्य शायद पहली बार आये हैं और शायद उनको मालूम न हो । विधायकों का आवास का जो आवंटन होता है उसम कई बार कई विधायक जोर का इस्तमाल करते हैं । जब मैं उपाध्यक्ष था तो मेरे कमरे पर भी लोग कब्जा कर लते थे । थोड़ी सी एक दूसरे के प्रति उदारता रखनी पड़ती है । आपका आवास किसी ने लिया है तो किसी माननीय सदस्य ने ही लिया है । किसी बाहरी आदमी ने कब्जा नहीं किया है ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

वहीं-कहीं बाहर के लोगों ने भी कब्जा किया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मैंने मुख्य मंत्री जी और श्री राज मंगल पांडेय के आवंटन के बारे में खत लिखा था लेकिन आजतक जवाब नहीं आया है। जब सदस्य कब्जा कर लेते हैं तो अलाटमन्ट कर दिया जाता है तो क्या हम लोग सड़कों पर जांय या क्या करें ? इसका इंतजाम किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आपकी भावनाओं से मैं अवगत हूं। कई माननीय सदस्यों ने लिखा था इसलिये वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया गया है। पहली बार इस मामले पर वक्तव्य देने की इजाजत मैंने दी है। हम चाहते हैं कि आपको जो कष्ट है उसका निवारण हो सके।

श्री हर प्रताप सिंह---

हमारा सामान फेंका जा रहा है, तो उसके लिये कुछ किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

क्या सदन कोई प्रस्ताव पास करें या क्या करें ? इस सम्बन्ध में आप लिखकर दें दें तो मैं देख लूंगा। यह सदस्यों का आपसी मामला है। इसके बारे में कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इस पर बहस नहीं हो सकती है।

श्री हर प्रताप सिंह---

हमारी बात सुन ली जाय। मैं 3 बजे गया तो कहा कि 4 बजे आर्डर करूंगा। 4 बजे दूसरे को अलाट कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष---

जब वक्तव्य हो तो आप अपनी बात कहिये।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव---(क्रमागत)†

*श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)---

जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया और उसको जिताकर सरकार बनाने के लिये भेजा।

श्री अध्यक्ष---

कल 5 मिनट के लिये बात हुई थी।

श्री राम लाल राही---

मैं बहुत कम समय लूंगा। तो इस चुनाव का नाम लेकर कहा जा रहा है कि गड़बड़ी की गई, सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया, जाली मत-पत्र छपाये गये। इन सब चीजों का नाम लेकर हमारे चौधरी साहब ने अपनी कुर्सी की हवस जो उनको थी उसका इजहार किया है। वह इस सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के नेता के रूप में आये हैं और विरोधी पक्ष की मान्यता होती है कि सरकारी पक्ष क्या करने जा रहा है और कौन-कौन से विकास के काम जनता के हित के लिये करने जा रहा है, कहां गलती हो रही है, उसको बतलावें ताकि सरकार ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनसेवा कर सके। लेकिन मैंने देखा कि उनके भाषण में अलावा इसके कि चुनाव में गड़बड़ी हुई और कुछ नहीं है। उनको कुर्सी नहीं मिली सिवा इसके कोई दूसरी चीज उनके भाषण में नहीं आई है। मान्यवर, मुझे खेद है कि वह विरोधी दल के एक

---

† 21 मार्च, 1974 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम लाल राही]

बड़े नेता के रूप में यहां बैठे हैं लेकिन विरोधी दल की जो जनता के लिये भावनायें होती हैं उनको वह व्यक्त नहीं करना चाहते हैं । जनता की आवश्यकताओं को व्यक्त करके केवल अपनी कुर्सी की बात वह करना चाहते थे इसके लिये मुझे बड़ा खेद है ।

कल एक माननीय सदस्य ने उनके तत्काल पहले जो दल बदल कर विरोधी पक्ष में जा कर बैठे थे उनके मुख्य मंत्रित्वकाल का जिक्र किया । उनके पूरे 10 साल के कार्यक्रम का इतिहास जनता के सामने है । कुछ योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ने बहुत सी योजनाओं का उद्घाटन किया और उसके कारण चुनाव पर असर पड़ा, कांग्रेस चुनाव जीत गयी । यह बात सही है कि योजनाओं की आधार शिला रखी गयी लेकिन क्या चौधरी साहब चाहते हैं कि इस प्रदेश के विकास के लिये यहां पर योजनायें न चलाई जांय । खाद, चीनी, सीमेंट, मिट्टी के तेल तथा बुनकरों को देने के लिये सूत की कमी है तो क्या इस कमी को दूर करने का प्रयास न किया जाय । अगर वह ऐसा चाहते हैं तो जब वह मुख्य मंत्री हो जायेंगे तो विकास के कार्यों को रोक देंगे । आज तो जनता का विश्वास कांग्रेस पर है, जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार अगर इस प्रदेश में रहेगी तो वह गरीब जनता के विकास तथा उत्थान के लिये प्रयास करेगी और आवश्यक वस्तुओं की कमी जो प्रदेश भर में है उसे भी दूर करने का प्रयास करेगी । मैं सरकार से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह सरकार गरीब के वोट पर बनी है, शोषित समाज के वोट पर बनी है, हरिजनों का वोट प्राप्त करके बनी है तो उनको उठाने का भी भरसक प्रयत्न करेगी । पिछले 25 साल के कार्यकाल में क्या किया गया मैं उसे नहीं कहना चाहता । मैं यह जरूर कहूंगा कि गरीब लोगों को उठाने के लिए ऐसी योजनाओं को लाने के प्रयास में उनको कार्यान्वित करने के प्रयास में आप हिचकिचाते रहे। पिछले साल लैंड सीलिंग का प्रश्न आया तो हमने देखा कि थोड़ी सी हिचकिचाहट रही । चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का जब प्रश्न आया तो हमने देखा कि हिचकिचाहट रही और आज भी वह विद्यमान है । जब अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग का प्रश्न आया जिससे गरीबों की कुछ मदद हो सकती थी और गरीब तथा अमीर में जो असमानता है प्रदेश में वह कुछ हद तक कम हो सकती है तो उसे लाने में हिचकिचाहट रही । मुझे आशा है अब यह सरकार इन कार्यों को करने में प्राथमिकता देगी । अगर हमने प्राथमिकता नहीं दी, हमने गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया अनिवार्य रूप से देने, हमने शिक्षा के लिये प्रयास नहीं किया तो निश्चित जानिये भले ही 5 साल तक आप कुर्सी पर बने रहें लेकिन 5 साल के बाद फिर वही जनता आपके प्रति अपना असंतोष प्रकट करेगी । (व्यवधान) इसलिये मुझे पूर्ण आशा है कि आप जनता की इच्छा के अनुरूप चल कर इस प्रदेश में हुकूमत करेंगे, शोषित, गरीब तथा पीड़ित जनता की भलाई के लिये आप कानून बनायेंगे और उनकी मुसीबतों को दूर करने का प्रयास करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं श्री यादवेन्द्र सिंह के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री सोहन लाल (जिला रामपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि जो उद्घाटन हुये हैं वे सही हैं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि रामपुर में रामपुर-हल्दवानी लाइन जिसका इन्द्रा जी ने उद्घाटन किया था उसका कोई जिक्र गवर्नर साहब के अभिभाषण में नहीं है ।

गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में शाहदरा और सहारनपुर का जिक्र जरूर किया है लेकिन रामपुर की रेलवे लाइन जो हल्द्वानी तक बनायी जाने वाली है उसका कोई जिक्र नहीं किया है । मैं यह समझ रहा था कि इलेक्शन के बाद उस रेल लाइन का उद्घाटन होगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उसका अभिभाषण में अवश्य तजकिरा होगा लेकिन वह नहीं आया । इसे आप अवश्य नोट कर लें ।

*श्री ओम प्रकाश (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । खास तौर से इस अभिभाषण में जो एक अंश है उसकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें महामहिम राज्यपाल ने यह जिक्र किया है कि सरकार अपने कई निगमों द्वारा छोटे और मझोल उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और उन्हें सस्ती दरों पर कर्जे व जमीन वगैरह की सुविधा दे रही है । श्रीमन्, मैं उस शहर से आता हूं जिसको एक जमाने में सितारहिन्द कहा जाता था । आजादी के 26 सालों में जौनपुर बहुत ही पिछड़ा रहा है । आप जानते ही होंगे कि तीसरी लोक सभा में गाजीपुर के एक सम्मानित सदस्य गहमरी जी की व्यथा से पीड़ित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटेल आयोग का गठन किया था और उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो सबसे गरीब जिले थे उनका अध्ययन इस कमीशन ने किया था । इस पटेल कमीशन ने जो चार जिले चुने थे उसमें जौनपुर भी एक जिला था । हम लोग बहुत दिनों से यह आशा कर रहे थे कि इस पिछड़े इलाके की तरक्की के लिये कुछ काम होगा किन्तु कुछ भी काम नहीं हुआ । इससे बड़ी निराशा लोगों में फैल गई । खुद हमारे क्षेत्र म हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो सिंगापुर, मलाया, वर्मा और हागकांग जैसी जगहों पर बेकारी की वजह से चले गये । मैं जब खुद चुनाव लड़ रहा था तो मैंने कहा था कि अगर मैं चुना गया तो आने वाले पांच सालों में मैं ये-ये प्रयास करूंगा, जो हमारे क्षेत्र में बेकारी है उसे दूर करूंगा तथा इस क्षेत्र में उद्योग धन्धों की स्थापना की जायेगी । मुझे बड़ी खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने अपन अभिभाषण में उद्योगीकरण के द्वारा इस समस्या को हल करने की बात कही है और सरकार ने उस हेतु कदम भी उठाय हैं । मथुरा तथा दूसरी जगहों में जो बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं उसी प्रकार से मुझे उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में भी इसी तरह के कदम उठायें जायेंगे और उस पिछड़े क्षेत्र की समस्याओं को हल करने की दिशा में सरकार ध्यान देगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब से इस सदन में आया बडे ध्यान से नेताओं की बात को सुनता रहा । इस सदन म आने का मेरा पहला मौका है लेकिन एक लम्बे अर्से से दर्शक दीर्घाओं में बैठकर पंत जी, सम्पूर्णानन्द जी, चन्द्रभानु जी गुप्त तथा दूसरे नेताओं को तथा उनके मुकाबले में त्रिलोकी सिंह जी गेन्दासिंह जी तथा दूसरे विरोध पक्ष के नेताओं के नेतृत्व में इस सदन की कार्यवाही में दर्शन दीर्घाओं से देखता रहा हूं । जिस दिन राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ और जो दृश्य मैंने देखा श्रीमन्, मैं आपसे बतलाऊं कि मैं एक राजनीति का विद्यार्थी हूं और संसदीय परम्पराओं का मैंने स्वयं अध्ययन किया है । मैं जानता हूं कि जिस तरह का दृश्य यहां उपस्थित किया गया, मुझे याद हो आया--पाकिस्तान में फौजी तानाशाही होने से पूर्व पूर्वी बंगाल में जिस तरह से स्पीकर के घेराव करके, बन्द के करके मारा गया, वही दृश्य मुझे याद आया । मैं तो महामहिम राज्यपाल को विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा कि अपने अभिभाषण के दिन उन्होंने जिस तरह का प्रजातांत्रिक धैर्य दिलाया वह मैं समझता हूं कि हमारे संसदीय इतिहास में एक अभूतपूर्व चीज है । मुझे दुख है कि हमारे मित्र जो उधर बैठे हुए हैं उन्होंने उस रोज लकड़ी तक चलायी और उनके ऊपर फेंकी ।

श्रीमन्, मुझे अफसोस होता है कि हम लोग जो इस सदन में आये हैं, वह यह समझ कर आये हैं--चाहे विरोधी पक्ष के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, अपनी अपनी इच्छा से पूरे प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ओम प्रकाश]

की जनता की तरक्की के लिये कुछ काम करेंगे। मेरे बहुत से माननीय मित्र जो उधर बैठे हुये हैं, उनमें से कई समाजवादी मित्र हैं जिनके साथ मुझे बीसों साल तक काम करने का मौका मिला है। मैं जानता हूं कि उनके हृदय में भी वही इच्छा है जो हमारे हृदय में है। आज हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, हमारे विचार कुछ दूसरे हो सकते हैं, हम किसी काम को कांग्रेस के माध्यम से करना चाहते हैं जबकि वे समझते हैं कि कांग्रेस के माध्यम से यह काम नहीं हो सकता लेकिन फिर भी कुछ प्रजातांत्रिक मान्यतायें हैं जो अगर नहीं रहतीं तो कोई सरकार भी नहीं चल सकती। जितने भी लोग हैं चाहे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों, सब को उस दिन यह दृश्य दिखलायी देने लगा था कि आज देश किस तरफ जा रहा है। मैं यहीं से बैठ कर श्री राजनारायण सिंह का भाषण सुन रहा था। चौधरी चरण सिंह जी भी वहां विराजमान थे। जहां सदन में इस तरह से हिंसा की बात हो, मुझे तो उस दिन चौधरी चरण सिंह जी के भाषण को सुनकर भी बड़ी तकलीफ हुई और मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ईसा मसीह ने कहा है—"दोज हू लिव बाई स्वोर्ड, दे विल बी पेरिश्ड बाई स्वोर्ड। मैं चौधरी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जो तलवार के भरोसे जिन्दा रहते हैं, जो हिंसा के भरोसे शासन सत्ता चलाने की बात सोचते हैं वे हिंसा से ही समाप्त होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस तरह से राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया है उनको निराशा ही हाथ लगेगी।

मैं माननीय चौधरी चरण सिंह और अपने दूसरे दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री महामाया प्रसाद सिंह जब विरोध पक्ष में थे तब उन्होंने बिहार के छात्रों के लिये कहा था कि तुम लोग मेरे जिगर के टुकड़े हो। लेकिन जब वे मुख्य मंत्री हो गये तो उन्हीं जिगर के टुकड़ों ने उनकी वह हालत और दुर्दशा कर दी कि अन्ततोगत्वा श्री महामाया प्रसाद सिंह को मुख्य मंत्री के पद से इस्तीफा देकर अलग हो जाना पड़ा। मैं माननीय चौधरी चरण सिंह और अपने दूसरे दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप कृपा करके उन्हीं रास्तों पर चलने की कोशिश न करें। अगर आप उसी रास्ते पर चलेंगे तो आपका भी वही होगा जो श्री महामाया प्रसाद सिंह का हुआ था।

मान्यवर, मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो यह गठबन्धन हुआ है वह कुछ इस तरह से हुआ है कि चौधरी चरण सिंह जो समाजवाद के विरोधी हैं उनके बगल में ही श्री रामसेवक यादव जैसे समाजवादी बैठे हुए हैं जिसे देख कर मुझे तकलीफ होती है। चौधरी चरण सिंह एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं कि समाजवाद में उनकी आस्था नहीं है, फिर मुझे वह देखकर तकलीफ होती है कि जिन लोगों ने तीसों साल तक समाजवाद के लिये काम किया है वे केवल सत्ता के मोह में उनकी बगल में बैठे हुये हैं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इस पर भी वे जरा विचार कर लें कि वे किसलिये यहां आये हैं। अभी मैं विधान सभा में नया आया हूं, पहले नहीं था लेकिन आप लोग जो यहां पहले से हैं वह इन परम्पराओं को स्थापित करने की कृपा करें जिससे जो नये लोग हैं वे शिक्षा ले सकें। जैसे कि माननीय नारायणदत्त जी यहां एक विरोधी दल के नेता की हैसियत से आये थे और मैं जानता हूं कि कितनी ही बार उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से इस सदन में लोगों को निरुत्तर कर दिया था। पार्लियामेंटरी तरीका यही होता है लेकिन उस दिन मैंने देखा कि बहुत से विरोधी दल के भाई राज्यपाल की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे और मैं नहीं समझता था कि यहां पर इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ेगा। इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं। जब भी मौका आये तो मैं आप से केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आगे कार्यवाही में यदि आप लोग इस पक्ष को अपनी बुद्धिमत्ता से निरुत्तर कर देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इन शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, जब मैंने राज्यपाल महोदय के सम्बोधन को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हाई स्कूल के विद्यार्थी ने निबंध लिखा हो वह कहते हैं कि "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।" इसमें शायरी भी है और कीर्तन भी है लेकिन उन पर उनका कोई अमल नहीं है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी (जिला लखनऊ)—

आपके ख्याल में इन शब्दों में बुराई क्या है ?

श्री रामसेवक यादव—

इसमें गांधी जी के पुतले की स्तुति की गई। ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यदि ये शब्द उनके यहां न लिखे जाते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि गांधी जी सत्य, सादगी और सदाचार के प्रतीक थे तथा भोग, विलास और शान शौकत के विरुद्ध थे। हम देखते हैं कि राज शाही की परम्परा है, लाल दरी बिछाने की वही किया गया और उधर गांधी जी का कीर्तन भी रखा। बराबर सांमती परम्परा बनाये हुये है और खर्चा अनाप शनाप करते हैं और शान शौकत के साथ रह रहे हैं।

इस सम्बोधन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका सत्य और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कई सदस्यों ने उपदेश दिया कि लोक तंत्र में, लोकशाही में एक व्यवहार होना चाहिये हम लोगों का कि सदन में कैसे काम करें। सदन में और सदन के बाहर कोई रिश्ता चलेगा या नहीं। अगर कोई रिश्ता चलेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि जनतंत्र की पहली कसौटी है कि जो लोग सत्ता में हैं वे सत्ता से हर समय हटने के लिये तैयार रहें। लेकिन यहां सत्तारूढ़ दल ने तय कर लिया है कि कुछ भी करना पड़े, कानून तोड़ना पड़े, मर्यादा का अतिक्रमण करना पड़े तो करेंगे लेकिन सत्ता नहीं छोड़ेंगे और हमें उपदेश दिया जा रहा है लोकतंत्र का।

अभी बात की गई कि जो विघटित विधान सभा थी उसमें इनकी संख्या शायद 277 थी। यदि गलत होऊं तो माननीय तिवारी जी मुझे सही कर दें।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

272 थी।

श्री रामसेवक यादव—

लेकिन जब माननीय चरण सिंह और टी० एन० सिंह की सरकार खत्म हुई तो कांग्रेस की संख्या क्या थी ? और बाद में क्या हो गयी। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा गया कि जब वे आपका नेतृत्व करते हैं तो समाजवादी हो जाते हैं और जब विरोधी दल का नेतृत्व करते हैं तो फिर वह बुरे हो जाते हैं। हमसे कहा जाता है कि आप उनके साथ हैं आपने उनका नेतृत्व कैसे कबूल किया। तो खैर जो कुछ बाहर घटता है उसका प्रतिबिम्ब यहां होगा।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को तो इस लायक बनाना होगा जिससे सदन की इज्जत को वह हासिल कर सकें। राज्यपाल को तो निष्पक्ष होना चाहिये। मैं कहता हूं कि राज्यपाल चुनावी राज्यपाल थे। हमारे जो अम्मार रिजवी साहेब हैं उनका दिल जानता होगा कि उन्होंने कैसे चुनाव जीता। क्या यह सही नहीं है कि चुनाव का जब कार्य जारी हो गया तो उन्होंने जगह जगह पर समारोहों में भाग लिया। राज्यपाल महोदय को चाहिये था कि उस समय अपने कार्यक्रम को रद्द कर देते और अपने राजप्रासाद में रहते ताकि उनकी मर्यादा पर लांछन न लगे। 24 जनवरी को राज्यपाल महोदय एक विद्यालय के समारोह के सम्बन्ध में

[श्री राम सेवक यादव]

गये जो अम्मार रिजवी साहेब से सम्बन्धित था। बरेली में वे बिना कार्यक्रम के गये। जब राष्ट्रपति शासन था हमारे राज्यपाल महोदय प्रदेश के सर्वेसर्वा थे तो मैं एक मामले के सम्बन्ध में उनसे मिलने के लिए गया। मेरे साथ बाराबंकी नगरपालिका के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट भी थे। उन्होंने निवेदन किया कि हमारे यहां का कार्यक्रम बनाये तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है आप श्री कमलापति त्रिपाठी को ले जायें। अगर वह मुख्य मंत्री होते तो मैं यह समझता कि वह उचित था, लेकिन वह उस समय केवल कांग्रेस के सदस्य थे। मैंने फौरन कहा कि आप यह क्या कहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी कद्र करूं और इज्जत करूं। कोई नहीं चाहता कि किसी की निन्दा की जाये। लोकतंत्र मिटने लगे तो महज यहां भाषण से लोकतंत्र की रक्षा नहीं होगी और जिस तरह से बाहर उसका अतिक्रमण होता है उसे हमें रोकना होगा। कौन चाहता है कि बिहार जैसी घटना घटे और कौन चाहता है कि गुजरात जैसी घटना घटे, लेकिन वह घट रही है और वह रुक नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, यह मैंने राज्यपाल महोदय का मामला आपके सामने रखा।

अब जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है। हमारे दोस्तों को प्रसन्नता है कि वह जीत गये हैं। सत्ता में आ गये हैं। अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि वह 272 थे और सहयोगियों को लेकर 276 थे। अब आप देखें कि इस चुनाव में वे सहयोगियों को मिलाकर 231 हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह संख्या कैसे घटी। और फिर उसी के साथ-साथ मतदानों का जो हिसाब है वह भी इनका प्रतिशत गिरा है और इधर बैठने वालों का प्रतिशत बढ़ा है। कौन नहीं जानता है कि अपार धन व राजतंत्र का इस्तेमाल किया गया, डुप्लीकेट बैलट पेपर्स का इस्तेमाल किया गया। ये सारी की सारी चीजें इस चुनाव में हुई। हमारे जिले की माननीय सदस्या श्रीमती मोहसिना किदवाई जी हंस रही हैं। शायद उनको भी इसकी जानकारी होगी कि उनके क्षेत्र में भी इस प्रकार की धांधलेबाजियां की गई हैं। उनको मंत्री होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनके ही क्षेत्र में जब बैलेट पेपर्स डाले जा रहे थे, तो बैलेट पेपर्स को चाकू से डाला गया और बैलेट पेपर्स फट गये और उन्हें इनवैलिड घोषित किया गया। बैलेट बाक्स मे गड़बड़ियां की गई थीं, इनके क्षेत्र मे सजे-सजाये बैलेट पेपर रखे निकले। इसकी लिखित शिकायत दी गई जिस पर मेरे बुजुर्ग श्री जमीउलर्रहमान किदवई जो माननीय सदस्या श्रीमती मोहसिना किदवई के रिश्तेदार हैं के भी हस्ताक्षर हैं। सप्लाई विभाग ने सामानों का वितरण किया। तो धन राजतंत्र, बैलेट पेपर्स डुप्लीकेट और फिर जब बस न चला तो दूसरे तिकड़म करके यह सब हुआ। रामनगर क्षेत्र में जो बैलेट पेपर्स डाले जाते थे और जब उसके अन्दर बैलेट पेपर्स नहीं जाते थे तो उसके अन्दर चाकू से डाल दिया जाता था और जब वह बैलेट पेपर्स फट गये तो फिर ऐसे बैलेट पेपर्स की गणना नहीं की गई। इलाहाबाद के क्षेत्र में सादे मतपत्र पाये गये।

एक बार का जो चुनाव हुआ है वह चनाव निष्पक्ष कौन कहे चुनाव में निश्चित रूप से बेईमानी करके, गिनती में, लोगों के ईमानों को खरीद करके यह सत्ता हासिल करने की कोशिश की गई। सवाल उठता है जैसे कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर बेईमानी की गई तो हम सब पूरे क्यों नहीं जीत गये। तो यह तो ऐसे ही तर्क होगा कि अगर किसी के यहां डकैती पड़ी और डकैत पकड़े गये और उन पर मुकदमा चलाया गया तो डकैत अपनी सफाई में यह कहे कि यदि मैंने डकैती डाली तो बगल के घर में क्यों नहीं डाली, अगर मुझे डकैती डालना ही था तो हमने बगल के घर में क्यों नहीं डकैती डाली। तो इस तरह से हमारे सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य तर्क उपस्थित करते हैं। इस चुनाव में 13 हजार 500 रुपये क्या इधर माननीय सदस्य अपने सीने पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि 13 हजार 500 रु0 खर्च करके किस तरह से मोटरों पर इस्तेमाल हुआ है, पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ है, यह खर्च लाखों में हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि यह पैसा कहां से आया। क्या कोई सत्ता-

कांग्रेस के पास कोई फार्म खुला हुआ है ? क्या कोई सत्ता कांग्रेस के पास कारखाना खुला हुआ है ? क्या कोई सत्ता कांग्रेस के पास सही नोट छापने का कारखाना है। यह पैसा है काले धन का, पूंजीपति का धन है जो इस तरह से खर्च किया गया है और जो धन खर्च किया गया है उसके सहारे यह तस्वीर आई है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय यह बात रख रहा हूं कि सत्ता कांग्रेस की तरफ से अपार धन खर्च हुआ और यदि हमारी यह बात गलत है तो आप इसकी जांच करा लीलिए। श्रीमन्, आप हमारी भी जांच करा लीजिए। आपके पास जांच कराने की मशीनरी है, आपके पास जांच कराने का तंत्र है। आप अपनी जांच कराने के लिये तैयार हो जाइए तो पता चल जायगा कि यह पैसा कहां से आया। . . . . (मेंजे थपथपाई गई) . . . .

अध्यक्ष महोदय, माननीय यादवेन्द्रदत्त सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि घमंड के साथ कि वे कमजोर को सहारे जीत कर आये हैं। सही है इतना मोटा आदमी कमजोर के कंधों पर ही चढ़ कर आयेगा। वे ठीक कह रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जीत के कुछ और भी कारण हैं। माननीय नारायण दत्त जी जरा ध्यान से सुन लें, इस देश की गरीबी और अशिक्षा ये दो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आपको वोट मिले हैं। जब ये शक्ति के स्रोत हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप धोखे में नहीं रहेंगे और प्रदेश की जनता भी धोखे में न रहे कि जिसको अशिक्षा और गरीबी शक्ति प्रदान करती हो उसके सहारे न तो शिक्षा और न गरीबी ही दूर होने वाली है। गरीबी हमारा कथन नहीं है। यह तो भारत सरकार का कहना है कि देश की 22 करोड़ जनता 19 रुपया मासिक पा रही है। बाहर गरीबी की हदबन्दी 19 रुपये और जेल में उनको 60 रुपया प्रतिमास मिले तो भारत की जेल ही अच्छी है बजाय बाहर रहने के। 22 करोड़ आदमियों को 19 रुपया प्रतिमास बाहर मिल रहा है, यह आपके प्रधान मंत्री का हिसाब है। सारे हिन्दुस्तान की औसत आमदनी 347 रुपया लेकिन आपके प्रदेश की परकैपिटा इनकम 266 रुपया। वहां पर 19 रुपया प्रतिमास और प्रदेश में यह 15 रुपया पड़ेगा। यह आपने गरीबी की सीमा रखी है। जिस देश या प्रदेश में लोग 15 रुपये प्रतिमास में अपना जीवन निर्वाह करते हों, क्या वे निष्पक्ष रूप से वोट देंगे। जिसके ऊपर फटे कंबल और जिसके शरीर पर फटा कुर्त्ता पड़ जायगा, जिनको 4 दिन चाय और नाश्ता मिल जायगा वह बेचारा लोकतंत्र के कर्त्तव्य को भूल जायगा। अशिक्षित है न ?

इसी प्रकार से आप शिक्षा के मामले को ले लीजिए। शिक्षा की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। यहां पर 78.4 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं और पढ़े-लिखे केवल 28.6 प्रतिशत और उन में से जो शिक्षित हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं। माननीय तिवारी जैसे लोगों को तो अंग्रेजी काल में शिक्षा मिली है। आपके इन 26 वर्षों में तो 10 प्रतिशत ही पड़ती है। और उसमें से भी जो शिक्षित हैं वे सब माननीय काशीनाथ मिश्र जैसे पंडित ही नहीं हैं, कुछ कम पढ़े भी हैं। आल्हा की किताब भी बांच लेते हैं। 78.4 प्रतिशत अनपढ़ रह गये तो वे लोग देवहा बाबा के शिकार हो जायेंगे। भ्रम में पड़ जायेंगे, भाग्य और तकदीर में यकीन करने वाले हो जायेंगे। वे अपने हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। 15 रुपये महीने में रहने वाले और वे ही 78.4 अनपढ़ लोग जिनको आप बगावती बनाते हैं, पस्त हिम्मत करते हैं, उनसे आप पैसे के सहारे वोट लेने का प्रयास करते हैं। ये हैं आपके चुनाव में जीतने के कारण। आप कहते हैं कि पढ़ाई का इन्तजाम बहुत अच्छा कर रखा है। प्राथमिक शिक्षा को ही ले लीजिए। 78.4 प्रतिशत बिना पढ़े-लिखे लोगों के जो आंकड़े हैं, वे इस चीज को चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा चौपट और उसकी जगह ले रहा है कौन ? शिशु विद्यामंदिर और पब्लिक स्कूल। और जिस गरीब हरिजन को यह तौफीक नहीं है कि गांव के पेड़ के नीचे वाले स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने भेजे, जिसके जरिए वह बकरी चरवाकर रोजी कमाना चाहता है तो वह शिशु मंदिर और पब्लिक स्कूल में कैसे भेज सकता है ? आपने तो योजना

[श्री राम सेवक यादव]

बना रखी है कि जिस प्रकार अनपढ़ों और कमपढ़ों की संख्या बढ़े, लोग 19 रुपए से 15 रुपए पर रोजी चलाते रहे और गुजर करते रहे। गरीबी और बेकारी बढ़े जिससे चुनाव के मौके पर आपका काला धन हो और उनका खाली पेट और खाली दिमाग हो। उसका सौदा करके गद्दी पर बैठ जाया करो।

कहा गया हरिजनों के बारे में। बेचारा हरिजन क्या वोट देता। वोट लेने की एक मशीन है आपके पास। एक बाईस्कोप है इनके पास जगजीवन वाला और उसी जगजीवन बाबू के बाईस्कोप को चलाते रहते हैं और उसी का शिकार हरिजन होते रहते हैं। आप उनको लेमनजूस देते हैं---कहीं सिलाई की मशीन, कहीं पक्का मकान। दो हजार में पक्का मकान बनेगा? कौन सा जादू है? इस सदन के माननीय सदन के सदस्यों को भी बता दें कि दो हजार में पक्का मकान बन जाय और आवास की सुविधा हो जाय। दो हजार भी पता नहीं कि रामदीन चमार की जेब में न जाकर मंगल सिंह की जेब में न पहुंच जाय। पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हरिजनों को लेमनजूस दिखाकर बहकाया जा रहा है, कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। एक लाख 18 हजार एकड़ जमीन का जिक्र है, भीखालाल जी ने कहा। 1960 का कानून हदबन्दी का था। पहले जमींदारी खत्म हुई और फिर 1960 बीच में चकबन्दी आ गयी और चक्कर में जमीन को डाल दिया। फिर 1972 में सुझाव आया कि जमीन देनी चाहिए, वोट लेने का मन था। वोट मिल जाय भले ही जमीन मिले या न मिले। हमारे पास एक शिकायत आई थी, तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि गांव का खलिहान हमको दे दिया गया। वह तो बेचारों को पिटाई की सामग्री दे दी। क्योंकि सभी जानते हैं कि गल्ला कटने के बाद लोग खलिहान लगाते हैं तो वह पीटे जायेंगे, लड़वा दिया जायगा। तो वास्तव में कहीं यह जमीन नहीं है। इस 1,18,000 एकड़ जमीन के आंकड़े आने चाहिए कि किस जिले में, किस तहसील में यह जमीन मिली ताकि हम उसकी जांच-पड़ताल करके असलियत को खोल कर रख दें। मैं कहना चाहता हूं कि 1952 में न तो यांत्रिक फार्म थे, न इतने बड़े-बड़े थे लेकिन आज अन्धे को भी दिखलाई देगा कि चारों ओर बड़े-बड़े फार्म मौजूद हैं। यह कौन-सा आपका कानून है? आप जब खेती की योजना चलाते हैं, सीलिंग के कानून दो-दो लाते है, पर फार्म बड़े-बड़े बनते चले जा रहे हैं, यह क्या माजरा है, क्या मामला है? इसको क्यों नहीं रोका जाता है? मैं तो एक ही तथ्य कहना चाहता हूं कि आप दो जांच करवा लें, दोनों मन्त्रि मंडल के सदस्य हैं। एक अजीत प्रताप सिंह जी हैं और दूसरे प्रस्तावक महोदय यादवेंद्र सिंह हैं। आप पता लगा लें कि इनके कितने एकड़ के फार्म हैं। बाग मैं छोड़ रहा हूं, हालांकि नये कानून में बाग भी आ गयी है, उस पर भी रोक लग रही है। लेकिन वह यह कह कर बच जायेंगे कि अभी वह कानून लागू नहीं हुआ है। तो 60 वाले कानून के हिसाब से कह रहा हूं कि इन दो मन्त्रियों के पास कितने बड़े-बड़े फार्म हैं और जांच करें कि ये फार्म किस तरह से किस कुत्ते, किस बिल्ली के नाम हैं, किस सास और दामाद के नाम पर है---इस चीज की जांच-पड़ताल आप अवश्य करें। और इस तरह से जांच-पड़ताल नहीं की गयी और चकबन्दी के आधार पर, कागज के आधार पर, इन्दराज के आधार पर जमीनें हासिल करना चाहते हो तो यह आपकी आशा निराशा में परिणत हो जायगी। यह बात दूसरी है कि यह आपकी वास्तविक आशा ही हो कि निराशा में यह परिणत हो जाय। तो मेरा अनुरोध है कि इस सत्यता की ओर आपका ध्यान जाय। इसकी जांच करायें सब पता चलेगा।

पक्के मकान क्यों देते हैं हरिजनों को। मैं हरिजनों से कहूंगा कि आप बुरा मत मानिये मेरी बात का। जिसके हैं पक्के मकान जिसके पास कोई न कोई रोजगार है, खेती है या अच्छी नौकरी है जिससे वह पैसा बचाता है और अपना मकान तामीर कराता है। आप हरिजनों के लिए मकान का लेमनजूस न दें बल्कि हर हरिजन परिवार को पांच साल की

एक योजना बना कर कोई न कोई ऐसा धन्धा दो जिससे उसका दो, तीन सौ रुपए मासिक का इन्तजाम हो जाय। जब तक ऐसा नहीं होता तबतक जो पैसा आप खर्च करते हैं वह भी दूसरों की जेब में चला जाता है। तो यह मैंने थोड़ी सी बात आपके सामने रखी जिसके आधार पर आप जीत कर आते हैं। और जो माननीय सदस्य समाजवादी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जरा समाजवाद की जांच पड़ताल कर देख लेंगे। चौधरी साहब को समाजवाद से दुश्मनी नहीं है। चौधरी साहब को जो समाजवाद का रूप बताया है आज की सत्ता ने उससे जरूर परेशानी है। क्या है यह रूप उसका थोड़ा दिग्दर्शन मैंने करा दिया। जिस सत्ता में प्रारम्भिक शिक्षा में भी समानता लाने की हिम्मत न हो वह सरकार समाजवाद लाने की और गरीबी मिटानें की बात करती हो तो वह समझ में आने वाली बात नहीं है।

(इस समय 1 बजकर 9 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती मोहसिना किदवाई पीठासीन हुईं।)

अधिष्ठाता महोदय चाहे जिस विचारधारा की सरकार हो उसका पहला काम होगा गरीबी मिटाना भले ही असमानता न मिटाये। लेकिन समाजवादी सरकार के तो दोनों काम हैं, गरीबी मिटाना और असमानता मिटाना। और इस सरकार ने तो समाजवाद का ठेका ले ही रखा है। इनके साथ जो चला जाता है समाजवादी हो जाता है और हमारे साथ जो चला जाता है वह प्रतिक्रियावादी हो जाता है। वह जब भोग में हिस्सेदार बन जाता है तो समाजवादी हो जाता है और जब त्याग में आता है तो प्रतिक्रियावादी बन जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका टाइम खत्म हो गया। दो मिनट और है।

श्री राम सेवक यादव—

आप मेरे किसी साथी का समय काट लीजियेगा लेकिन मुझे 5-7 मिनट का मौका दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

5 मिनट और बोल लीजिये।

श्री रामसेवक यादव—

महंगाई और अभाव के बारे में कल चर्चा चली थी तो हमारे माननीय देवरिया के जो मन्त्री हैं श्री राजमंगल पांडेय, उन्होंने कहा कि महंगाई तो दुनिया में बढ़ी है। मैं आपके सामने महंगी के कुछ आंकड़े रख रहा हूं। अमरीका में पिछले साल भर में 5.9 प्रतिशत महंगी बढ़ी कनाडा में 8.1 प्रतिशत, स्वीटजरलैन्ड में 8.2 प्रतिशत, इंग्लैंड में 8.3 प्रतिशत, जापान में 7.9 प्रतिशत, जर्मनी में 11.5 प्रतिशत और भारत में पिछले साल भर में 60 और 70 प्रतिशत के बीच में महंगाई बढ़ी है। उनके कहने के अनुसार जो दुनियां में महंगाई बढ़ी है तो उनकी परक़ैपिटा इन्कम भी तो बढ़ी है। यहां महंगाई नारायण दत्त जी तिवारी खूब बढ़ाये लेकिन उसी हिसाब से जेब में पैसे भी पहुंचा दें तो महंगाई से किसी को शिकायत नहीं होगी। लेकिन यहां तो 15 रुपए की औसत है गरीबी की सीमा से नीचे वालों की और आप ही का चौकीदार दस रुपए पाता है। कुछ लोग कहेंगे वह पार्ट टाइम नौकर है। तो क्या पार्ट टाइम नौकर को दस रुपया काफी है। यही समाजवादी मापदंड होगा? यही समानता का मापडंड होगा?

आपके यहां की पर-कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी है। हमारे यहां की पर-कैपिटा इनकम सन् 1970-71 में 276 थी, 1971-72 में वह 266 हो गयी, यानी 11 प्रतिशत घट गयी।

[श्री राम सेवक यादव]

माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि 1972 व 1973 का वर्ष सूखे का वर्ष रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि परकैपिटा आय और घटेगी, जबकि महंगाई 60–70 प्रतिशत बढ़ी है। समाजवाद में सबसे अधिक सुविधा सबसे गरीब को मिलनी चाहिए, मगर यहां मिलती है मुख्य मन्त्री को जो पहले कार पर चलते थे, अब हेलीकाप्टर पर चलते हैं। बख्शी का तालाब जाना था तो हेलीकाप्टर पर अभी गये। यह स्थिति है इनके समाजवाद का। यह इनकी किफायतशारी का नमूना है कि कार से हेलीकाप्टर पर आ गये क्योंकि पिट्रोल महंगा हो गया था। मैं पूछता हूं कि इस महंगाई की जिम्मेदारी किस पर है? आप ही लोग तो इसके जिम्मेदार हैं। जब दो तीन साल पहले नेचर की कृपा से फसल अच्छी हो गयी तो योजना का कमाल हो गया, जब फसल सूख गयी तो नेचर को दोष देने लगे। पी0ए0सी0 कांड में जो सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं उनका राज्यपाल महोदय ने कहीं जिक्र तक नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

(श्री वीरेन्द्र वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

हम अछूत हैं, हमें भी कुछ कहना है...

श्री अधिष्ठाता—

मेरे पास पार्टी की लिस्ट आ जाती है, उसी हिसाब से मैंने नाम पुकारा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

कुछ अतिरिक्त समय मुझे दे दिया जाय...

श्री अधिष्ठाता—

10 मिनट का ही समय मिलेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा और माननीय नेता, विरोधी दल, के साढ़े तीन घंटे के भाषण को भी बड़े ध्यानपूर्वक सुना। जिज्ञासा थी हृदय में कि प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता, विरोधी दल, जनता की भलाई और प्रदेश के विकास के लिए कुछ ठोस सुझाव रखेंगे, किन्तु मुझे खेद है कि साढ़े तीन घंटे के भाषण में एक शब्द भी प्रदेश की भलाई और उसके विकास के लिए उनके मुखारबिन्दु से न निकला, एक शब्द का भी उच्चारण न हो सका। प्रधान मन्त्री ने 15 दिसम्बर से बहुत सी योजनाओं का शिलान्यास किया जिससे कि प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सके और प्रदेश आगे बढ़ सके, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन उसके ऊपर भी उन्हें आपत्ति है। भारत सरकार ने जो सर्वेक्षण इस प्रदेश का कराया उसमें स्वीकार किया है कि इस प्रदेश के 37 जिले ऐसे हैं जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उनके विकास के लिए भी अगर कोई स्कीम लायी जाती है तो उसका भी विरोध किया जाता है। तो क्या यह जनता की कमाई के लिए था, या क्या प्रदेश के हित में था इस प्रकार से कहना? इसको सुनकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। माननीय महोदया, जिस समय भारतीय क्रांति दल की स्थापना हुई थी और विशेषकर जिस समय भारतीय क्रांति दल

का घोषणा-पत्र मुरत्तब किया जा रहा था, उस समय माननीय चौधरी चरणसिंह जी कहा करते थे कि यदि हमारी सरकार नहीं बनती है तो हमें विरोध पक्ष में बैठकर एक रचनात्मक भूमिका अदा करनी होगी और सारे देश के लिए, देश की सभी विधान सभाओं के लिए हमें एक आदर्श विरोधी पक्ष का नमूना पेश करना होगा। यदि आप भारतीय क्रांति दल के "एम्स ऐंड प्रिंसिपल्स" को देखें जो मेरे पास मौजूद है, तो उसके पृष्ठ पर 9 पर देखने से यह बात जाहिर होगी कि--

". . . . . it advocates violence for bringing about social, political or economic change, B. K. D. considers communism as enemy no. 1 of democracy and the country.

फिर आगे दिया है--

Unconstitutional agitations or an invitation to dictatorship

B. K. D. stands for preservation and strengthening of democracy or rule of law in the country, and will do nothing that injures it. It does not believe in methods of political agitation and propaganda which are not based strictly on Gandhian principles of truth and non-violance Methods like fast-unto-death, dharana, or, civil disobedience, that is breach of law on a mass scale, and a recent variant, the gherao, which are being passed off as forms of Satyagaraha— though based on or associated with untruth, violence and hatred as they almost invariable are —gradually lead to disrespect for law in the minds of the people and are the surest invitation to chaos and, eventually, to imposition of a dictatorship. So far as civil disobedience, in particular, is concerned Mahatma Gandhi himself had stated in a meeting of Congress workers held in Madras on March 7, 1925 that he regarded it 'only as a substitute for an armed revolt'.

उसी में इसके आगे लिखा है--

Satyagarah can, have no place in the public life of India today. In case of a difference of opinion with the Government of the day on issues of general importance, B. K. D. will educate public opinion so that it may be returned in a majority in the next general election."

मान्यवर, मुझे खेद है कि नेता विरोधी दल ने जो अपना संशोधन रखा, जिसके ऊपर कार्यवाहक नेता सदन ने स्पष्टीकरण चाहा था अध्यक्ष महोदय से, उसके शब्द थे--- 'जनता को किसी भी प्रकार अथवा हर प्रकार के तरीकों से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार होगा'। इसका मतलब यह हुआ कि तरीका चाहे हिंसक हो अथवा अहिंसक, संवैधानिक हो या असंवैधानिक हो, बैलेट या बुलट द्वारा हर तरह से इस सरकार को उलट फेंकने के लिये उन्होंने जनता का आह्वाहन किया है। मैं समझता हूं कि जो घोषणा-पत्र उन्होंने जनता में रखा था, उससे उनका यह कथन शत प्रतिशत विपरीत है। जिस समय अपने प्रदेश में चुनाव हो रहा था उस समय प्रदेश में जो परिस्थिति थी, उसको देखते हुए मुझे प्रसन्नता है कि उस विकट परिस्थिति में भी प्रदेश में शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न हो सके। प्रदेश में जो अनाज का कठिन अभाव, आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतें, दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था आसामयिक हड़तालें---चाहे वे डाक्टरों की हों, इंजीनियर्स की हों या रेलवे कर्मचारियों की हों, इन सबने जनता की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया और बढ़ी हुई कठिनाइयों के निराकरण के लिए कौन दिलचस्पी ले रहा था? उनको हम दूर करें, जनता की कठिनाइयों में हम शिरकत करें। नहीं, इरादा यह था कि उसको एक्सप्लायट किया जाय उनकी भावनाओं को भड़का कर गवर्नमेंट के खिलाफ, जनता से वोट मांगा जाय, वोट मांग

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

कर सरकार का गठन किया जाय। दुर्भाग्य उनका कि उतनी विकट परिस्थितियों में भी जो चुनाव हुआ, जनता के वोट उन्हें न मिल सके और अपनी सरकार की स्थापना वह न कर सके। इसलिए शिकायतों का होना स्वाभाविक ही है। उन शिकायतों में यह शिकायत करना कि बैलेट पेपर्स नये छपवाये गये, बैलेट बक्सों को तोड़ा गया, बैलेट बक्सों को बदला गया, इस प्रकार की शिकायतें इतने जिम्मेदार नेता के मुखारबिन्दु से सुनकर मेरे जैसे आदमी को दुख हुआ।

कहा गया कि बहुत से जिला अधिकारियों को चुन-चुन कर जिलों में भेजा गया। अगर ऐसा ही करना चाहते तो सबसे पहले मेरठ जिले में ऐसे अधिकारी को भेजा जाता। महोदया दृष्टिकोण दो ही हो सकते थे। एक यह कि कांग्रेस के नेताओं को हारने से बचाया जाय और अपने मन्त्रियों को हारने न दिया जाय, और विशेष कर जो विरोधी दल के नेता हैं उनको चुनाव में परास्त कराया जाय। यदि चुनाव केवल इस दृष्टि से कराये गये होते तो कांग्रेस केवल तीन सदस्यों के बहुमत से अपनी सरकार न बनाई होती। सरकार अपने मन्त्रियों को हारने भी न देती और विरोधी दल के नेताओं को भी हराती। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी नीयत होती तो क्या चौधरी चरणसिंह 26 हजार वोटों से जीत पाते। इस प्रकार की शिकायतों का करना सर्वथा अनुचित है और जनता, प्रशासन और डेमोक्रेसी के हित में नहीं है। इसी प्रकार की शिकायतें 1971 में श्री बलराज मधोक ने की थी। उन्होंने उच्च न्यायालय में जो पेटीशन किया था उसमें कहा था, जो अब किसी के मुखारबिन्दु से सुनने को नहीं मिला कि रशा से बैलेट पेपर छप कर आये और रशा से इंक आई जो कुछ दिनों बाद उभर कर आती है पुरानी इंक दब जाती है। माननीया जी क्या वह सिद्ध कर सके? न्यायालय खुले पड़े हैं जो शिकायतें हैं उनको, न्यायालयों में सिद्ध करें जिससे जनता आश्वस्त हो पश्चिम उत्तर प्रदेश के आठ दस जिलों की शिकायतें मुझे भी हैं। मैं जानता हूं कि गरीब लोगों के वोटों को किस प्रकार रोका जाता है, किस प्रकार ठप्पे मार कर स्वयं उनकी वोटें डालकर जीतने की शिक्षा दी जाती है, किसी दल विशेष ने इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है। पांच मिनट और दे दीजियेगा। जब जन्मसिद्ध अधिकार ही मान लिया तो फिर इन बातों को अनियमितता कौन समझेगा। अनियमिततायें होंगी ही क्योंकि यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे दुख है कि इस प्रकार की शिकायतें की गयी हैं जिनके लिए उनके पास तथ्य नहीं हैं।

महोदया, मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने प्रदेश की जनता के हित में प्रशासन से ढिलाई और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाये हैं। मिलावट, तस्करी, चोर बाजारी, जमाखोरी की रोक-थाम के लिए कुछ अध्यादेश जारी किये हैं जिससे समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ाई के साथ कदम उठाये जा सकें और उन बुराइयों को रोका जा सके। मैं स्वीकार करता हूं। सब स्वीकार करेंगे कि हमारे प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कमी है, अनाज की कमी है। अतः सरकार की कोशिश है कि जितना भी योजना के ऊपर खर्च होगा उसका 40 प्रतिशत बिजली के उत्पादन पर खर्च किया जाय, 25 फीसदी सिंचाई और कृषि कार्यों पर लगाया जाये और यह चेष्टा होगी कि हम अपने प्रदेश के कृषि उत्पादन को बढ़ा कर यहां की जनता की आर्थिक अवस्था को सुधारें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीया, आपने उधर के व्यक्तियों को 10 मिनट के बजाय 30–35 मिनट दिये। मैं तो केवल आपसे 3 मिनट मांग रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपको दो मिनट मिलेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इतने सख्त तो अध्यक्ष भी नहीं हो सकते थे । माननीया, सरकार प्रदेश में रोजगार बढाने और प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से समुन्नत करने के लिये 12 नई सूती मिलों की स्थापना करने जा रही है । यहां अगली पंचवर्षीय योजना में 30 शुगर फैक्ट्रियों की स्थापना सहकारी क्षेत्र में होगी । मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में विकासशील योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जो ठोस कदम उठाये गये हैं वैसे पिछले 15 सालों में भी नहीं उठाये गये थे । प्रदेश में फर्टिलाइजर के दो कारखाने, चाहे मथुरा में पेट्रोकेमिकल कम्पलक्स, नरौरा में आणविक केन्द्र, टेहरी बांध योजना का प्रारम्भ इलाहाबाद व रायबरेली में टेलीफोन फैक्ट्रीज आदि नये उद्योगों की स्थापना की व्यवस्था है । इसके लिये सरकार सर्वथा बधाई की पात्र है । मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार को सभी सदस्यों का सहयोग मिला तो आगामी 5 वर्षों में वह ठोस और रचनात्मक कदम उठाकर इस प्रदेश को विकास के मार्ग पर तेजी से ले जायेगी ।

श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ा था और पढ़ने के बाद मुझे अफसोस और खेद हुआ कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी समस्याओं के ऊपर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला और न ही उनके हल करने का सुझाव रखा । हम जानते हैं कि इस प्रदेश को औद्योगीकरण के लिये और कृषि-करण के लिये बिजली की आवश्यकता होती है । लेकिन बिजली के उत्पादन के बारे में और न उसके वितरण की व्यवस्था के बारे म सरकार की ओर से कोई प्रकाश डाला गया । केवल यह कह दिया गया कि इस साल रिहन्द बांध के पास वर्षा का जल न आने के कारण बिजली के उत्पादन में कमी आई । मैं यह कहना चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर अधिकांश बिजली कोयले से पैदा होती है यानी थर्मल बिजली ज्यादा होती है और हाइडिल कम । क्या सरकार ने कभी इस बात पर बिचार किया कि थर्मल बिजली के उत्पादन में कभी क्यों आई जब कि कोयला भी उन्हीं के हाथों में है, उत्पादन और वितरण भी उन्हीं क हाथों में ह । हमारे नये मुख्य मंत्री जब आये थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं इस बात को देखूंगा कि बिजली का उतना उत्पादन होता है, जैसे कि जितनी मशीनरी जेनरेट कर सकती है उसके अनुसार अगर उत्पादन नहीं होता है तो मैं आफीसर्स के खिलाफ कार्यवाही करूंगा । लेकिन उसके बाद भी उत्पादन में बराबर कमी आती गई । जिस प्रकार के कोयले की आवश्यकता होती है, उस प्रकार का कोयला मिलता नहीं है ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हरदुआगंज में जो पावर स्टेशन है वहां पर एक मशीन जो 20 मैगावाट बिजली पैदा करती थी वह कन्डेम करके एक उद्योगपति मोदी कन्सर्न को बेच दी गई और साथ ही यह शर्त लगा दी गई कि वह उद्योगपति जो बिजली पदा करेंगे वह उनको दी जायगी और सरकार उनको बिजली देती है । लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि "जब से आये बहुगुणा-भ्रष्टाचार सौ गुना" जो मशीन हमारे यहां उत्पादन करती थी बिजली को, वह उद्योगपति को थोड़े से दाम पर बेच दी गई । उसके बाद सरकार ने बिजली क बारे में कहा कि बिजली का उत्पादन बढ़ायेंगे परन्तु सरकार ने यह नहीं बतलाया कि आगामी पांच साल के अन्दर प्रदेश को कितनी बिजली की आवश्यकता होगी । नये नये उद्योग खोलने की घोषणा सरकार ने की है लेकिन कितनी बिजली की आवश्यकता होगी और कितना उसका उत्पादन होगा उसमें आपस में क्या तालमेल होगा इस बारे में कुछ नहीं बतलाया है । मेरा निवेदन है कि इस तरह से जनता को भूल भुलैया में न रखा जाय बल्कि जो वास्तविक स्थिति है उसस अवगत कराया जाय । जहां से मैं आता हूं, मुरादाबाद, वहां छोटे-छोटे बर्तनों के कारखान हैं । यहां से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है लेकिन जो छोटे छोट कारखानेदार हैं उनकी मशीनें बिजली न मिलने के कारण ठप्प हैं । इनमें अल्पसंख्यक और छोटे वर्ग के लोग लगे हुए

[श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी]

हैं। उनका काम ठप्प हो गया है। बड़े कारखाने वालों ने तो जेनरेटर्स लगा लिये हैं लेकिन छोटे कारखानेदार और छोटे लोग जेनरेटर नहीं लगा सकते। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कहा कि रात में बिजली देंगे। लेकिन रात में उनके सामने बहुत परेशानी आती है। रात में काम करने वाले लोग नहीं मिलते। चुनाव के पहले हमारे यहां बहुगुणा जी गये थे और जब उनके सामने यह मांग रखी गयी तो पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा कि इस बात को देखेंगे। लेकिन इस अभिभाषण में उसकी कोई घोषणा नहीं है।

चुनावों के बारे में काफी चीजें कही गयीं। सरकार कहती है कि कोई बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं एक एक्जेक्ट बात कहता हूं। बहुगुणा जी हमारे यहां आये। अपने पार्टी के लिये वोट मांगें। पार्टी के झंडे लगे हुए थे। लेकिन उस मीटिंग का सारा खर्चा नगरपालिका और पी० डब्लू० डी० ने किया। यह कहां तक उचित था। दूसरी बात और कहता हूं। जब हम यह कहते हैं कि जनता के अन्दर विद्रोह है और यहां भी बिहार और गुजरात हो जायगा तो हम से कहते हैं कि हम हिंसा की बात कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा दल हिंसा में विश्वास नहीं करता। सरकार खुद ऐसी परिस्थिति ला रही है जिससे मजबूर होकर जनता को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा।

हमारे यहां मुरादाबाद में दूसरी समस्या पानी की है। न पीने के लिये पानी, न नहाने के लिये पानी और न दूसरी आवश्यक चीजों के लिये पानी मिलता है। महामहिम राज्यपाल हमारे यहां दो बार जा चुके हैं। बहुगुणा जी भी गये हैं। सभी पार्टियों ने प्रस्ताव दिये लेकिन बार-बार यही आश्वासन मिलता है कि सरकार समस्या पर गौर कर रही है। पता नहीं कब तक गौर होता रहेगा। बड़े-बड़े लोगों ने तो ट्यूबवेल और हैंड पंप लगा लिये हैं लेकिन जो छोटे और गरीब लोग हैं वे परेशान हैं। उनके पास इतने बर्तन भी नहीं हैं कि जब थोड़ी बहुत देर के लिये पानी आता है तो वह कुछ पानी स्टोर कर सकें।

यह सरकार हरिजनों की बड़ी दुहाई देती है लेकिन उनके लिये कुछ करती नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पानी भी कोई विलास की वस्तु है, यह तो न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु है। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान न दिया तो जनता, हमारे कहने से नहीं, खुद ही घुट कर मरने के बजाय दूसरा रास्ता ढूंढेगी। अगर सरकार चाहती है कि यहां बिहार और गुजरात की स्थिति न उत्पन्न हो तो उसे जनता की कठिनाइयों को दूर करना चाहिये।

एक तथ्य और बतला दूं। हमारे यहां नगरपालिका सुपरसीडेड है और दस साल से सरकार के हाथ में है। बार-बार मांग करने पर भी वहां चुनाव नहीं करवाते। वहां पर पानी की व्यवस्था एक प्राइवेट कम्पनी करती है। उनको ही इसका कंट्रेक्ट दे रखा है। जब हम नगरपालिका से बात करते हैं तो कहते हैं कि सरकार टेक ओवर करने की सोच रही है। और जब सरकार से बात की जाती है तो वह बातें बतलाते हैं कि दो महीने में बात होने वाली है, तीन महीने में बात होने वाली है। यह बात बराबर चलती रहती है। हरिजन बस्तियों में दो-दो मील से पानी लाना पड़ता है। तो सरकार हैंड पम्प ही लगवा दे, जिससे यह समस्या हल हो सके। हम लोगों ने मांग रखी थी और मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था।

नैतिकता की दृष्टि से न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिये। यह बहुत बड़ा प्रदेश है।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय हो गया है।

[श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी]

इलाहाबाद में बहुत से केसेज पेन्डिंग हैं, इसलिये मुरादाबाद में एक हाई कोर्ट की बेंच खोल दी जाय, जिससे जनता को न्याय जल्दी मिल सके और केसेज का निपटारा हो सके।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, आज इस नई विधान सभा के सत्र के अवसर पर जब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर मिला है, इसके लिये कल से वाद विवाद प्रारम्भ है। धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे दल के माननीय यादवेन्द्र सिंह ने प्रस्तुत किया था। हमारे माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भली-भांति पढ़ा। राज्यपाल महोदय के भाषण को पढ़ने के पश्चात् माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि शासन में कांग्रेस सरकार आने वाले वर्षों में अपनी नीतियों के आधार पर किस प्रकार प्रदेश को आगे ले जावेगी। समाचार पत्रों से इस प्रदेश की जनता को भी यहां की समस्याओं के बारे में पता लग गया होगा। लेकिन बड़े खेद का विषय है हमारे विरोधी दल ने इस समस्याओं की गम्भीरता का अहसास नहीं किया है। हमारे इस सदन के अन्दर बहुत से सम्मानित सदस्य नये चुनकर आये हुये हैं। 1967 से 1974 तक इस बीच में तीन बार चुनाव हुये हैं। इन चुनावों में प्रदेश की जो हालत हुई है उसके कारण कोई स्थायी सरकार न बनने के कारण प्रदेश में बहुत सी समस्यायें पैदा हो गई हैं। लेकिन हमारे विरोधी दल के भाइयों ने कभी भी इसको गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया है। इसका उदाहरण यह है कि हमारे नेता विरोधी दल, माननीय चौधरी साहब का जब साढ़े तीन घंटे का भाषण जारी था तो दल के नये सदस्य पूछ रहे थे कि कितनी देर तक बोलेंगे। मैंने उनको बतलाया कि यह जितनी देर चाहेंगे बोलेंगे। ऐसा नियम है और 1967 से मुझे जानकारी है कि जब से वह इधर से उधर गये 4,4 और 5,5 घंटे भाषण दिये हैं। उनको सदस्यगण लायब्रेरी से लेकर देख सकते हैं। जिस प्रकार के वह आंकड़े देते हैं, तथ्य देते हैं। उनका कोई मुख्य आधार नहीं होता है और इसी कारण वह अपने भाषण का जवाब सुनने के लिये सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। भाषण देने के पश्चात् तुरन्त वह उठकर चले जाते हैं और उनमें हिम्मत नहीं है कि उन्होंने जो कहा है उसका जवाब भी सुन सकें। यही बुनियादी सवाल है कि किस प्रकार से वह प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं।

माननीय राज्यपाल ने चुनाव के विषय में पहले उल्लेख किया कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने निष्पक्ष चुनाव कराये। निष्पक्ष चुनाव कराने का ही परिणाम है जिसे सब जानते हैं। राम सेवक यादव जी के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। वह लोक सभा के पुराने सदस्य भी रहे हैं। वह जानते होंगे और अपने दिल व कलेजे पर हाथ रख कर सोच सकते हैं कि प्रदेश की जनता ने किस प्रकार का फैसला दिया है। विरोध पक्ष को विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली की कमी है, खाद की कमी है, गल्ले की कमी है इन सब कमियों से ऊब कर जनता शासन पक्ष को छोड़कर विरोध पक्ष को सत्ता सौंप देगी, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि वह भ्रम में हैं। जिस जनता को वह निरक्षर कहते थे, यह संज्ञा देते थे कि वह बे पढ़ी लिखी है मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि भले ही वह स्कूल व कालेज में न पढ़ी हो लेकिन चुनाव के बाद उसने यह साबित कर दिया कि इतना वह समझती है कि इस प्रदेश के पिछड़ेपन को, प्रदेश की जटिल समस्याओं को सुलझाने की शक्ति केवल कांग्रेस पार्टी के अन्दर ही है। विरोध पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के इतिहास को सारा विश्व जानता है, कांग्रेस के नेतृत्व को सारा विश्व जानता है और देश की तथा प्रदेश की जनता यह भलीभांति जानती थी कि देश में स्वतंत्रता लाने के लिये तथा देश का निर्माण करने के लिये पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कितना अथक प्रयास किया और उसी बुनियाद पर उसी लीक पर उनकी पुत्री इन्दिरा जी भी चल रही हैं और उस आधार पर उनका भी एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से हमारा देश आगे बढ़, किस तरह से देश से गरीबी दूर हो, पिछड़ापन दूर हो। जनता यह भी जानती है कि विरोध पक्ष

[श्री धर्मवीर]

ने समस्याओं को उभाड़ कर जले में नमक छिड़कने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। चौधरी साहब दलबदल की बात पर कहते हैं कि एक नया दल उन्होंने बनाया। उन्होंने कटाक्ष करते हुये कहा कि सौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली। यह सही है। बहुत से लोग जब यह सोचते हैं कि उन्होंने जिन्दगी भर बहुत ज्यादा खुराफातें की हैं, पाप किये हैं तो उनमें कोई काबा जाता है, कोई काशी जाता है। इस तरह से वह 22 वर्षों तक चूहे खाते रहे सत्ता में बैठ कर और जब देखा कि अन्त समय आ गया है तो काबा और काशी जाने की बात सोचने लगे।

एक आक्षेप उन्होंने यह भी लगाया कि बहुमत होते हुये कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा क्यों दिया? मैं भी यह जानना चाहता हूं सन् 1968 में वह बहुमत में थे जब गुप्ता जी की सरकार को गिरा कर वह मुख्य मंत्री बने, तब बहुमत उनके साथ था फिर क्या वजह थी कि 1968 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यदि राम सेवक यादव जी अखबारों को देखें तो उनको ज्ञात होगा कि यह उनका बयान निकला था कि अगर उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई उच्छृंखल, गैर जिम्मेदार तथा अराष्ट्रीय पार्टी है तो वह सोशलिस्ट पार्टी है और इसी दल की वजह से वह सरकार नहीं चला सकते। दूसरी ओर राजनारायण साहब ने उलटा जवाब दिया इस्तीफा देने के बाद कि चौधरी साहब चेयर सिंह हैं, चरण सिंह नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से देश तथा प्रदेश की जनता से कहता हूं कि आज जिन समस्याओं के साथ इन्दिरा सरकार और कांग्रेस सरकारें चल रही हैं अगर गम्भीरता के साथ विरोध पक्ष उनका साथ दे तो निश्चय ही देश आगे जायगा और गरीबी दूर होगी, लेकिन विरोध पक्ष ऐसा न करके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता है। मेरा उससे नम्र निवेदन है कि गुजरात तथा बिहार की धमकी दे कर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार चुनाव में उनके मनसूबे चकनाचूर हुये हैं उसी प्रकार इस सम्बन्ध में भ उनके मनसूबे चकनाचूर यहां की जनता कर देगी। यह जनता की भलाई की दुहाई देते हैं, उत्तर प्रदेश में गुजरात और बिहार वाली वारदात कराना चाहते हैं। यह वह उत्तर प्रदेश है जिसने देश को नेतृत्व दिया है, दिशायें दी हैं, देश को आगे बढ़ाया है। इस प्रदेश की जनता जानती है कि हमें किसके साथ रहना है (लाल बत्ती होने पर) अधिष्ठात्री महोदया, मैं तो अभी कुछ भी नहीं बोला हूं और आपने लाल बत्ती कर दी। मुझे 2 मिनट का मौका और दें।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट मिलेगा।

श्री धर्मवीर--

मैं आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों और प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि वे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ लें और पढ़ने के बाद हमारी उपलब्धियों को देख लें कि हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में कितने निर्माण कार्य किये हैं। इस बात को हमारे विरोध पक्ष के लोग भी जानते हैं और जो सदस्य हार गये हैं वे भी जानते हैं। कितनी सड़कों का निर्माण हुआ, कितने ट्यूबवेल लगाये गये, नहरें सिंचाई योजनाओं के लिये बनाई गईं, कारखाने लगाये गये। आज बिजली की कमी की बात कही जाती है। इस बात को सारा प्रदेश जानता है कि हमारी बिजली रिहन्द डैम पर ही निर्भर करती है और उसी थरमल पावर के आधार पर ही बिजली मिलती है। हमारे पास और कोई साधन नहीं है। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिये हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती न्दिरा गांधी ने अभी बुलन्दशहर में एक आटोमिक बिजलीघर बनाने का शिलान्यास किया है। जितनी भी आज समस्यायें प्रदेश के सामने हैं उनका समाधान विरोध पक्ष के पास नहीं है, यह प्रदेश की जनता जानती है। अधिष्ठात्री महोदया, मैं कुछ नहीं कह पाया। बजट के दौरान समय मिलेगा तो कहूंगा किन्तु अन्त म विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह

के पास येन केन प्रकारेण प्रदेश की जनता की भलाई का कोई तजुर्बा नहीं है । इस कुर्सी से उस कुर्सी में आना ही इनका काम रह गया है । अभी 28 तारीख को राज्य सभा का चुनाव होनेजा रहा है उससे पता चल जायेगा । यह जो बी0 के0 डी0, एस0एस0पी0 और मुस्लिम मजलिस का एलायन्स है उसकी तिकड़म से प्रदेश की जनता को खाई की तरफ ले जायेगी । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया ताकि मैं अपनी बातें माननीय सदस्यों के सामने रख सकूं । अच्छा होता यदि मैं नेता सदन को बधाई देता किन्तु गवर्नर के वक्तव्य में समाजवाद नामक कोई शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया गया है, गरीबी हटाने की बात का प्रयोग नहीं किया गया है । मैं चाहता था कि प्रदेश की 9 करोड़ जनता के प्रतिनिधि यहां बैठकर विचार करें । गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हम पिछली योजनाओं के दौरान जिस हद तक आर्थिक विकास में पिछड़ गये हैं, उस पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश करें और उसका उन्होंने जो नक्शा दिया है वह एक ही जुमले में साफ नजर आता है । अगर उनका यह वक्तव्य पूरा सफल होता है, कार्यान्वित होता है तो क्या नतीजा निकलगा ? उन्होंने कहा कि करीब 8 फीसदी उद्योगों में विकास करके और 10 फीसदी कृषि में विकास करके हम आगे बढ़ेंगे । मैं पूछता हूं कि क्या यह समाजवाद की ओर संकेत करता है ? क्या यह गरीबी हटाने की ओर संकेत करता है ?

आज हिन्दुस्तान पिछले 25 वर्षों में सबसे पिछड़े हुये देशों में हो गया है । हमें आज प्रदेश को सबसे आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिये था और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाकर हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना चाहिये था और उसके बारे में सोचना चाहिये था । चौधरी साहब ने एक सवाल उठाया और वह यह था कि यह सरकार तानाशाही की सरकार है । जनता को इस सरकार को गिराने का अधिकार है और वह इसका इस्तेमाल हर तरह से कर सकती है । और चौधरी साहब ने कुछ छिपा नहीं रखा है । उन्होंने अपने बी0 के0 डी0 के संविधान में दिया है कि मेरा दल जिसका कि मैं सदस्य हूं उसको उन्होंने अपना दुश्मन नं0 वन बतलाया है । जाहिर है कि हम सभी जानते हैं कि कौन किसको दुश्मन नं0 वन समझता है । मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका कम्युनिज्म को दुश्मन नं0 वन समझता है और कम्युनिस्ट अमेरिका को दुश्मन नं0 वन समझता है । लेकिन उत्तर प्रदेश में श्री चरण सिंह जी की जो धारा है उसको ही हम अपना दुश्मन नं0 वन समझते हैं । जब कि वे हमारे दल को अपना दुश्मन नं0 वन समझते हैं । चौधरी साहब ने कहा है और सच कहा है कि आज जो जनतंत्र मेरे सामने है, वह शुद्ध तानाशाही का दूसरा रूप है । मैं चौधरी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि शुद्ध तानाशाही का रूप तो वह सरकार थी जिसने कि हमें नैनी जेल की अंधेरी कोठरी में बंद कर रखा था और नैनी जेल में ही मैंने सुना कि वह सरकार खतम हो गई और राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया । अगर राष्ट्रपति शासन लागू करके उस सरकार को खतम न किया जाता तो पता नहीं वह सरकार कहां तक पहुंचती । उस सरकार ने आदेश दिया था कि अब कोई राजनीतिक बन्दी नहीं होगा, उस सरकार के शासन-काल में मोदीनगर और कालागढ़ के मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया, उस सरकार द्वारा आर्डिनेंस के जरिये छात्रों की यूनियनों को तोड़ दिया गया । उस सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग को महिलाओं के अधिकारों को छीन कर उनकी जीविका तक छीन ली गयी और आज चौधरी साहब कहते हैं कि वे नेता हैं । मेरे मित्र राम सेवक यादव जो उपनेता हैं, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

प्रश्न इस बात का है कि आज तक चौधरी साहब ने यह नहीं कहा कि वे समाजवाद के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने अपने भाषण में केवल एक बात कही कि चुनाव में बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। मैं सबसे पहले संविधान की धारा 329 को पढ़कर सुना देना चाहता हूं, जो इस प्रकार है—

no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authoriy and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature.

चौधरी साहब ने अपने तीन घंटे के भाषण में कानून की व्याख्या करते हुए केवल यही कहा कि बहुत भ्रष्टाचार है। मेरे इस एतराज के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक नहीं दिया गया है, माननीय नेता सदन के स्पष्टीकरण के बावजूद कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं। चौधरी साहब ने इस हाउस को मिसगाइड किया, डेलिबरेटली मिसगाइड किया जब उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला तो दे रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, वह भ्रष्टाचार किया। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एक निर्णय है, उस निर्णय को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

"It has been pointed out that a Minister in the discharge of his duties may be required to do some acts of administration including the granting of money for the uplift of certain communities and this action of the Minister is not to be construed against him unless it can be established that there was a bargain with the voters for getting their assistance at the election." (लाल बत्ती होने पर) मुझे थोड़ा समय और दे दें। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि....

श्री अधिष्ठाता—

अभी दो मिनट और बाकी हैं। काफी सदस्यों को बोलना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आगे कहा है कि—

"The position of a Minister is difficult. It is obvious that he can not cease to function when his election is due. He must of necessity attend to the grievences, otherwise he must fail."

इसके आगे यह है कि—

"The money was not distributed among the voters directly but was given to Panchayats and the public at large. It was to be used for the good of those for and those against the candidate. No doubt they had the effect of pushing forward his claims but that was inevitable even if no money was spent but good administration changed the people's condition. We cannot therefore, hold that there was any corrupt practice." जाहिर है कि माननीय चौधरी साहब भी यह कभी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले कोई भी सरकार अपना सारा काम बन्द कर दे। अगर माननीय त्रिपाठी जी की सरकार रही होती और 5 साल तक उसे काम करने का मौका मिला होता तो आज पिक्चर दूसरी ही होती। कुछ लोगों ने चुनाव के दौरान कहा था कि चुनाव के 9—55 पर मैं मुख्य मंत्री की गद्दी संभालूंगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि अटल जी यहां आयेंगे और बहुगुणा जायेंगे। इन शब्दों को कहने के लिये मजबूती क्यों पकड़ी गयी? इस पर विचार करना होगा। इन शक्तियों ने मजबूती कैसे पकड़ी कि वे यह ख्वाब देखने लगीं कि इलेक्शन के बाद वे ही प्रदेश की गद्दी संभालेंगी। इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है? आज जो लोग यहां बैठे हैं और इसका समर्थन कर रहे

हैं उनको आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण करना होगा कि हमने क्यों इन तथ्यों को मजबूत होने का मौका दिया। इस देश में और प्रदेश में वह समय आया जब यह शक्तियां कहने लगीं कि हम सरकार बनायेंगी। क्या यह गरीबी हटायेंगे? मैं माननीय राम सेवक यादव जी की बात से इत्तफाक करता हूं। (व्यवधान)

इस बात को महसूस नहीं किया गया है कि आज तक गरीब किसानों की सेवा करते रहे हैं, उनको आपने खाद दी है, ट्रैक्टर दिये हैं, और खेती के औजार दिये हैं तो क्या वे कांग्रेस को तोड़ेंगे? यह नहीं हो सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि ....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, हम आपके द्वारा यह जानना चाहते हैं कि माननीय सदस्य पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय पूरा हो चुका है। अब कृपया भाषण समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? इस तरह से कैसे किसी की बात सुनी जायेगी? माननीय गर्ग साहब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। मैंने इस सदन में दल बदलुओं के नेता चौधरी चरण सिंह के संशोधन प्रस्ताव को भी पढ़ा और अन्य दलों के नेताओं के संशोधन प्रस्ताव पढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि उनका विवेक खत्म हो चुका है। जब मैं दिल्ली से फतेहपुर वापस आ रहा था तो मेरे जनसंघ और बी० के० डी० के मित्र मिले और उन्होंने कहा तिवारी जी इस बार फतेहपुर में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं जीतेगा। जनसंघ के सदस्यों ने कहा कि 6 में से 5 सीटें मुझे मिलेंगी और बी० के० डी० के साथियों ने कहा कि 6 में से 5 सीटें मुझे मिलेंगी और एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि जनसंघ 5 और बी० के० डी० 5 और एक कांग्रेस को मिलेगी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो फतेहपुर में केवल 6 ही सीटें निर्धारित की हैं। मुझको ऐसा लगता है कि चौधरी साहब के दिमाग में वही बात घूम रही है और वही जनसंघ के दिमाग में घूम रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे वह जनसंघ के नेता हों, चाहे चौधरी चरण सिंह हों उनके साथियों ने उनको भुलावे में रखा है और उनको प्रसन्न करने के लिये उनको गलत सूचना दी गयी। जनसंघ वालों का कहना था कि अटल जी इस बार मुख्य मंत्री होंगे और बी० के० डी० वालों का कहना था कि चौधरी चरण सिंह तो गद्दी पर बैठने वाले ही हैं, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने जो प्रजातंत्र में विश्वास रखती है उसने फैसला किया कि हम समय पर चुनाव करायेंगे और इन सबों ने सोचा कि हमें अवसर का लाभ मिलेगा। जब देश में कमर तोड़ मंहगाई है, चीजों का अभाव है उसका फायदा हमें मिलेगा। हुआ यह कि उनके जो प्रदर्शन थे वह अत्यन्त बेढंगे और खराब थे जो हमारे देश की जनता को पसन्द नहीं आये। मैं बता दूं कि हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जब फतेहपुर आई थीं तो 24 घंटे की नोटिस पर डेढ़ लाख की भीड़ इकट्ठा हुई थी, परन्तु हमारे चौधरी साहब कहते हैं कि कांग्रेस की मीटिंगों में भीड़ नहीं होती थी।

[श्री प्रेमदत्त]

उस समय जनसंघियों ने नारा दिया था कि 'खा गई शक्कर, पी गयी तेल। यह देखो इंदिरा का खेल'। लेकिन मान्यवर, चुनाव के बाद हमारा नारा था कि—

छइयो सीटें ले गयी झेल।
यह देखो इंदिरा का खेल।

जवाब यह हुआ कि फतेहपुर की 6 सीटें थीं। जनता ने फैसला किया तो छहों सीटें वह ले गई। 12 फरवरी को हमारे देश के गृह मंत्री, श्री उमाशंकर दीक्षित चुनाव अभियान में गये हुए थे और मैं बताऊं कि मीटिंग के उस अपार समूह में बी0 के0 डी0 का प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में जूते, ईंटें बी0 के0 डी0 के लोगों द्वारा फेंका गया। आप समझते हैं कि प्रदेश की जनता इतनी नासमझ है क्या? ऐसी गंदी हरकतों को बरदाश्त करके आपको कभी वोट देगी? साथियों, हम सभी जानते हैं कि इस देश ने सब कुछ बर्दाश्त किया है परन्तु अशिष्ट व्यवहार नहीं बर्दाश्त किया है। मैं यहां भी देख रहा हूं कि जब कोई बात होती है तो चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक खड़े हो जाते हैं और लगता है कि हमला करने वाले हैं। ऐसी हरकतों से आप जनता का विश्वास चाहते हैं? तो समझ लें आपको जनता का विश्वास नहीं मिल सकता है। आप विश्वास करें कि जनता आप पर विश्वास नहीं करती है।

मैं बताऊं अपने क्षेत्र की बात कि वहां पर क्या हुआ। मेरे क्षेत्र में जहां पर एक नेता जो दल बदलुओं के नेता थे उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय रूप से खड़े हुए और हुआ यह कि आप विश्वास करें कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई। ऐसा गंदा व्यक्ति जो प्रदेश के शासन को बर्बाद किये था और कांग्रेस की प्रतिभा को बर्बाद किये था और जब उसने कांग्रेस का टिकट न पाया तो उसी व्यक्ति ने निर्दलीय उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ा और उसके साथियों ने, जिन पर उनका विश्वास था, उन्होंने ही उस व्यक्ति की जमानत जब्त करवा दी।

जनता ने चौधरी साहब का प्रशासन भी देखा था। मैं स्वयं सन 1967 में जब मैं विधान सभा का सदस्य था, उस समय मैंने देखा था। चौधरी साहब अपने को दल बदलू नहीं कहते हैं। मैं चौधरी साहब से मान्यवर, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वह किस दल से आकर बी0 के0 डी0 की एक पार्टी बनाई? भगवान जाने उनके पास कौन सी डिक्शनरी है कि डिफेक्टर्स की परिभाषा वह क्या समझते हैं। ऐसी परम्पराएं इस विधान सभा में हो चुकी हैं जैसे कि आचार्य नरेन्द्र देव ने कांग्रेस छोड़ा तो उनके साथियों ने और उन्होंने असेम्बली की सदस्यता से त्यागपत्र दिये। किन्तु वैसे हमारे चौधरी साहब नहीं हैं। वह जयप्रकाश जी की बात करते हैं जो आचार्य नरेन्द्र देव की विचारधारा के मानने वाले थे।

एक सदस्य—

माननीय स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव का नाम इस तरह से नहीं लेना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जब आपको मौका मिलेगा तो आप अपने खयालात का इजहार कीजिएगा।

श्री प्रेमदत्त—

माननीय आचार्य नरेन्द्र देव किसी दल के नहीं हैं। वह राष्ट्र के हैं। मैं कह सकता हूं कि महात्मा गांधी की भांति राष्ट्र के नेता हैं, दल के नेता नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता--

बस तिवारी जी आपका टाइम हो गया ।

श्री प्रेमदत्त--

मैं आपकी आज्ञा से बैठता हूं ।

*श्री शिव चरण लाल (जिला आगरा)--

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, देश की जनता की गरीबी, भुखमरी तथा मंहगाई, बेरोजगारी होते हुए चौधरी चरण सिंह के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर सत्तारूढ़ दल तक के लोग बारीबारी से प्रहार कर रहे हैं । (व्यवधान) "सूर समर करनी करें कहिन जनावें आप-विद्यमान रिपु पाय रण कायर करें विलाप ।" वह कहावत है जैसे जोरदार और अकलमंद अपने से कमजोर रिपु से गाली गलौज कर सकता है, कायरता दिखा सकता है उसी प्रकार से आज चौधरी साहब को कहा जा रहा है जो उचित नहीं है । आज सारे देश में गरीबी और महंगाई की समस्या है लेकिन यह सरकार अपने 25 1/2 वर्ष के शासन काल में भी उसे हल नहीं कर पायी है । उनके नक्शे यहीं तक रह गये हैं । इनकी तहरीर और तकरीरों में ही इनकी स्कीमें रह गयी हैं, केवल कागज पर ही रह गयी हैं, अमल में नहीं आ सकी हैं ।

"हमें नफरत न थी अंग्रेज की कौम, सूरत से
हमें जो कुछ नफरत थी वह उसके अन्दाज हुकूमत से ।
आज अपनों की हुकूमत से रहमत हो नहीं सकती
तो अपनों की भी सूरत से मुहब्बत हो नहीं सकती ।"

श्रीमन्, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में बड़ा भारी राग अलापा गया है लेकिन हरिजनों और सड़कों के बारे में एक बात भी नहीं आ पायी है । 6 बातों को लेकर ही देश में विकास होता है । रहने के लिये मकान, खाने के लिये अन्न, पहनने के लिये कपड़ा, शिक्षा और यातायात के साधन आदि । अरबों रुपया विदेशों से सड़कों के निर्माण के लिए लाया गया लेकिन सड़कें नहीं बनीं । वे ही सड़कें बनीं हुयी हैं जो कि शाहजहां और जहांगीर के जमाने की थीं । 1962-66 तक मैं यहां रहा और बारबार इन सड़क की ओर ध्यान दिलाया लेकिन कोई गौर नहीं की गयी । एक सड़क एतमादपुर से बलदेव खदौली को जाती है । कभी इन सड़कों के लिये ध्यान नहीं दिया गया । किसानों की जमीन ली जाती है लेकिन सड़कें नहीं बन पाती हैं । 1967 में जब मैं लोक सभा में था, सार्वजनिक मंत्री को बुलाकर कहा था लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

माननीय तिवारी जी आप का दल चौधरी चरण सिंह पर बराबर प्रहार करता आ रहा है । वे हिन्दुस्तान के एक ईमानदार नेता हैं । जो बातें आपके दल वाले उनके प्रति कहते हैं वह आपको शोभा नहीं देता है । एतमादपुर से जो दौजी को सड़क जाती है, उस पर भी अभी तक कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । आपने कहा कि 1 हजार की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायगा । लेकिन इस ओर कोई सक्रिय कार्य नहीं हो रहा है । 1968 में मैंने माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह सुझाव दिया था कि मेरे क्षेत्र एतमादपुर में चावली नाम का एक गांव है जिसकी आबादी 5 1/2 हजार है उसके लिये सुना है कि 7 लाख रुपया भी मंजूर हो गया था लेकिन सड़क मन्जूर होते हुए भी अभी तक नहीं बनायी जा रही है । एक सड़क बरहन से अहारन तक गयी है । आज रेडियो पर एलान होते हैं कि एक हजार की बस्ती वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायगा लेकिन इस सड़क का निर्माण भी अभी नहीं हो पाया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवचरण लाल]

अब मैं अपने चुनाव की चर्चा करना चाहता हूं। गृह मन्त्री जी बैठे हैं। तिवारी जी से प्रार्थना कर चुका हूं। एक पत्र भी दे चुका हूं। 10 तारीख को चुनाव चल रहा था तो मैं 8---9 बजे के करीब "अमर उजाला" आगरा के प्रेस में बयान देकर जब चला तो मुझे झन्नो पर कुछ राजनीतिक कहूं या बदमाश कहूं---बदमाश होते तो मेरी घड़ी मेरे पैसे छीन जाते। तो मुझे मारा और मेरे लड़के को भी और मेरी मोटर साइकिल छीनकर भाग गये उसका अभी तक पता नहीं है---डेढ़ दो महीने हो गये। पुलिस असमर्थ हो रही है कार्यवाही करने में। साफ जाहिर है कि कोई बड़ी शक्ति उनको दबा रही है कि वह सही कदम उठा सकें। तो आपसे अपील करूंगा कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सी0आई0 डी0 पुलिस द्वारा जांच कराकर अपराधी को दंड दिया जाय और केस को उखाड़ा जाय।

अधिष्ठाता महोदय, हरिजनों के बारे में सवाल आया था कि हम हरिजनों के लिए भारी से भारी सुविधा दे रहे हैं और उनको 1,18,000 एकड़ जमीन वितरण की गयी है। तो मैं चाहूंगा कि यह समझ लें कि जमीन दी गयी है किन्तु कब्जा नहीं दिया गया है। सिर्फ कागज पर दी गई है। हमारे जिले में और मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी के न्यायालय में मामले चल रहे हैं और मुकदमों की जगहों पर हरिजनों को नहीं जाने दिया गया होगा और जमीन पर कब्जा अभी तक मिला नहीं है।

आज कुओं का मसला है। समाज कल्याण मन्त्री होंगे या मुख्य मन्त्री से ही प्रार्थना है कि आज कुओं के बारे में यह हालत है कि डेढ़ डेढ़, दो-दो मील हरिजनों की महिलायें गांव के बाहर जाकर पानी के लिए जाती हैं और फिर भी पानी नहीं मिलता। कोई ऐसी जांच की जाय कि सही हालत का पता लगे। कौन से हरिजन ऐसे हैं जो इस विषय से परिचित हैं इसका पता लगाया जाय। एक सामूहिक हरिजन कल्याण की बात कही जाती है तो कौन से हरिजन ऐसे हैं जिनका कल्याण होता है। सारे समाज का शोषित वर्ग यह है और समाज की सेवा करने वाला एक ऐसा वर्ग है जो अंग्रेजों के जमाने से दबाया गया। आज आप गांधी जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हो और आज भी हरिजन पानी और मकान को तरस रहा है। आज भंगी, चमार, मेहतर, कंजर, धानुक, धोबी जिनको हरिजन कहते हो वह सब तरह से सरकार की सुविधा से बंचित होते जा रहे हैं। उसी के एक अंग जिसे मेहतर कहते हैं मैं उसी से आया हूं और 1962 से फिर लौटकर यहां आया और आपकी सभा में बोलने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझ आज बोलने का मौका मिला। आप इन समस्याओं पर कदम उठायें, क्योंकि:—

"जबानी बात करने से हकीकत कैसे बदलेगी?"

अन्त में एक बात कह कर समाप्त करूंगा कि हमारे यहां बस स्टाप की हालत बड़ी खराब है। एक केन्द्रीय कारखाना है हजरतपुर के पास ए0 एफ0 डी0...

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)---

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठिए।

श्री अधिष्ठाता---

नहीं, उनको कह लेने दीजिये।

श्री शिवचरन लाल---

तो हजरतपुर में 4-4, 6-6 कोस दूर के लोग काम करते हैं। मेरी मांग है कि हजरतपुर में, फिरोजाबाद और टुंडला के बीच में एक बस-स्टाप बनाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद---

आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, राज्यपाल जी ने जो भाषण यहां पर दिया और मेरे दल की तरफ से जो उस पर समर्थन का प्रस्ताव आया मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल सके कि मैं इसके ऊपर कुछ अर्ज करूं, मैं एक बार उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो यहां पर विरोधी दल के माननीय नेता चौधरी चरण सिंह ने भाषण दिया। उसको सुनकर मैं हैरत में पड़ गया कि यह कोई नेता बोल रहा है या कोई जासूसी नावेल लिखने वाला बोल रहा है। इस हाउस की कुछ परम्परायें रही हैं। यहां पर त्रिलोकी सिंह और गेंदा सिंह और दूसरे लोग विरोधी दल के नेता के रूप में काम करते रहे हैं और दर्शक गैलरी से पहली बार मैं हाउस में आया हूं। उसके पहले दर्शक के रूप में उनको सुनने का मौका मिला और उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। वह बहुत से मसलों को उठाया करते थे, ऐसी बातों को उठाया जो फैक्ट्स ऐंड फिगर्स के साथ हुआ करती थीं और तब सरकार को भी उन पर विचार करना पड़ता था। लेकिन हमारे माननीय चरण सिंह जी, जिनको हमारे भाई ने बताया कि दलबदलुओं के नेता लेकिन मैं समझता हूं कि दलबदलुओं के महान् नेता रहे हैं, उनकी बातों को सुन कर मैं हैरत में पड़ गया और गोबेल्स की किताब "माई स्ट्रगल" की याद आ गयी जिसमें उसने लिखा था कि जब झूठ बोलो तो एक बार नहीं बोलो बल्कि बार-बार बोलते रहो और इतनी बार बोलो कि झूठ सच बन जाय और सच झूठ बन जाय। वैसे मुझे उनके साथ हमदर्दी है क्योंकि उन्होंने चुनाव में यह कहा था कि इस चुनाव का नतीजा निकलते ही वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनेंगे और उसके बाद भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। लेकिन जब चुनाव का नतीजा निकला तो वह मुख्य मन्त्री नहीं बने बल्कि विरोधी दल में बैठे हुए थे। विरोधी दल में बठने के बाद जिस प्रकार के असरात उन पर पड़े वह एक लाजिमी बात थी जिसका नतीजा आज हाउस में जो वह बातें कह रहे हैं उससे जाहिर है। लेकिन मैं एक और खतरे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रजातन्त्र में असेम्बलियां ही सब से बड़ा वाया मीडिया है जिनसे हम जनता से बात कर सकते हैं और अगर जनता का विश्वास इनसे हट गया तो देश के अन्दर कैसा वातावरण पैदा होगा यह सोचने की बात है। जो बातें उन्होंने कही हैं वह ऐसे ही नहीं कह दीं बल्कि बड़ी मेहनत से तैयार कर के कही हैं और उसके अन्दर सस्पेन्स पैदा किया है। यह सस्पेन्स इस बात की याद दिलाता है कि हमारा देश जब आजाद हुआ उस बीच में एशिया के बहुत से देश आजाद हुए लेकिन उन देशों में लोकतन्त्र तानाशाही ताकतों के जरिये खत्म कर दिया गया और आज इस देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतन्त्र से जनता का विश्वास खत्म करना चाहते हैं ताकि यहां भी फौजी तानाशाही कायम कर दी जाय, उनका पूरा का पूरा भाषण एलेक्शन में हुई गड़बड़ियों के बारे में था। लखनऊ का भी उन्होंने जिक्र किया। मैं लखनऊ के जिस क्षेत्र से आया हूं, पश्चिम से उसमें 22 हजार वोटों से बी० के० डी० के कैन्डीडेट को हराया था। लेकिन वह कहते हैं कि एलेक्शन में बेईमानी हुई। इस तरह की बातें कौन कह सकता है यह सोचने की बात है। यह नहीं है कि यह बातें बिना सोचे समझे कही जा रही हैं बल्कि एक फासिस्ट विचारधारा के लोग, चाहे वे किसी दल के हों, जनता के दिमाग में यह बात बिठाना चाहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आम चुनाव पक्षपात से होते हैं और जो लोग यह विचार रखते हैं इन बातों को उन दोस्तों को जो बाहर हैं खुश करने के लिए कहते हैं।

जहां तक चौधरी साहब की सरकार का सवाल है, उसमें भी हमने कालागढ़ में देखा कि उन्होंने क्या किया, मोदीनगर के मजदूरों पर क्या किया, हमने यह भी देखा कि और मसलों पर उनका एप्रोच क्या है? आप इल्जाम देते हैं कि कांग्रेस वाले प्रजातंत्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद शकील अहमद]

पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब राज्यपाल महोदय यहां पर आये तो हमने देखा कि जूतों से मेजें थपथपायी गयीं, घूंसे दिखाये गये, पर्चे फाड़-फाड़ कर राज्यपाल पर फेंके गये। यह वही टेक्निक थी जो हिटलर ने जर्मनी में हुकूमत अपने हाथ में लेने से पहले अपनायी थी। आज विरोधी दल के नेता हों या जनसंघ के नेता हों, उनका लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है। इनका विश्वास है कि किसी तरह से इस देश में आन्तक पैदा हो और यही बातें देखने में आती हैं चौधरी साहब के पूरे भाषण में। खैर हमको उसके बारे में कोई दुख नहीं है क्योंकि चौधरी साहब के बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, दुख उस वक्त होता है जब मैं सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को उनके साथ बैठा हुआ देखता हूं। जब डाक्टर लोहिया जी का आखरी समय था और जो लोग दिल्ली में उस समय उनके सामने थे उनको याद होगा कि लोहिया जी ने चौधरी साहब के बारे में क्या कहा था, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सोशलिस्ट पार्टी का समाजवाद दूसरा है और चौधरी साहब का दूसरा है। जो तकरीर चौधरी साहब की है उसमें कहीं भी सोशलिस्ट पार्टी के समाजवाद की बू नहीं आती। समाजवाद के बारे में उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। शुगर मिल के नेशनलाइजेशन के बारे म उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। जमीन के बटवारे के बारे में कुछ उन्होंने नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार गरीबी को मिटाया जाय, इसके बारे में कुछ नहीं उन्होंने कहा। उनकी सारी तकरीर इसी तक सीमित रही कि बैलेट बाक्स में यह हुआ, बैलेट बाक्स में वह हुआ वगैरह-वगैरह। अगर बैलेट में यही हुआ होता तो विरोधी दल के जो बड़े-बड़े नेता जीतकर आ जाते हैं वे एक नहीं आ पाते। हाफिज मोहम्मद इब्राहीमसाहब के समय में भी अमरोहा से आचार्य कृपालानी और डा० लोहिया जैसे आदमी जीत कर आये हैं। अगर एलेक्शन ईमानदारी से न हुए होते तो यह लोग भी जीत कर न आ पाते। चौधरी साहब भी जीत कर नहीं आ सकते थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते समय यह नहीं समझा कि इस तरह के आरोप लगाने से इसका असर क्या होगा। अगर जनता का एलेक्शन पर से विश्वास हट गया तो फिर जो वातावरण देश में पैदा होगा उसमें समाजवादी तत्व पैदा नहीं होंगे, दूसरे ही तत्व पैदा होंगे और समाजवादी तत्व मजबूत नहीं होंगे। इसलिए मैं इस असेम्बली के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि उनको सोचना चाहिए कि ऐसा कहकर वे इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं।

अब एक बात मैं लखनऊ शहर के बारे में जो सदा से ही बागों और पार्कों का शहर कहा जाता रहा है, कहना चाहता हूं। संगठन कांग्रेस और जन संघ के समय में पिछले 10 वर्षों के अन्दर शहर की तमाम सड़कें और दूकानें बरबाद हो गयी हैं। इस ओर भी सरकार को उचित कदम उठाना चाहिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठात्री महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन पेश किये गये हैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है, उसमें अवश्य गड़बड़ी हुई है। म तो कहता हूं कि सरकार उसके लिए एक आयोग बिठा दे जिससे जनता भी उसकी रिपोर्ट को पढ़ कर यह जान ले कि क्या वस्तुस्थिति है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अगर बेईमानी होती तो आप यहां कैसे आ जाते ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं आपका ध्यान गोरखपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां के एक उद्योगपति सरदार सुरेन्द्र सिंह मजीठिया हैं जिन्होंने एक देश भक्त की हत्या करवायी, और आपने (कांग्रेस) उनको यू0 पी0कांग्रेस कमेटी का मेम्बर बनाया। ऐसे-ऐसे लोग आपके प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मेम्बर हैं। हमारे जनपद में बड़े-बड़े लोग वहां के प्रभावशाली और अमीर आदमियों के यहां कई-कई बार गये और रुपयों की थैली की मांग की। यह सब हुआ और उन्होंने इस तरह से बहुत रुपया जमा किया। यह सब वास्तविकता है, किन्तु ऐसी बातों का कोई लेखा-जोखा नहीं मिल पाता है। 10 करोड़ रुपया दिया गया है। इतना ही नहीं आपने उस जनपद में जो 4—4 फैक्टरियां चलाते हैं—स्टील प्लान्ट हैं, रोलिंग मिल हैं, चीनी मिल हैं, तमाम मिलें हैं, ये सब बड़े-बड़े धनाढ्य कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए जोड़ दिये गये थे। हमारे क्षेत्र से जो श्री मधुकर दिघे जीते हैं, उनके और मेरे खिलाफ सारे मिलों के कर्मचारी जुटा दिये गये थे। 1—1 पोलिंग पर 20—20 आदमी जमे थे। जिस कांग्रेसी शासन ने 26 सालों तक बेचारे गरीब मजदूरों को सताया, उनका शोषण किया, वे बेचारे मजबूरी में 3—4 रुपये के लिए मिलमालिकों की तरफ से उनकी मदद कर रहे थे। जिनको आपने 3—4 रुपया रोज दिया है, उनसे अब आप सालों-साल हजारों रुपया, महंगाई और कर बढ़ाकर वसूल करोगे। यह बातें पूरी तरह से जनता जानती है।

आप कहते हैं कि विकास हुआ है, किन्तु मैं कहता हूं कि विकास नहीं हुआ है। जब अंग्रेज सन् 47 में भारत से गये थे, उस समय साढ़े 17 प्रतिशत सिंचाई का एरिया था। तब से अब तक सन् 74 के हिसाब को देखें, तो सन् 74 तक केवल 5 प्रतिशत सिंचाई का एरिया बढ़ा है। जहां तक पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार देने का सवाल है यह भी योजना आपकी निरर्थक हो चुकी है। आपने घोषणा-पत्र में 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की बात कही है, पता नहीं वह रिटायरमेंट के बाद की बात है या नए लोगों को देने की बात है। आपने हमेशा जनता को अन्धकार में रखा है और गलत तरीकों से चुनाव जीता है।

जन उपयोगी वस्तुओं में जो चीनी है, उसका 70 प्रतिशत हिस्सा आपने लेना शुरू किया है, केवल 30 प्रतिशत छोड़ा है। मेरा केन्द्र सरकार से मतलब है। 30 प्रतिशत तो हमें ब्लक में बाजार में मिल जाता है, किन्तु 70 प्रतिशत जो जनता में वितरित होता है, उसको आप सही तरीके से नहीं वितरित कर पाते हैं। यही खाद की हालत है। आपके जो खाद के लायसेंसी हैं, ये वही लोग हैं जो आपकी झोली भरते हैं, इन्हीं को आपने लाइसेन्स और परमिट देना स्वीकार किया है। मेरे साथी रावत जी ने जैसाकि जिक्र किया, हमारे यहां भूतपूर्व उप मन्त्री जी के कोई घर के आदमी हैं जिसमें उनके भाई का भी हाथ बताया जाता है, उन्होंने खाद का ब्लेक मार्केटिंग में गलत ढंग से वितरण कराया। इन सब गड़बड़ियों से आप इन्कार नहीं कर सकते हैं। आपने पूंजीपतियों से रुपया लेकर नाजायज ढंग से चुनाव लड़ा है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि विधवाओं और हरिजन विधवाओं को पेंशन दी जायगी। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज भी आपके निदेशालय में हरिजन विधवाओं की सैकड़ों अप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो उस पर जिले से संस्तुति भेजी गयी है वह भी गलत है। हरिजनों के प्रति आपका रवैय्या दिखावा मात्र है जोकि गलत है। मैं आपके विकास के सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैंने एक जगह पढ़ा है कि एक कांग्रेसी मिनिस्टर बरसात में कहीं भोज में जा रहे थे, बरसात का दिन था, एक बरसाती नाला था। उस को पार करने के लिए नाव नहीं थी। उन्होंने कहा कि नाप लें कि कितना पानी है। एक

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

आदमी इस किनारे से उस किनारे को गया। उसने पानी को नापा। कहीं बीस फीट था कहीं दो इंच। ढाई फीट का औसत आया उनके तीन चार लड़के थे उनका छोटा लड़का ढाई फिट से ऊंचा था, वह उससे ऊंचे थे। जब पानी में आगे बढ़ते गये तो उनका छोटा लड़का डूब गया। उन्होंने हिसाब लगाया तो सही निकला। ऐसे ही आप आंकड़ों के ऊपर बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं। उनका लड़का डूब गया। उन्होंने कहा कि क्या हमारा हिसाब गलत है। फिर जोड़ा घटाया हिसाब सही निकला। आगे बढ़े तो दूसरा लड़का डूब गया। इसी तरह से मन्त्री जी स्वयं डूब गये। (व्यवधान) एस० वी० डी० के नहीं कांग्रेस के मन्त्री थे। आप चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, कहते हैं कि दल बदलू हैं। मैं कहता हूं कि उन्होंने एक नया दल बनाया। आपके प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति के चुनाव में इतना घृणित काम पार्टी के साथ किया जो आपसे छिपा नहीं है। मैं इसके पहले भी विधान सभा में रह चुका हूं। जिस समय कमलापति की सरकार शासन में आई (व्यवधान) इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी यशपाल कपूर लखनऊ में डेरा डाले पड़े थे और विधायकों को शराब की बोतलें तक, औरतों तक को पेश किया गया। आप किस चीज को जानना चाहते हैं। रुपए की अलग-अलग थैलियां दी गयीं। विधायकों को तोड़ा गया।

(व्यवधान और शोर)

एक सदस्य—

यह झूठ बोल रहे हैं। इसका प्रमाण दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य किसी का नाम हाउस में न लें जिसे सफाई देने का मौका न हो।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं कह रहा था, जिन बुरी-बुरी बातों को आपने डाला है उसको सुनने से क्यों इनकार करते हैं?

एक सदस्य—

इन बातों को वह साबित करें जो कह रहे हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

भाषणों का स्तर ऊंचा होना चाहिए।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

आप क्या चाहते हैं? क्या इस वस्तुस्थिति से पूरा प्रदेश परिचित नहीं है? जब इस शासन के लोग इतने घृणित कार्य करके कुर्सी पर आसीन होंगे, जब ये बातें जनता के सामने जाती हैं तो आप अपना खूनी चेहरा छिपाने के लिए रुपए का प्रयोग करते हैं। आप गलत साधनों से आये हैं इससे इंनकार नहीं कर सकते। आपने सरकारी अधिकारियों को प्रोमोशन देने की बात और अन्य गलत कार्य करके आपने यह दिन प्राप्त किया है। लेकिन यह दिन ऐसे ही होंगे, यह कंटक की शैय्या है। आपको तैयार रहना होगा। जैसा अन्य भाइयों ने कहा है यहां भी वही स्थिति होने वाली है जो अन्य प्रदेशों में लगातार होती रही है। इससे सजग होकर काम करना होगा अन्यथा गलत वादों और नारों को आपने दिया है, उससे जनता में फिर जाने पर आपको दुर्दशा बरदाश्त करनी होगी। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

श्री गैरोला।

श्री अजीत सिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठात्री महोदया, मेरे ऊपर विरोधी दल से आरोप लगाये गये हैं, मुझे स्पष्टीकरण करने का समय क्यों नहीं मिलता है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय गैरोला का नाम पुकार लिया है, उसके बाद आपको समय मिलेगा।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अधिष्ठात्री महोदया, इस सदन में जो आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो दृश्य यहां पर उपस्थित हुआ, उसको मैं जीवन में कभी नहीं भुला सकता। मुझे विश्वास है चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के, इस बात को मानेंगे कि यहां पर संसदीय मान्यताओं का आदर होना चाहिये। लेकिन मुझे खेद है कि जो लोग हमारी सरकार पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि तानाशाह हैं, उन्होंने जिस प्रकार इस सदन में दृश्य उपस्थित किया वह किसी भी लोकतांत्रिक परम्परा के विरुद्ध है, यह हमारे लिये लज्जाजनक बात है और इस बात की जितनी भी निन्दा की जाय, वह सबके लिये कम होगा। दारुलशफा में 19–20 तारीख को जिस प्रकार के नारे लगाये जा रहे थे, हम लोगों ने उसको शांति से सुना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम हिंसा का जवाब हिंसा से भी देना जानते हैं। अहिंसा का मतलब कभी कायरता नहीं लेना चाहिये। यह पूज्य गांधी जी, श्री जवाहर लाल नेहरू के आदर्शों और हमारी भारतीय परम्परा है कि हम उनको सुनते रहे। मान्यवर, अगर कभी भविष्य में इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही होती है या अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इन लोगों पर होगी। यह लोग जो छोटे-छोटे बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं उनको झांसा दे रहे हैं।

मान्यवर, जब हम लोगों पर बिड़ला जी के कैन्डीडेट होने का यह लोग आरोप लगाते हैं तो यह लोग भूल जाते हैं कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, हमारी प्रधान मंत्री ने, राजाओं के प्रीवीपर्स समाप्त करने का निश्चय किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया, भूमि की सीमा बन्दी करने का निश्चय किया तो ये लोग महाराजाओं के साथ, बैंकों के मालिक के साथ, थोड़े से लोगों के साथ सरकार के विरुद्ध षडयंत्र रच रहे थे। यह हमारी प्रधान मंत्री ही थीं जिन्होंने इस प्रकार का कठोर कदम उठाकर इसको समाप्त किया और इस प्रकार उस धन से रचनात्मक कार्य किये। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी नीतियां हमारी सरकार ने बनाईं उन पर दृढ़ता के साथ चली है और भविष्य में भी चलेगी। राजाओं का प्रीवीपर्स समाप्त करना सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर था, लेकिन हमारी सरकार ने इसको किया।

मान्यवर, जब हम लोगों ने गेहूं के राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया, लेकिन जनसंघ वालों ने इसको करने में विरोध किया और किसानों से जाकर कहा कि गेहूं मत दो। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने किसी को भूख से नहीं मरने दिया। हमसे कहते हैं कि सरकार गल्ले की दुकानों पर सस्ता राशन दे। बाजार में, यहां पर और संसद में कहते हैं कि गल्ले का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये। सरकार को खरीदने का अधिकार नहीं है। ऐसे झूठों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह गैरोला]

की जितनी खिल्ली उड़ाई जाय उतना ही कम है। या तो आप राष्ट्रीयकरण के फेवर में कहें या उसके विरोध में कहें। एक ही बात करें। मैं आपके माध्यम से अपने विरोधी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वह मर्यादित ढंग से कार्य करें। मैं तो उनकी बहुत ही कद्र भी करता हूं क्योंकि लोकतंत्र में विरोध के बिना कोई सरकार नहीं चल सकती। विरोध का होना आवश्यक है। लेकिन हम चाहे सरकारी पक्ष में हों या विरोध पक्ष में हों हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये जिनसे हिंसात्मक वातावरण उत्पन्न हो। अगर आप हमारे लिये हिंसात्मक वातावरण बनायेंगे या हम आप के लिये बनायेंगे तो उससे न आप बच सकते हैं और न हम बच सकते हैं। इसलिये यह सोचना आवश्यक है कि देश के लिये क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। आप विरोध करें लेकिन स्वस्थ विरोध करें।

माननीया, हमारी सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाया गया। जब चौधरी साहब संविद सरकार में थे तो उन्होंने जो वक्तव्य दिया था वह मुझे आज भी याद है और हिटलर और मुसोलिनी की याद दिलाता है। चौधरी साहब चाहते थे कि एक बड़ा भारी आन्दोलन करके सारे प्रदेश को आग में झोंक दें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जितने दिन भी चलेगी वह सिद्धान्तों पर चलेगी और दृढ़ता के साथ चलेगी। हमारी सरकार जनता की भलाई के लिये कटिबद्ध है। मैं तो कहूंगा कि हमारी सरकार को चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि वह कितने दिन इधर बैठने वाली है। इस बात की चिंता किये बिना उसे सिद्धान्तों के साथ और दृढ़ता के साथ काम करना चाहिये। इसी में हमारी सफलता है। माननीया, चौधरी साहब ने यहां एक लिस्ट पढ़ी थी। मैं 14 तारीख को दिल्ली जा रहा था। मेरी जीप पर कांग्रेस के बैनर लगे हुए थे। मेरठ से थोड़ी दूर पर जीप से बैनर छीन लिये गये। जब उनको यह बतलाया कि मैं टिहरी का हूं तो हमारी जान बची। जीप का ड्राइवर हरियाना का था जिसका नाम रामेश्वर है। मैं उसका पता भी बतला सकता हूं। अगर चाहें तो उससे पता किया जा सकता है। 10 तारीख को मैं अपने क्षेत्र में गया। हमारे पुराने कांग्रेस के साथियों ने बैनर छीनने की कोशिश की और धमकी दी कि पांच साल तक नहीं रहने देंगे। मैं नहीं कह सकता कि यह किसके कारनामें हैं।

एक बात यह कहना चाहूंगा कि बेसिक एजूकेशन पहाड़ों में सरकार को अपने हाथ में रखनी चाहिये। इसी तरह से वहां सड़कों के निर्माण के लिये ठोस योजनायें प्रस्तुत करनी चाहिये। पर्वतीय योजनाओं का कार्यान्वयन और नियोजन भी पर्वतीय विकास परिषद् को दिया जाना चाहिये। अधिष्ठात्री महोदया, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया।

*श्री सूबेदार (जिला मिर्जापुर)—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उस पर बोलने का मुझे अवसर दिया। इस अभिभाषण में कहा गया है कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुए और इससे जनतंत्र में जनता की आस्था प्रकट हुई है। मैं आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहता हूं कि हमारे भाई लोकपति त्रिपाठी बड़ी दुहाई दे रहे थे कि चुनाव बहुत निष्पक्ष ढंग से कराये गये। जब हमारे नेता श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत टोकाटाकी की थी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सन् 71 में मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। उसमें मैं चार सीटों से जीता था और पांचवें विधान सभा क्षेत्र से हारा था। इस बार भी जब मेरे चुनाव की मतगणना चल रही थी तो मैं दस बजे ही जीत गया था। उसके बाद रिकाउन्टिंग करवाई गई। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में उसमें भी जीत गया। फिर तीसरी बार रिकाउंटिंग के लिये कहा गया। वहां जो मरकरी लाइट्स जल रही थीं वह बुझा दी गयीं और लोकपति त्रिपाठी और रुद्र प्रसाद कमरे में घुस गये, और लाठी चार्ज करवाया। हमारे जनसंघ के जो नौजवान कार्यकर्ता वहां थे उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं दस बजे ही जीत चुका था और रिकाउंटिंग में भी जीत गया था। जब तीसरी बार रिकाउन्टिंग के लिये कहा गया तो मैंने कहा कि संविधान में इसका कोई प्राविधान नहीं है। जो परिणाम 27 तारीख को घोषित होना चाहिये था वह बड़ी मुश्किल से 28 तारीख को साढ़े तीन बजे घोषित किया गया। मैं बतलाना चाहता हूं कि चाहे जनसंघ के लोग हों या किसी दल के हों उन्होंने चुनाव निष्पक्ष न होने के विषय के कहा है। शासन को चुनाव निष्पक्ष कराने चाहिये थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं इसका भुक्तभोगी हूं। चुनावों की अनियमितताओं के बारे में जो अधिकारी थे उनको बतलाया गया लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वोट चुरा लिये गये और गड़बड़ी की गई। इस चुनाव के तरीके को बदलना होगा। यह कहना कि चुनाव ठीक हुए हैं बिलकुल झूठ है। हम सभी जनता के नुमाइन्दे हैं। आज महंगाई और भ्रष्टाचर अपनी चरम सीमा पर है। कहा जाता है कि इसके बावजूद जनता ने 215 सीट कांग्रेस को दी हैं। यह अधिकारियों ने दिला दी हैं। हम लोगों ने देखा है कि कैसे अधिकारीगण सहायता करते हैं। आप लोग चुनाव में सरकारी मशीनरी पार्टी के लिये इस्तेमाल करते हैं। हमारी प्रधान मंत्राणी महोदया वहां जाती हैं और 10 मिनट तक भाषण देती हैं लेकिन फिर भी जब जनता नहीं आती तो चली आती हैं। वहां से हेलीकाप्टर से उड़ जाती हैं। आपके पास साधन हैं। वहां पर 16 लाख रुपया खर्च किया गया।

अब मैं राज्यपाल महोदय के भाषण के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मिर्जापुर के बारे में हो। वहां पर लोगों को पानी तक पीने को नहीं मिल रहा है। गल्ले की इतनी कमी है कि हरिजन पत्ती खाकर जी रहे हैं। वहां पर आप बच्चे और महिलाओं की स्थिति देख लें तो इसका पता लग जावेगा। वहां पर जनता मुसीबतों से परेशान है और कई वर्षों से सूखा पड़ रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र आना चाहिये था। आज भी वहां की स्थिति अस्त-व्यस्त है। पंचवर्षीय योजना में वहां पर बिजली लगाने की बात थी लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। सन् 1969 से मिर्जापुर के दुद्धी और राबर्ट्सगंज क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर मई में सारे कुएं सूख जाते हैं और पानी पीने को नहीं मिलता है। वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। सरकार को इसका ज्ञान है लेकिन वह आज तक वहां कोई ट्यूबवेल नहीं लगवा सकी है। इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या नदी की है। वहां पर भी शिलान्यास किया गया है। लेकिन उसको नहीं किया गया। पुल बन जाने से कलकत्ता-मिर्जापुर में सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाता जिससे बहुत सुविधायें लोगों को मिल जातीं। दुद्धी राबर्ट्सगंज में कहीं कोई सड़क नहीं है। बरसात में अधिकारियों को जाने में बहुत तकलीफ होती है। वहां पर सड़कें बननी चाहिये।

हरिजनों की बात कही जाती है। लेकिन उनके लिये पेयजल तथा मकान बनाने की कोई स्कीम वहां पर पूरी नहीं की गई। आज देहात में हरिजनों पर बड़े जुल्म किये जा रहे हैं। यह सरकार कहती है कि वह हरिजनों के लिये बड़ी जागरूक है लेकिन उनके लिये कुछ भी नहीं किया गया है। आई0सी0एस0 तथा पी0सी0एस0 का कोटा आज तक पूरा नहीं किया गया। हिन्डालको, चुर्क तथा डाला में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता नहीं दी गई और उनमें हरिजन कोई नहीं है।

बिजली की बड़ी दुहाई दी जाती है लेकिन राबर्ट्सगंज एरिया में बिजली नहीं मिल रही है। बिजली वहां काट दी गयी है। चुर्क फैक्ट्री में तो बिजली है लेकिन बाजार में नहीं है जब कि 1965 में ही बाजार वालों से पैसा जमा करा दिया था। वहां पर कोई कन्या पाठशाला भी नहीं है। उन्नेत लड़कियों को शिक्षा देने में बड़ी दिक्कत है। वहां पर कन्या पाठशाला खोली जाय।

*श्री अजीत सिंह--

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे समय दिया। प्रथम बार मैं सदन में अपने विचार रख रहा हूं। असल में मैं चौधरी साहब का बड़ा आभारी हूं। उन्होंने मेरे जिले पर कुछ आरोप लगाये, मेरे ऊपर भी आरोप लगाये और खास तौर से उन्होंने मेरी कांस्टीट्युएंसी का भी जिक्र किया। मैं उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं। मैंने उनके चरणों में बैठकर जो प्रथम पढ़ाई की थी यदि मैं उसको आपके सामने रखूं तो मुझे कबीर का दोहा याद आता है। उनके विचार उसी तरह के होते थे "रोड़ा होय जो वार का तज मन का अभिमान।" माननीय चौधरी साहब ने यह सबक दिया प्रथम श्रेणी में कि सेवक बनो और गरीब जनता की सेवा करो रोड़ा बनकर नहीं। बड़े बनकर नहीं। समय गुजरा। आखिर इन्सान ऊंचा होता है, थोड़ा पढ़ता है। हमको भी पढ़ाई का अवसर मिला। इन्दिरा जी ने सबक दिया 'रोड़ा भया तो क्या भया पान्दी का दुख दे, हरिजन ऐसा चाहिये जो धरनी को खे।' यह शब्द सुनकर मैंने यह महसूस किया इन्सान चाहे जितना ऊंचा हो जाय लेकिन उसको अपने जन साधारण की भूल प्राप्त करनी चाहिये। यह श्रद्धा मेरे मन में उनकी बात सुनकर पैदा हुई। यह सबक था जो प्रथम श्रेणी के टीचर को देना चाहिये था। विरोधी दल के नेता के नाते जो कुछ भी शब्द उन्होंने कहे हैं मैं उनको अपने विचार से निराधार साबित करने की चेष्टा करूंगा। मैं आज भी उनके चरण छूकर बोलने वालों में हूं।

चौधरी साहब उस इलाके में बहुत मशहूर हैं। मैंने सदन में भी महसूस किया कि अनेक प्रकार की बातें उनके संबंध में हुईं। हम भी उनका गुणगान करें। उन्होंने इलेक्शन के प्रति बहुत बातें कहीं कि इलेक्शन में बेईमानी हुई है, बैलेट बाक्सेज को बदला गया, बोट्स नाजायज डाले गये। उसका जवाब हमारे नेताओं ने दिया। कि उनके अनुयायी कैसे हारे। हम क्यों जीते और वे क्यों हारे। इसके संबंध में मैं दो एक बातें उनके सामने रख दूं। मैं तो चौधरी साहब के सामने एक तिल के रूप में हूं। लखनऊ शहर वाले तो इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि खुशबूदार तेल कैसे बनता है। ये लोग गुलाब के फूल के रूप में अपनी कांस्टीटु-एंसी में काम किये और मैं उस गुलाब के फूल के बीच में तिल के समान था। इस तरह जीत करके मैं आया। मैं हैरान हो गया जब चौधरी साहब ने कम्प्लेन पेश की। लगभग 2,900 वोट उनके अनुयायी को मिले और मुझे 28,000 वोट मिले। वहां पर एक कांग्रेस (संगठन) के कंडीडेट भी थे श्री कैलाश प्रकाश जो कि यह चाहते थे कि सरदार जी हार जायं इसलिये उनको खड़ा करवा दिया गया था। लेकिन उन्हें महसूस होना चाहिये कि मुझे शेरनी (इन्दिरा) ने वहां से खड़ा किया था सरदार कभी हार नहीं सकता था। इन्दिरा जी की साड़ी से मेरी गुलाबी रंग की पगड़ी की तुलना की गई। जनता ने मुझे चुनकर भेजा। क्योंकि हमने जात-पांत को खतम करने का नारा दिया था और तब वोट मांगे थे। ये धरती का विभाजन चाहते थे। बहरहाल, उनकी स्कीम कामयाब न हो सकी। कैलाश प्रकाश को 8,000 वोट मिले। इन्होंने जनता को भड़काया कि इन्दिरा चरखा कात रही हैं, इसको वोट दो। इन्दिरा के नाम पर भी वोट मांगने की कोशिश की गई। ये दूसरों पर आरोप लगायें यह ठीक बात नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं--

रोड़ा हुआ तो क्या भया,
पांदी को दुख देय,
हरिजन ऐसा चाहिये,
जो तरनी को खे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में चौधरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई । पहले तो उनकी तरफ से वोटिंग के पहले खूब तकरीरें हुईं लेकिन जब काउन्टिंग का मौका आया तो उन लोगों ने यह धारणा जमाना शुरू किया कि पोलिंग में गड़बड़ी हुई है। जब वोटों का एक बक्सा खोल कर तख्त पर रखा गया ताकि उसकी काउंटिंग शुरू हो तो वे कहने लगे कि बहुत से जाली वोट पड़े हैं, इसलिये हम सत्याग्रह करेंगे और जेल जायेंगे। बक्सों में आग लगा कर जला देंगे ताकि ये फिर से दोबारा वोटिंग हो। उनका कहना था कि कैम्प में आग लगा देंगे, तभी दोबारा एलेक्शन हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) ।

श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है और उसके विरोध में नेता विरोधी दल का जो प्रस्ताव है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बातों को आपके माध्यम से हाउस के सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, सत्ता की तरफ से यह तर्क किया जाता है कि हमने जनता के बीच में बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इसलिये हम सत्ता में फिर से आये हैं। विरोधी दल की तरफ यह सवाल किया जाता है कि आपने जनता का मत नोटों से और गलत रास्ते को अख्तियार करके प्राप्त किया है। ये दोनों प्रकार की बातें हाउस में चल रही हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं उपनेता सदन से यह निवेदन करूंगा कि आप राज्य कर्मचारियों की हड़ताल को देखें, चाहे वे किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, आखिर वे क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं ? इतने अर्से से वे अपनी भावनाओं को सरकार के सामने क्यों रख रहे हैं ? इसलिये कि उनके घरों में रोटियों के लाले पड़े हैं। जो तनख्वाह उनको दी जाती है वह तनख्वाह अगर वे अपने संबंधित परिवार पर खर्च करें तो उससे वे भरपेट खाना नहीं खा सकते हैं, वे इसलिये प्रदर्शन करते हैं कि भूखों मर रहे हैं। वे इस सरकार से मांग करते हैं कि उनको इतनी तनख्वाह दी जाय कि उनके चूल्हे में भी आग जले। आज ये अपनी बड़ी लायल्टी दिखला रहे हैं कि जनता ने जो इनको वोट दिया है वह इनकी लायल्टी को देखकर ही दिया है और इसलिये वे सत्ता में आयें हैं ।

मान्यवर, यह कितने दुख की बात है कि इस प्रदेश में अपनी मिलिटरी और पी0ए0सी0 के बीच आपस में संघर्ष हो, खूंरेजी हो। खूंरेजी करे और मौत के घाट उतारे तो यह सरकार कैसे जनता के सामने अपने चेहरे को सच्चाई के रूप में रख सकती है ।

मान्यवर, विरोधी दल के लोगों को मालूम होता है कि यहां पर दो तरह की सरकार बैठी है। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और दूसरी गांधी जी की लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार। इन दोनों सरकारों को विरोधी दल कैसे उत्तर दे यह समझ में नहीं आ रहा है। विरोधी दल के लिये भीखालाल जी कहते हैं कि यह प्रतिक्रियावादी दल है। जब राष्ट्रपति गिरि का चुनाव हुआ था तो कम्युनिस्ट पार्टी उसमें अपना सहयोग दे रही थी। आज इस सरकार ने जो जन विरोधी नीति कायम की है वह मिडिल क्लास एवं सर्वहारा वर्ग के लिये मौत के घाट उतार रही है। यह सरकार विरोधियों को प्रतिक्रियावादी दल कहती है। आज विरोधी दल के लिये यह संकट उपस्थित हो गया है कि वह कैसे इस सरकार को जवाब दे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज किसान की हालत क्या हो रही है ? यहां सदन में बिजली दिखाई देती है । लेकिन बाहर किसान के खेत में बिजली की कमी होने के कारण उसकी गेहूं की फसल सूख रही है । अगर उसका इकलौता बेटा मर जाता तो उसको वह

[श्री रघुवीर—]

संतोष कर लेता लेकिन अपनी फसल को सूखने से नहीं बचा पा रहा है । उसमें बड़ा असंतोष फैला हुआ ह । आज 12 घंटे पानी न देकर केवल साढ़े चार घंटे पानी दिया जाता है । उसमें भी 10-12 दफा लाइन कट जाती है । इसलिये आज किसान मजदूर और राज्य कर्मचारी सभी इस सरकार से असंतुष्ट हैं । आपने ईमानदारी से वोट प्राप्त नहीं किये हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने जो चार्ज लगाया ह वह बिलकुल सत्य है । आज भीखालाल का दल हमारे दल को प्रतिक्रियावादी कहता है और वह इस सरकार के सत्ता में आने पर सरकार को धन्यवाद नहीं देता है बल्कि जनता को दता ह । अगर सरकार को धन्यवाद देगा तो लोग कहेंगे कि यह भी सरकार में शामिल है । इसलिय वह सरकार को धन्यवाद न देकर जनता को धन्यबाद देता है । जनता को धन्यवाद देने का अर्थ होता है कि यह इस सरकार को धन्यवाद देते हैं । आज हम देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता कांग्रेस का समर्थन कर रही है ।

दूसरे मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे निकट आजमगढ़ जिले में एक पावर हाउस मऊ नाथ भंजन में है जिसमें 4 टरबाइन हैं । उनमें से केवल एक चालू है । प्रत्येक से 15 मैगावाट बिजली पैदा की जा सकती है । 3 बन्द पड़े हैं और एक चालू है । अगर चारों चालू कर दिये जायें तो आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और बस्ती की जो फसल बरबाद हुई है उसको बचाया जा सकता था । लेकिन सरकार का उधर ध्यान नहीं है ।

मान्यवर, आज कहा जाता है कि हरिजनों के उत्थान के लिए प्रयास किये जा रहे ह । उनके लिय बस्तियां बनाई जा रही हैं । लेकिन आज आप कहीं भी चले जाइये तो एक भी बस्ती देखने को नहीं मिलेगी । बस्ती नहीं पाखाने तैयार किये गये हैं । आज हरिजन जो जानवरों के गोबरहा निकलता है उसे खाते हैं जिसे कुत्ते तक नहीं खाते हैं । यह सरकार यही सब कर रही है । आज सरकार लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है । आज यह सरकार अपने को समाजवादी कहती है और हरिजनों की ओर कोई ध्यान नहीं देती है । यह पूंजीपतियों की सरकार है, समाजवादी सरकार कतई नहीं कही जा सकती है । आज हम देखत हैं कि चाहे डाक्टर हों, इंजीनियर हों, राजकर्मचारी हों सभी वर्ग के लोग हड़ताल कर रहे हैं । इसका क्या कारण है ? लोग रोटी के लिये सड़कों पर मारे-मारे घूम रहे हैं । लेकिन यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

क्या माननीय चौधरी चरण सिंह पूंजीवाद के खिलाफ हैं ?

श्री रघुबीर—

जी हां । चौधरी चरण सिंह पूंजीवाद के बिलकुल खिलाफ हैं । मान्यवर मैं 62 में चुनकर आया, 67 में चुनकर आया (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मेरा समय बढ़ा दिया जाय । मैं चाहूंगा कि 2–4 मिनट का समय और दे दें । तो मान्यवर यह हमारे भाई गर्ग जी पूंछ रहे हैं कि क्या चौधरी चरण सिंह समाजवाद में आस्था रखते हैं । चौधरी चरण सिंह आपकी तरह समाजवाद की हत्या नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बता दूं कि चौधरी चरण सिंह की समाजवाद में आस्था है लेकिन यह पूंजीवादी सरकार है जो अपने को लोकतंत्र में आस्था रखने वाली बताती है । उसकी समाजवाद में आस्था नहीं ह । उसका समाजवाद सच्चा समाजवाद नहीं है । चौधरी चरण सिंह अपने को समाजवाद के रास्ते पर ले जाना चाहते ह । उनका समाजवाद सच्चा समाजवाद ह और उस रास्त पर चौधरी चरण सिंह जी चलकर समाजवाद लाना चाहत हैं । उन्होंन निकल कर अपना एक दल बनाया ह और

वह एक बहुत बड़े दल के नेता हैं । मान्यवर, इस तरह की बातें करते हैं । श्रीमन्, मेरा समय समाप्त हो गया है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया (जिला कानपुर)—

मान्यवर, ...

एक सदस्य—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं (व्यवधान)

श्री राम औतार सिंह भदौरिया—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन के विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । (व्यवधान) उनको मैं अपने क्षेत्र के बारे में विशेष तौर से बताना चाहता हूं जो उन्होंने परसों अपने भाषण में यह आरोप लगाया था कि सरसौल निर्वाचन क्षेत्र में प्रिजाइडिंग आफिसर ने रिकाउंटिंग नहीं होने दी और रायबरेली में जो रिकाउंटिंग हुई है, तीन बार उसके संबंध में बताया उन्होंने । उनके एक प्रत्याशी ने एक प्रार्थना-पत्र दिया । वह प्रार्थना-पत्र पढ़कर सुनाया गया । लेकिन बड़ी सफाई के साथ सही तथ्यों को उन्होंने लिखने से मुंह मोड़ा । उस पर जो उन्होंने प्राप्ति का समय लिखा है वह सब मैं लिये हूं । उसमें बिलकुल साफ लिखा है । जो दरख्वास्त किसी आरोप के संबंध में पेश की जाती है उसमें, दरख्वास्त की तारीख होती है, और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं और प्राप्ति की तारीख लिखी होती है । हमारे चौधरी साहब ने एक तो गलत बयानी यह की कि उनके प्रत्याशी ने दरख्वास्त दाखिल की उनके प्रत्याशी चौधरी रामगोपाल सिंह साहब पंडाल से बाहर हार मानने के बाद चले गये थे और उनका जो एलेक्शन एजेंट था श्री शशिभूषण सिंह (व्यवधान) का लड़का उसने सारी काउंटिंग हो जाने के बाद तथा प्रिजाइडिंग आफिसर के हस्ताक्षर हो जाने के बाद रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप तो यह सब उनके बारे में कह रहे हैं । आपको जो कहना है अपने बारे में कहिये ।

श्री रामऔतार सिंह भदौरिया—

(व्यवधान) रिजल्ट शीट पर हस्ताक्षर प्रिसाइडिंग आफिसर बना चुके थे इसलिये रिकाउंटिंग का आदेश नहीं कर सकते थे । उनका हस्ताक्षर 28–2–74 का था । तो यह बात चौधरी साहब ने इस सदन के सामने नहीं पेश की । इन तथ्यों को उन्होंने छिपाया है जिनके वह दोषी हैं । तो इसमें मैं उनके खिलाफ इस सदन में गलत बयानी करने के लिये एवं तथ्यों को जानते हुए छुपाने के लिए एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इसको आप अलग से दे सकते हैं ।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे श्री यादवेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के ऊपर यहां बोलने का स्वर्ण अवसर दिया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

इस विषय के संबंध में माननीय चरण सिंह जी के भाषण को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत दुख भी हुआ। कुछ इन्टरेस्ट भी आया क्योंकि भाषण क्या था हजार दास्तान थीं अलिफ लैला की कहानी थी। शुरू से लेकर मनगढ़न्त बातें और उपन्यास की तरह से बातें कही गयीं। मैं समझती हूं कि चौधरी साहब को पालिटिक्स छोड़कर उपन्यास के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिये। उससे उनको संसार भर में ख्याति प्राप्त होगी और इसके लिये मैं उन्हें अपनी शुभ कामनायें देती हूं। उन्होंने जो आंकड़े पेश किये, उनमें कितनी सच्चाई थी, वह अभी आपने देखा। गर्ग साहब ने किताबें खोल कर, उनसे अंशों को पढ़कर उनको झूठ साबित कर दिया। उन्होंने जो आंकड़े पेश किया था, उनको भी हमारे साथियों ने अपने भाषणों में निराकरण किया। ऐसे ऐसे प्रार्थना-पत्र, झूठे प्रार्थना-पत्र, जो केवल रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लायक थे और 12 आने सेर की रद्दी में बिक जाते, यहां पर पढ़ कर उनकी ओर से सुनाये गये। मुझे बड़ा दुख हुआ कि 3 1/2 घंटे हमारे विरोधी दल के नेता बोले। हम रेगिस्तान के मैदान में ढूढ़ते रहे कि कहीं पानी या राहत की चीज नजर आये लेकिन नहीं आया। उन्हें बताना चाहिये था कि भविष्य के विषय में हमें क्या करना है, कैसे हमें अपने जीवन का निर्माण करना है, कैसे अपने मजदूरों को ऊंपर उठाना है, राष्ट्र को ऊपर उठाना है। किस प्रकार से रोशनी की ओर बढ़ना है इसका तनिक मात्र भी संकेत उन्होंने अपने भाषण में नहीं किया है। हमें तकलीफ हुयी उनके भाषण को सुनकर। अगर माननीय नेता विरोधी दल कुछ सुझाव देते, इस अंधकार के युग में कहीं से हमें कोई रोशनी मिलती तो हम मिल जुल कर देश के निर्माण की बात सोचते और अगर वे समाजवाद की ओर 2 कदम बढ़ाते तो हमें 3 बढ़ाते और अगर वे 3 कदम बढ़ाते तो हम 4 बढ़ाते। इसमें हमारा कम्पटीशन हो जाना चाहिये, यह पार्टी सिस्टम है। यह पार्टी सिस्टम नहीं है कि हम समाजवाद की ओर कदम उठाते हैं तो विरोधी दल के नेता गला घोटना चाहते हैं।

माननीय चौधरी साहब ने जो संशोधन पेश किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वे प्रजातंत्रवाद नहीं चाहते हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो कल, परसों मैंने जो उनसे स्पष्टीकरण मांगा था, उन्हें उसका क्लेरिफिकेशन दे देना चाहिये था लेकिन आज तक मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि वे क्या चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आप किस प्रकार का मथड चाहते हैं वायलेंस या नान वायलेंस या वे हिटलरशाही चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अगर वे यह चाहते हैं कि देश में डिक्टेटरशिप हो तो हिटलर की तरह से सामने आकर कहें कि वे प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते हैं और अगर हैं तो जो बात उन्होंने अपने संशोधन में लिखी है कि किसी भी प्रकार अर्थात् हर प्रकार के तरीकों से इसको उखाड़ फेंकने का अधिकार होगा वे नहीं होनी चाहिये।

चुनाव के बाद उन्हें सबसे बड़ा दुःख यह हुआ कि मैं जीतकर आ गयी। चौधरी साहब महिलाओं, स्त्रियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और सबसे बड़े विरोधी हैं। मैं कहना चाहती हूं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर राजनैतिक क्षेत्र में क्यों आयी। आज भारत की 25 करोड़ महिलाओं का माननीय चरण सिंह और माननीय सी० बी० गुप्ता जैसे नेताओं पर से विश्वास उठ गया है। भारतीय क्रान्ति दल के नेता का कहना है कि एक महिला, जिसे उन्होंने रसोई धारण की उपाधि दी, 11 हजार वोटों से कैसे जीत कर आ गयी। इसको वह बरदाश्त नहीं कर सकते हैं इसलिए तरह-तरह के आरोप लगाते हैं। मेरे ऊपर, एक महिला के ऊपर, क्या बीती है? सब बातें मैं इस सदन में नहीं कहना चाहती हूं। मेरे दिल में इस कदर तकलीफ है, मैंने क्या-क्या नहीं बरदाश्त किये? मेरे खिलाफ विरोधी पार्टियों ने क्या-क्या साजिशें नहीं कीं। मैं मामूली सी बातें बताती हूं, बड़ी बातों को छोड़ कर। कुछ बातों को मैं नहीं

कह सकती हूं। किस तरह से मुझे प्रेशराइज करके बैठने के लिये मजबूर किया, लेकिन मैं नहीं बठी, नहीं बठी। मैंने साफ कह दिया कि भल ही गोली मेर सामने तनी हो, मैं इस क्षेत्र से पीछ नहीं हटूंगी चाह पराजय हो जाय। जैसे गीता में लिखा है—

"सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।"

सुख-दुख, लाभ-हानि, जय-पराजय यह एक ही सत्य के दो रूप हैं, जैसे दिन-रात एक ही साइकिल के दो रूप ह। जय को पकड़ो नहीं, पराजय को त्यागो नहीं और फिर क्षेत्र में आओ। जय-पराजय की चिन्ता न करके क्षेत्र में आयी। मन सोचा जय की ममता नहीं पराजय से द्वेष नहीं, किस चीज को पकड़ूं? धर्म को पकड़ा, वही मरे साथ रहेगा और कुछ नहीं और मैंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। यह इलेक्शन जो महिलाओं की सीट का हुआ, जो भाइयों की मदद से लड़ा गया है इसमें किसी प्रकार का अधर्म नहीं हुआ है, मैं यह विश्वास दिलाना चाहती हूं। न हमारी महिलाओं के पास शराब की बोतल थीं, न रुपयों की थैलियां थीं, न राशन के परमिट थे। आप मेहरबानी करके देख लीजिये, मेरे विरुद्ध बड़े-बड़े प्रत्याशी और महारथी खड़े हुए थे जिनके पास स्पिरिट की दुकानें थीं, अलग-अलग नाम से राशन की दुकानें थीं। मेरे पास क्या कोई स्पिरिट की दूकान थी। जब स्पिरिट की दुकानें होंगी तो कितनी बोतलें बांटी गयी होंगी? यह इलेक्शन जो जीता गया है तो कहा गया कि हमको तो बल्कि यह मालूम था कि इलेक्शन हम हार रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, क्योंकि इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट है, क्योंकि सी० आई० डी० की रिपोर्ट है। यानी चौधरी साहब सी० आई० डी० और इंटेलीजेंस के दृष्टि-कोण से चीजें देखेंगे। लेकिन हम तो जनता से सम्पर्क रखते हैं। अगर चौधरी साहब ने जनता से सम्पर्क रखा होता तो पता चल गया होता। वैसे तो हर आदमी जो इस चुनाव के क्षेत्र में आता है या जो रेस कोर्स में, घुड़-दौड़ में आता है तो यही समझता है कि मैं जीतूंगा। सभी यही सोचते हैं। लेकिन चौधरी साहब को यह समझना चाहिये कि जब हिटलर ने रूस पर हमला किया तो क्या कभी सोचा था कि मैं हारूंगा। इसी तरह से चौधरी साहब ने सोचा था कि मैं जीतूंगा। लेकिन धर्म किसके साथ था? धर्म उसके साथ था जिसके साथ समाजवाद का नारा था, जिसके साथ जनता की आशाएं थीं, जनता का भरोसा था, जिस पर जनता को आस्था थी। मैं जानती हूं कि जनता हमसे नाराज थी कठिनाइयों की वजह स, लकिन एक बेटा मां से रू जाता है। पर जब क्राइसिस का टाइम आता है, जब कोई कठिन समय आता है, कोई परिवार पर मुसीबत आती है तो बेटा दोस्तों को छोड़ कर मां के अंचल और चरणों में आ जाता है। इसी तरह से आज 9 करोड़ जनता, अपनी रूठी हुई जनता आपको कांग्रस पार्टी के चरणों में आकर गिरी कि उसको वह माफ कर दें। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वह इसलिए हारे कि चौधरी साहब के पास या और विरोधी पार्टियों के पास कोई प्रोग्राम नहीं था कि जनता को किस तरह ऊंचा उठाना है या जनता को पूंजीपतियों के चंगुल से किस तरह निकालना है और अर्थ-व्यवस्था को रिलीज करना है गंगा की धारा की तरह, जैसे भगीरथ ने गंगा की धारा को प्रवाहित किया था।

कहा गया कि हमने चन्द पूंजीपतियों को अपने कब्जे में रखा है। लेकिन उनके पास कोई भी प्रोग्राम नहीं था। केवल एक प्रोग्राम था—इन्दिरा हटाओ। इसीलिये वह हार गया और हम इसीलिये जीते कि हमारे पास, इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है उसका प्रोग्राम था, समाजवाद का प्रोग्राम था। हमने जनता के सामने यह प्रश्न रखा था कि इस समय इसका प्रश्न नहीं ह कि गेहूं एक रुपये किलो बिक रहा है या दो रुपये किलो बल्कि प्रश्न तो इस समय यह है कि हम समाजवाद चाहते हैं या डिक्टेटरशिप। तब जनता ने समझा कि हमें किस तरफ चलना है और मैं कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहती हूं कि अगर वह पूर्ण रूप से समाजवाद नहीं लाती है और पूंजीवाद नहीं हटाती है तो इस राष्ट्र को ऊंचा नहीं उठाया जा सकेगा। समाजवाद की तरफ हमको तेजी से कदम बढ़ाना है। जनता को यह विश्वास था कि यही एक पार्टी ह जो रक्तहीन क्रान्ति के जरिये से, शान्ति से, वह

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---]

शान्ति जिसका स्वप्न आज से ो हजार वर्ष पहले ईसा मसीह ने देखा था, वह स्वप्न जो आज से ढाई हजार वर्ष पहले बुद्ध ने देखा था, जो स्वप्न गांधी जी ने देखा था उस शान्ति क जरिये से हम कितनी बड़ी शान्ति लाना चाहते हैं। जनता ने इसीलिये हमको वोट दिया। हमने घर-घर जाकर यह प्रोग्राम बताया। इसी लिये जनता ने एक नहीं, दो नहीं, आठों सीटों पर हमें जिता कर इन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत किये। हमारे पास कोई स्प्रिट की बोतलें नहीं थीं और न परमिटें थीं। हमारे पास इन्दिरा गांधी का प्रोग्राम था। (इन्हें बिठा दीजिये की आवाज) विरोधी दल के नेता को साढ़ तीन घंटे मिले थे और एक महिला को अपनी पूरी बात कहने का भी मौका नहीं देना चाहते।

एक बात मैं चौधरी चरण सिंह से कहना चाहती हूं। वह इस समय यहां हैं नहीं लेकिन जो उनकी अदृश्य आत्मा यहां मौजूद है उससे मैं कहना चाहती हूं कि 25 करोड़ नारियों के लिये उन्होंने क्या किया? इसका नमूना है महिला मंगल योजना की कई हजार नारियों को नौकरी से उन्होंने निकाल दिया और उनसे कहा कि आपका स्थान घर में है। तो बी0 के0 डी0 में जो एक-दो नारियां आयी हैं वह किस घर से आयी हैं? रसोई बनाने वाली औरतें यहां पर आयी हैं और जब औरतों ने आब्जेक्शन किया तो उन पर लाठियां चलायी गयीं। चौधरी साहब कहते हैं कि इन्दिरा गांधी ने केवल 15 मिनट भाषण दिया। हमारी प्रधान मंत्री का टाइम फालतू नहीं है। 15 मिनट में अगर वह गागर में सागर भर सकती हैं, 15 मिनट में ही अगर बादल की घनघोर घटायें बन कर सब के ऊपर छमाछम बरस सकती हैं, लाखों का जीवन बन सकती हैं तो उन्हें घंटों बोलने की क्या जरूरत है?

(व्यवधान)

(माइक बन्द होने पर)

मैं एक बात और कहना चाहती हूं.... (व्यवधान)

एक सदस्य---

घर से क्या झगड़ा करके आयी हैं?

एक सदस्य---

अमीनाबाद में एक सभा कर लीजिये, वहां बोलने के लिए काफी समय मिल जायगा

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आपका समय अब समाप्त हो गया है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और इसमें और जल्दी की जानी चाहि । महिलाओं के लिए जो रसोई बनाने का आरोप लगाया तो वह अधिकार हम अपना आपको देने वाले नहीं हैं, न देंगे, लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध अवश्य करना चाहूंगी कि आज महिलाओं के जीवन को ऊपर उठाने की अत्यन्त आवश्यकता है और उसके लिए कोशिश की जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

*श्री मलखानसिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण की बहस में भाग लेने के लिए जो आपने मुझे अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार की बहस इस अभिभाषण पर यहां चल रही है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसाकि कोई कम्पटीशन यहां पर चल रहा है और मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है—'चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच आ साबुत बचा न कोय'। आज कांग्रेस और विपक्ष रूपी दो पार्टियों के बीच में गरीब जनता पिस रही है। जनता की सही बात को सुनने-समझने की भी कोशिश आज किसी ने नहीं की। हम लोग आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाये गये हैं, मगर परपम्परागत। पहले भी ऐसे ही अभिभाषण पढ़े गये हैं और उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव भी पेश हुआ है और पास हुआ है। इस सबके बावजूद नैतिकता नाम की भी कोई चीज दुनिया मे है। उस नाते जनता की सही तकलीफों को दूर करने की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये। मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा। आज प्रदेश में अशिक्षा, गरीबी, असमानता और नाना प्रकार की परेशानियां व्याप्त हैं। इसके बावजूद एक आडम्बर है और आडम्बर इतना है कि सरकारी पक्ष की ओर से जो बातें कही जाती हैं उनका लेशमात्र भी पालन नहीं होता, एक अंश भी उनका पूरा नहीं किया जाता।

इस अभिभाषण में कई जगह हरिजनों को जमीनें देने की बात कही गयी है और यह कहा गया है कि उनको रहने के लिए मकान भी दिये गये हैं और मैं आपके सामने हकीकत रखूं। मेरे जिले में जो जमीनों के पट्टे हरिजनों को दिये गये थे, उनका आज तक उस पर कब्जा नहीं हो पाया है। मेरे क्षेत्र में 46 पट्टे हरिजनों के निवास के लिए दिये गये थे, किन्तु आज तक उनमें से एक पट्टे पर भी उन लोगों को दखल नहीं दिलाया गया है। जब सरकार हरिजनों को जमीन देती है, तो साथ ही में उसका यह भी दायित्व है कि वह देखे कि दिये गये पट्टों पर उनको दखल मिल रहा है या नहीं। जो हरिजनों को दिया जाना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, इतना ही नहीं हमारा अपमान भी हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण तक में हमारे लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया है, जोकि हम लोगों के लिए अपमानजनक है। हमारे लिए सही शब्द 'अछूत' या 'अनुसूचित जाति' ही है और उसी का प्रयोग सब जगह सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। बार-बार हमारे साथ 'हरिजन' शब्द का प्रयोग करके ये हमारा अपमान करते हैं और हमें जनता की नजरों से गिराने की कोशिश करते हैं। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि हमें जो शब्द सम्बोधित किया जाय, उसमें वही शब्द इस्तेमाल किये जायें, जो संवैधानिक शब्द हैं। मुझ कोई ज्यादा नहीं कहना है, इस पर तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से दिग्गज लोग बोलेंगे।

आखिर चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियां हुई हैं, जिनका इतना बड़ा जिक्र आया, मैं कहता हूं कि इस सब में चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव के तरीके का ही पूरा दोष है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार चुनाव के लिए ऐसा तरीका अपनाये जिससे किसी को भी बेईमानी करने का मौका न मिले। जब किसी को बेईमानी और पक्षपात करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की आशंकायें नहीं होंगी। इसलिए चुनाव प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे चुनाव में कोई धोखाधड़ी न की जा सके।

अब मैं आपके सामने अपने प्रदेश की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। सबको न रखकर केवल बिजली की ही समस्या रखना चाहता हूं। इस समस्या का दायित्व किस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलखान सिंह—]

पर है, यह हमें देखना है। हमारे क्षेत्र के हिस्से में जो बिजली आती है, वह निर्धारित समय पर हमें मिलती रहे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वह भी नहीं हो पाता है। हमारे यहां विद्यार्थियों की परीक्षा हो रही है, और परीक्षा हेतु पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए—मिट्टी का तेल चाहिए। लेकिन वह नहीं मिल रहा है, बिजली और मिट्टी का तेल दोनों नहीं मिल पा रहे हैं। तो परीक्षा भी उनकी नहीं होनी चाहिए। यह सरकार का दायित्व है, जब उनसे आप परीक्षा लेते हैं, तो उनको बिजली और रोशनी की व्यवस्था भी करनी चाहिए जब चुनाव हुए, तब तमाम बोरियां वहां सीमेण्ट की गिराई गईं, किन्तु वह सीमेंट जनता को मिली नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो बोरियां गईं, उस सीमेंट को तहसीलदार महोदय ने अपने दलालों और रिश्तेदारों को ही दिया। सीमेंट के स्टाकिस्ट ने तहसीलदार से परमिट बनवाया, किन्तु उसने अपनी दुकान बदल कर दूसरी जगह रख ली। इन तमाम समस्याओं का कारण भ्रष्टाचार है। आज इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि आज देश में और प्रदेश में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की वजह से तमाम जनता को कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। भ्रष्टाचार हम सब में है और उसका कुपरिणाम जनता को भोगना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार दूर करने में सरकार का क्या बिगड़ता है, वह मेरी समझ में नहीं आता है। इससे सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा।

सरकार का एक दायित्व है, उसको अपने दायित्व को निभाना चाहिये, सरकारी मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। भ्रष्टाचार की वजह से यह हमेशा से होता है कि लोगों को मुहइया होने वाली चीजें नहीं मिल पातीं। सरकार ने बहुत देने के लिए वादा किया था, चाहे सीमेंट हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, या हरिजनों को वजीफा या रोजगार की चीज हों लेकिन वास्तव में जनता को चीज नहीं मिल पा रही है। सरकारी मशीनरी भ्रष्ट है। वह निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसी भ्रष्ट मशीनरी को, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कायम किया है, उनको हटायें, भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाय ताकि आगे लोगों की हिम्मत न हो। मेरा निवेदन है कि सारी समस्याओं का एकमात्र हल यह है कि हमारी सरकार सरकारी मशीनरी से भ्रष्टाचार खत्म करे। तो तमाम दिक्कतों को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। उसके बाद सरकार को हम बधाई देंगे, अगर भ्रष्टाचार खत्म किया। हम सरकार से गुरेज नहीं रखते। आज हम विपक्ष में हैं, कल हम सरकार में आयेंगे और विपक्ष में आयेंगे। जनता को जो चीज मिलनी चाहिए वह मिले। सरकार को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिये। मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं सदाचरण करूंगा। मैं इस समय ज्यादा न कह कर आगे कहूंगा। सरकारी मशीनरी में जो भ्रष्टाचार है चपरासी से लेकर तहसीलदार और बड़े-बड़े अधिकारियों तक वह खत्म कराया जाय इसके लिए हम बार-बार आग्रह करेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय रघुवीर राम, माननीय झिलमिट, माननीय रामजी, माननीय धरम राम की है, प्रदेश के पूर्वी जिलों में बिजली की कटौती के कारण संकट के सम्बन्ध में नियम 52 में मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं इनका भी नाम जोड़ दिया जायगा। दूसरी सूचना माननीय धर्मपाल सिंह की है—सासनी में पाले से फसल को क्षति। इसको भी मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और यह जोड़ दिया जायगा। माननीय शिवनाथ सिंह कुशवाहा, माननीय हरिकेवल प्रसाद, कानपुर के रिवर साइट पावर हाउस तथा नगरवासियों के लिये कोयले का अभाव है। इसको सरकार मानती है यदि कोयले के अभाव की स्थिति प्रदेश में व्यापक

हो जायगी तो जैसा पाले के बारे में तय किया, उसके बारे में वक्तव्य दिलवा ेंगे। गोरखपुर के फरेन नाला में डिस्टिलरी का पानी गिरने से उत्पन्न गड़बड़ियां। यह अविलम्ब कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है, जैसाकि माननीय सदस्य चाहते हैं, यह सूचना माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद और माननीय शारदा प्रसाद के नाम से थी। श्री हरिकेवल प्रसाद, देवरिया में बड़ी गंडक का पानी छोटी नदी व नालों में गिराये जाने के कारण फसल को क्षति। यह कार्यवाही का विषय है इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें माननीय सदस्य माननीय शिवसम्पत हिन्दुस्तान अल्म्यूनियम कारपोरेशन रेणूकूट के कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल इसको अस्वीकार किया है। इसका सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है। (श्री सूबेदार के कुछ कहने पर) पहले आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें। इस पर चर्चा की आवश्यकता होगी तो चर्चा दे देंगे। आप यह जानते हैं कि सरकार की इसमें सीधे जिम्मेदारी नहीं है।

श्री सूबेदार (जिला मिर्जापुर)—

इसका उत्पादन से सम्बन्ध है। उत्पादन कम होगा। लेबर कमिश्नर को भेज कर दिखवा लें।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

यह बहुत अहम मसला है। शान्ति व्यवस्था का भी सवाल बन गया है। आप मौका दीजिये बहस का।

श्री अध्यक्ष—

दूसरे सवाल हैं जिनका सीधा सम्बन्ध है, वह भी जरूरी है। एक दिन में कितने स्वीकार करें? अभी इसको नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं इसे कार्यवाही के लिए भेज दूंगा।

सातवां, श्री लक्ष्मी प्रसाद ने बांदा के विकास खण्ड, मनिकापुर जनता अन्न भाव के कारण भूख से पीड़ित है, इसके सम्बन्ध में सूचना दी है। इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें क्योंकि यह एक जगह का मामला है।

एक सदस्य—

नियम 51 के अन्तर्गत जैसा आपने कहा था, मैंने लिखकर दे दिया। हमारे जिले में विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। नारायण नदी में पानी छोड़कर लाखों लोगों को बेघर-बार कर दिया था और फिर से अबकी बार उन्हीं अधिकारियों ने पुनः यही हाल किया है जिससे सारी फसल डूब गई है....

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें। शासन के जो उत्तर आवें और उससे आपको सन्तोष न हो, तो फिर देखा जायगा। चूंकि यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित नहीं है इसलिए मैंने अस्वीकार किया है।

आठवां, सर्वश्री मोहन लाल कपूर, श्री नारायण, अवधेश कुमार, ने प्रदेश के विगत पी० ए० सी० बगावत की प्रतिक्रिया के बारे में सूचना दी है। पी० ए० सी० की प्रतिक्रिया पर यहां बहस कराने की कोई जगह नहीं है। इसलिए इसको अस्वीकार किया गया है।

नौवां, सर्वश्री गजाधर प्रसाद तथा बाबू लाल वर्मा ने विधायक निवासों के आवंटन में तथाकथित धांधली के सम्बन्ध में नोटिस दी है। इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है जैसा मैंने सुबह ही कह दिया।

[श्री अध्यक्ष]

दसवां, सर्वश्री अब्दुल बाकी, एवं जफर आजमी ने दो सूचनायें, पहली बिजली के अभाव में बन्द पड़े पावर लूम के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह सम्बन्धित मन्त्री जी को कार्यवाही के लिये भेज दी गई है। प्रदेश में बिजली के अभाव वाली नियम 52 को सूचना के साथ जोड़ दिया जाय। इसकी सूचना सूत के दामों में वृद्धि के संकट के सम्बन्ध में है इसको भी सम्बन्धित मन्त्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के किये भेज दिया गया है।

बजट साहित्य के वितरण सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

इससे पहले कि वित्त मन्त्री जी अपना प्रस्ताव रखें मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को बजट की कापियां नहीं मिली हैं उनके लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

"हां" कक्ष से महिला सदस्यायें, उत्तर काशी, टेहरी-गढ़वाल, पौढ़ी-गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ के जिले, अपनी-अपनी बजट प्रतियां प्राप्त करेंगे।

"नहीं" कक्ष से बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून जिले तथा ए०सी०० पाइस सस्दय महोदय अपनी-अपनी बजट प्रतियां प्राप्त करेंगे।

1973-74 के अनुपूरक अनुदान

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1973-74 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

1974-75 का आय-व्ययक

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1974-75 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करता हूं।

नयी सरकार को गठित हुये केवल तीन सप्ताह के लगभग हुये हैं और यह स्वाभाविक है कि बजट विषयक मामलों पर विस्तारपूर्वक विचार करने में कुछ समय लगेगा, विशेषतया इस कारण कि बजट वर्ष पंचम पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होगा। परन्तु बजट वर्ष में चालू सेवाओं और योजनाओं के लिये, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की उन योजनाओं को सम्मिलित करते हुये जो चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्ध हो जायेंगी, व्यय हेतु धनराशि की आवश्यकता वर्ष प्रारम्भ होते ही पड़ेगी। अतः मैं, एक अन्तरिम बजट प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके द्वारा संविधान की धारा 206 के अन्तर्गत चार महीने की अवधि के लिये लेखानुदान की सहमति प्राप्त की जा रही है। अंतिम बजट, जिसमें नयी मदें और योजनायें शामिल होंगी बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।

जैसा इस प्रकार के अवसरों पर भूतकाल में होता आया है, एक वार्षिक विवरण-पत्र बनाया गया है जिसमें लेखानुदान के प्रयोजन के लिये आवश्यक सूचना दी गयी है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत श्वेत पत्र में प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति के सामान्य मूल्यांकन के लिये आवश्यक सूचना भी दी गयी है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 1974–75 से बजट की एक नयी वर्गीकरण प्रणाली अपनायी जानी है। यह प्रणाली भारत सरकार के उस निर्णय के अनुकूल है जो प्रशासकीय सुधार आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप गठित की गयी टीम की रिपोर्ट के अनुसार लिया गया है। सरकारी कार्य-कलापों की उद्देश्यपूर्ण समीक्षा, राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के आवंटन की सराहना, लेखा वर्गीकरण और योजना के विकास शीर्षकों में अधिक सामञ्जस्य होना और 'प्रोग्राम' तथा 'एक्टीविटी' वर्गीकरण का विकास—ये ध्येय टीम के सामने थे। अंतिम बजट प्रस्तुत करते समय मैं इस बारे में कुछ और विस्तार में जाऊंगा।

जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त छठे वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1973 में प्रस्तुत कर दी थी। वित्तीय संक्रमण के बारे में आयोग की संस्तुति केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर ली है। आयोग की संस्तुति के अनुसार 1974–79 की अवधि में उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय करों के विभाज्य समुच्चय में से 1150 करोड़ रु0 तथा संविधान की धारा 275 के अन्तर्गत 198.83 करोड़ रु0 के अनुदान मिलेंगे। केन्द्रीय ऋणों के भुगतान की अवधि भी बढ़ा दी गयी है जिससे उपरोक्त अवधि में राज्य सरकार को लगभग 150 करोड़ रु0 का कम भुगतान करना पड़ेगा। ये सुविधायें हमारी आशा से कम रहीं फिर भी यह जाहिर है कि हमारी आवश्यकताओं को सराहा गया है। यह उल्लेखनीय है कि ऋणों के प्रतिदान की समस्या को पहली दफा वित्त आयोग को प्रस्तुत किया गया था और आयोग ने इस भार में कमी की संस्तुति की।

1974–75 के अंतरिम बजट अनुमानों में 621.84 करोड़ रु0 राजस्व प्राप्ति और 138.53 करोड़ रु0 पूंजी लेखे (ऋणों को शामिल करके) में प्राप्ति शामिल है, जबकि राजस्व तथा पूंजी व्यय क्रमशः 605.21 करोड़ रु0 तथा 173.85 करोड़ रु0 अनुमानित है। इस प्रकार, पूरी अनुमानित प्राप्तियां पूरे अनुमानित व्यय से 18.69 करोड़ रु0 कम है। बजट के अन्य वर्गों में सम्भावित लेन-देन को हिसाब में लेकर वर्ष के अन्त में अनुमानित घाटा समग्र-रूप से 23.57 करोड़ रु0 है। व्यय के उपरोक्त अनुमानों में राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये 182.89 करोड़ रु0 है (16.29 करोड़ रु0 राजस्व व्यय और 166.60 करोड़ रु0 पूंजी व्यय) वास्तव में 1974–75 के लिये आयोजनागत परिव्यय फिलहाल 270.71 करोड़ रु0 है। शेष आवश्यक प्राविधान नयी योजनाओं के लिये बाद में प्रस्तुत होने वाले अन्तिम बजट में किया जायगा। 1974–75 की वार्षिक आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता लगभग 75 करोड़ रु0 ऋण और 32 करोड़ रु0 सहायक अनुदान कुल मिला कर 107 करोड़ रु0 प्राप्त होने की आशा है जिसमें से 49 करोड़ रु0 ऋण तथा 20 करोड़ रु0 सहायक अनुदान कुल मिलाकर 69 करोड़ रु0 इस समय मोटे तौर पर हिसाब में लिये गये हैं।

यह अन्तरिम बजट आगामी वित्तीय वर्ष की वास्तविक स्थिति दिग्दर्शित नहीं करता है जो कि अंतिम बजट के प्रस्तुत होने पर स्पष्ट होगी। संयोगवश, यह उल्लेखनीय है कि आयोजना के वि पोषण की दृष्टि से पंचम पंचवर्षीय आयोजना काल में योजना आयोग ने इस प्रदेश से 25त्तकरोड़ रु0 के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की अपेक्षा की है। शासन इस प्रश्न पर विचार कर0हा है और तदनुसार एक कर जांच समिति का गठन उपयुक्त सुझाव देने के लिये किया गय र। इस समिति के अध्यक्ष देश के प्रख्यात अर्थ विशेषज्ञ, डा0 डी0 टी0 लकड़वाला होंगे।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि लेखानुदान के प्रयोजन के लिये किसी विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता नहीं है और इस अवसर पर मैं सदन का और समय नहीं लूंगा। मुझे आशा है कि सदन इस अंतरिम बजट को स्वीकृति प्रदान करेगा।

महोदय, मैं 1974-75 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

1974-75 के एक भाग के लिये लेखानुदान

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग के लिये लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय सदस्य अपनी-अपनी कापीज ले लें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव--(क्रमागत)

श्री काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के भाषण पर अपने विचारों को रखने का अवसर दिया है। मैं जो प्रस्ताव श्री यादवेन्द्र सिंह ने रक्खा है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हर चुनाव एक इम्तहान होता है और इस इम्तहान में बहुत कम लोग पास होते हैं। मैं भी एक बार हारा हूं और तीन बार जीता हूं। जब हारा था तो एक घंटा पहले मैं दोस्तों से कह रहा था कि मैं हार गया। मेरे चेहरे पर खुदा के फजल से कोई फर्क नहीं आया था। मुझे दुःख है कि हमारे प्रान्त में इलेक्शन में इस बार कुछ बड़े लोगों ने वह प्रथा चला दी जिसकी हम लोगों को पैरवी न करने के लिये मजबूर होना पड़ा, हालांकि उनकी बात की हमको पैरवी करनी चाहिये थी। जो प्रथा इन लोगों ने इलेक्शन के सम्बन्ध में चलाई है उसकी पैरवी न करना हमारे लिये उचित होगा। श्रीमन्, इलेक्शन के दौरान जो फिजा थी वह आपके सामने है। विरोधी दल यह समझता था कि किसी कीमत पर इस बार कांग्रेस इलेक्शन नहीं जीत सकती। अब उनका कहना है कि हुकूमत बदल गयी इसलिये कांग्रेस जीत गयी। त्रिपाठी जी चलते रहते और जीत गये होते तो यह कहा जाता कि भ्रष्टाचार हुआ, गड़बड़ी हुई। फिर कहा जाता है कि 272 आदमी थे फिर राष्ट्रपति शासन क्यों किया गया? एक वाकया हो गया बहुत ही दुखद। बहादुरी के साथ त्रिपाठी जी ने सरकार छोड़ दी और राष्ट्रपति शासन हो गया। हमारा बहुमत था, हम सरकार बना सकते थे। लिहाजा हमने फिर सरकार बनाई। यह भी हमको इस बार मालूम हुआ कि नेता चुनें तो विरोधी दल से राय ले लें कि किसको नेता चुनें क्योंकि यह आरोप लगाया गया कि बाहर का आदमी क्यों नेता चुना गया? मैं बतला दूं कि हमारी पार्टी के लोगों ने एक मत से बिना किसी किस्म के एख्तिलाफ के हमने एक आदमी को अपना नेता चुना और उसने एक बड़ी भारी कुरबानी देकर इस काम को अपने हाथ में लिया और किस को मालूम था उस समय कि हम बहुमत में आ कर इस प्रदेश में फिर अपनी सरकार बनायेंगे? विरोधी दल को कम से कम यह मालूम था कि ऐसा नहीं होगा।

मैं थोड़ा अपने क्षेत्र की बाबत कहना चाहूंगा। मैं चार इलेक्शन लड़ा हूं। इतनी धांधली मैंने किसी इलेक्शन में नहीं देखी। जैसी इस बार विरोधी दल की ओर से हुई। रास्ता चलना मुश्किल था। विरोधी दल के लोग तरह-तरह से आतंक फैलाये हुए थे। बड़ी खुशी है कि मेरे जिले से जनसंघ के नेता जीत कर आये। उनका भी ख्वाब यह होगा कि बस्ती से वह 8-10

सीटें लेंगे लेकिन 14 में से 10 सीटें हम लेकर आये, 3 सीटें जनसंघ को मिलीं और एक धपले में बी० के० डी० को चली गयी। नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में बस्ती जिले की धांधली का जिक्र नहीं किया क्योंकि धांधली उधर से थी, इधर से नहीं थी। उस समय सरकार हमारी थी, मैं मंत्री था लेकिन मेरा चलना मुश्किल था। मेरी मोटर को हरिजनों की बस्ती में घेर लिया गया। ट्रैक्टर तथा मोटर दोनों तरफ से लाकर भिड़ा दिये गये लेकिन मैंने महात्मा गांधी के उसूल पर अमल किया। पौन घंटे घेरे रहे। उनका आतंक बर्दाश्त करता रहा और सब कामयाब हुआ। मोटर तथा ट्रैक्टर हटे तो रास्ता निकला और तब जाकर मैं निकल पाया। इस तरह की चीजें बर्दाश्त कीं और इसीलिये कामयाबी हुई। आतंक फैलाने के कारण ही विरोधी पक्ष हारा। इलेक्शन में पब्लिक हमको देखती है कि हमारा क्या रवैया है ?

कांग्रेस सरकार ने सब काम अच्छे किये ऐसा मैं नहीं कहता। मुझे दुख है कि हरिजनों की जमीन एलाट करने के आदेश दिये गये, लेकिन इलेक्शन में जब हम घूमने लगे तो यह जान कर दुख हुआ कि हमारे आदेशों के बावजूद अधिकारियों ने हरिजनों को पूरा एलाटमेंट नहीं किया। मकान बनाने के लिये जमीन दी गई लेकिन बड़े-बड़े लोगों के दबाव में आकर ऐसी जगह दी गई जहां पर कि वे मकान नहीं बना सकते थे और जहां बन सकते थे वहां बड़े आदमियों ने कब्जा कर रखा था। हम यह सब बात देखते रहे। इन्हीं मुश्किलात में पिछड़े हुये लोग हमारे पास सहारे के लिये आये क्योंकि उन्हें आशायें थीं कि हमारी तरफ से उनके साथ न्याय होगा और उनकी परेशानियां दूर होंगी। मैं उसी दिन से समझने लगा कि गरीबों की हमदर्दी, हरिजनों की हमदर्दी हमारी कांग्रेस को हासिल है। वे समझते हैं कि उनके ऊपर विरोधी पार्टी के लोग आतंक किये हुये हैं। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में जब कि मैं साढ़े दस हजार वोटों से जीता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे विरोधी जन संघ के उम्मीदवार होली मिलने के बहाने मेरे गांव में गये और उन्होंने कहा कि आप रंग की होली खेलेंगे और हम खून की होली खेलेंगे। इस तरह से हमारे खिलाफ कार्य किया गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे गांव में 3 ट्रक आदमियों से भरे उनके साथ वहां गये और उन्होंने भोली-भाली जनता के ऊपर जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था, लाठी तथा ढेले फेंकवायें। मैं उस दिन वहां मौजूद नहीं था। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव के लोगों ने उसे बर्दाश्त किया और झगड़ा नहीं किया ; हारने के बाद भी हारे उम्मीदवार के जिन्दाबाद के नारे लगाये गये। फिर भी गांव के लोगों ने बड़ी हिम्मत और सब्र से काम लिया और किसी प्रकार की अप्रिय घटना उन्होंने नहीं होने दी। ऐसी स्थिति में कोई भी घटना वहां घट सकती थी। इतना ही नहीं, हमारे हरिजन भाइयों को मारा भी गया, उनके खेतों को काट लिया गया। इस सब की रिपोर्ट वहां थानों में मौजूद है। 12—13 मुकदमें 3—4 दिन के अन्दर कायम हुये। इतना सब होते हुये भी हमेशा कांग्रेस को वोट मिलता है, इसका क्या कारण है, इसे उन्हें सोचना चाहिये। हमारा निजाम समाजवादी निजाम है, गरीबी हटाओ का निजाम है और उसे हम अमल में भी ला रहे हैं, हम गरीबों की रक्षा करते हैं। वे समझते हैं कि हमारे दुखों की कौन पार्टी परवाह करती है, कौन हमारी जरूरियात को पूरी करती है। इस पार्टी के मुकाबले कोई दूसरा दल नहीं है जो कि उन्हें सहारा दे सके। इसी लिये हमारे दल के लोगों को वोट मिलता है और हम कामयाब होते हैं। क्या ये चीजें चौधरी साहब देखते नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष के लोगों ने जो समाजवाद का नक्शा यहां खींचा है, मेरे गांव के किसान का बेटा जिसने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जैसा संशोधन प्रस्ताव पेश किया उस संशोधन प्रस्ताव के बारे में जब मैं सोचता हूं और सरकारी पक्ष के लोगों की

[श्री हरि केवल—]

बातों को सुनता हूं । तो मेरे मन में एक चिन्ता जगती है कि क्या समाजवाद का असली नक्शा यही है? देवरिया, गोरखपुर और बस्ती तथा समूचे प्रदेश की झोपड़ियों में रहने वाले किसानों को सरकार ने नोटों की थैली दी लेकिन आज उनको देने के लिये बिजली नहीं है। आज सारा प्रदेश गरीबी की भट्ठी में जल रहा है। हर जगह चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे स्कूलों के अध्यापक हों, पुलिस परिषद् के कर्मचारी हों, जब उन्होंने अपनी मांगों की बातें कीं तो सैकड़ों जेल भेजे गये, कितनों को मारा-पीटा गया और उनमें से बहुत से आज भी जेलों में बन्द हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आज लखनऊ के अन्दर ही बड़े-बड़े आफिसरों के ऊपर तो बहुत ध्यान दिया जाता है लेकिन जो सिपाही हैं, या छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज पूरे प्रदेश में लाखों रुपया किसानों का चीनी मिल वालों पर बकाया है। सरकार गन्ने का दाम निर्धारण करने की बात तो करती है लेकिन उसमें भी वह भेदभावपूर्ण बर्ताव करके गन्ने का दाम कतई नहीं बढ़ाती। अगर सरकार गन्ने का दाम नहीं बढ़ा सकती तो फिर चीनी का दाम वह क्यों बढ़ाती है? चूंकि नोटों की थैली सत्ताधारी दल को चीनी मिल मालिकों से मिलती है इसलिये वह गन्ने का दाम नहीं बढ़ा सकती। सरकार चीनी का दाम बढ़ा कर चुनाव के लिये लाखों, करोड़ों रुपये लेती है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की चीनी मिलों व जूट मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कही है। उसी तरह से पुलिस परिषद् को मान्यता देने की बात भी इसमें नहीं है, जब कि मान्यता मिलनी चाहिये। आज प्रदेश में कमरतोड़ महंगाई बढ़ रही है। हमारे देवरिया में ही दो रुपये बोतल मिट्टी का तेल व तीन रुपये किलो तक गेहूं मिल रहा है। डीजल व खाद के लिये जब किसान गांव से देवरिया जाता है तो उसको खाद के बदले डंडा मिलता है। जब वह बिजली की मांग करता है तो उसे बिजली नहीं मिलती जिसकी वजह से उसे सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पाता और पानी के अभाव की वजह से फसलें सूखती हैं।

आज सरकारी पक्ष के लोग कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने जो भ्रष्टाचार की पोल खोली वह केवल कुर्सी के लिये खोली है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चुनाव में किस-किस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं। मेरे देवरिया जिले की ही एक मिसाल है कि हरिजनों के बसने के लिये जमीन देने की बात थी जिसकी चर्चा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है लेकिन कितने हरिजनों को जमीन मिली इसकी कोई गारंटी नहीं दी गई है। बसने के लिये जमीन मिलने की बात तो दूर है, मौके पर जिनके नाद हैं, खूंटा है, घर है, वह भी उसके नाम से नहीं है। जिन गरीब लोगों के पास पहले से जमीन नहीं थी उनको बिलकुल जमीन नहीं दी गई है। हरिजनों को जमीन देने के लिये इस समाजवादी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। हमारे इलाके जिला देवरिया के सलेमपुर में जो गांव के बड़े-बड़े हरिजन लोग हैं उन्हीं को जमीन दी गई है। मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि क्या यही समाजवादी सरकार इसी तरह देश में समाजवाद लायेगी।

यह हालत हो रही है कि जो गरीब और हरिजन लोग बड़े लोगों की बेगार करते हैं वह तो ठीक है, जो लोग बेगार नहीं करते उनसे कहा जाता है कि वे लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जायं। उनको उनके घर से जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। वह बेचारे अपने घर छोड़ देने को मजबूर होते हैं। क्या यही इस सरकार का समाजवाद है? मैं चाहूंगा कि यह सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे बेगार लेना बन्द हो जावे। जिला देवरिया और पूर्वांचल में यही चीज देखने में आ रही है और लोग मजबूर होकर अपने घर छोड़कर दूसरे गांवों में चले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चकबन्दी का सवाल है। मैं जिला देवरिया के जिस इलाके से आया हूं वह सलेमपुर क्षेत्र है। वहां की जनता की आवाज कभी नहीं सुनी गई। मैं

चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं कि सलेमपुर तहसील में एक बरडीहा गांव है। जहां के रहने वाले सीतारामसिंह जी ने ए० सी० ओ० से कहा कि उसके मूल नम्बर पर चक होना चाहिये। उससे एक हजार रुपया लेकर ए० सी० ओ० चला गया और उसका चक बिगाड़ दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि उसका हार्ट फल हो गया और वह गरीब बिचारा दुनिया से ही चला गया। आज हमारे यहां देवरिया जिले में चकबन्दी में लोगों को लूटा जा रहा है।

हरिजनों की जो आबादियां हैं वे पानी से वंचित हैं। उनको पीने को पानी नहीं मिल पाता है। यह सरकार कहती है कि हमने ऐसे आदेश निकाले हैं कि हरिजन बस्ती में पानी मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद हरिजन बस्तियों में पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या इसी तरह से इस देश में समाजवाद लाया जायेगा ?

हमारे यहां जो बीज लोगों को बांटा जाता है तो वह ऐसे समय में बांटा जाता है जब किसान अपने खेत में पानी देता है। जनवरी के महीने में किसानों को बीज बांटा जाता है। उस समय किसान बो चुका होता है। यह देखने में आया है कि छोटे-छोटे किसानों को बीज नहीं मिलता है, बड़े-बड़े किसानों को ही बीज मिलता है, जो किसान 10/15 एकड़ के हैं उनको ही बीज मिलता है। जो एक एकड़ के किसान हैं उनको बीज नहीं मिलता है। यह हमारा समाजवादी शासन है।

जब मैं देवरिया से चुनकर यहां आया। जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने वहां पचासों लड़के बैठे देखे। मेरे पूछने पर कि तुम लोग क्यों आये हो ? उन लोगों ने कहा कि हम को राजमंगल पांडेय जी, परिवहन मंत्री ने नौकरी दी है और परवाना मिलने पर हम लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे।

देखिये चुनाव में किस तरह से घपलेबाजी की गयी है। दिसम्बर महीने से लेकर 28 फरवरी तक कसिया क्षेत्र में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। वोट पाने के लिए लोगों को स्कूटर एवं फिएट के परमिट दिये गये, डालडा दिया गया और सीमेंट दिया गया, यह सब चीजें क्यों दी गईं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय परिवहन मंत्री को चुनौती देता हूं। मैं यह फिर दुहराना चाहता हूं कि परिवहन मंत्री श्री राजमंगल पांडेय जी के निर्वाचन क्षेत्र कसिया में कितने ही लोगों को स्कूटर के परमिट, डालडा, सीमेंट आदि दिये गये हैं। यह सब किस लिये किया गया ? बात साफ है कि यह सब चुनाव जीतने के लिये किया गया। दूसरे लोग, दूसरी जगह के गरीब किसान, मजदूर खाद और पानी के लिए व्याकुल थे उनकी बातें नहीं सुनी गईं अगर यह बात सही है तो राजमंगल पांडेय को इस्तीफा देना चाहिये। जिलाधीश ने उनसे कहा था कि मैं आपको चुनाव जिता दूंगा। चुनाव के लिए जिलाधीश को रखा गया और चुनाव जितवाया। यदि यह बात गलत है तो मैं आपके द्वारा इस सदन से कहता हूं कि मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं। यदि यह बात सही निकल जाये कि दिसम्बर से 28 फरवरी तक कसिया निर्वाचन क्षेत्र में स्कूटर, परमिट, डालडा, सीमेंट आदि नहीं दिया गया है तो वह इस्तीफा दें। बक्से बदले गये और उन्हें जिताने का प्रयास किया गया है।

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, माननीय यादवेन्द्र सिंह जी ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे खेद है कि नेता विरोधी दल इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि उप नेता विरोधी दल जो मैं अपने विचार प्रकट करूंगा उन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। मान्यवर, छठवीं विधान सभा के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती सिंह विशारद-]

चुनाव के संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय चर्चा होना स्वाभाविक ही था। प्रदेश की जनता ने चुनाव में जो निर्णायक फैसला किया उसकी प्रतिक्रया इस सदन में स्वाभाविक ही थी और जैसा आपने स्वयं देखा है कि पहले ही दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय इस सदन के अन्दर जो दृश्य उपस्थित हुआ था उसे हमने देखा । उस दृश्य की क्या संज्ञा दी जाय, उसको मैं नहीं कह सकता हूं । लेकिन मान्यवर, हमारे विरोधी दल के नेता ताश के बड़े माहिर हैं । वह ऐसा खेल खेलते हैं कि यदि आप उनके जीवन को देखने का कष्ट करें तो आप सबको विदित हो जायगा कि वह सन् 1967 के पहले वह हमारे देश के बैकवर्ड लोगों की बड़ी रहनुमाई करते थे और बैकवर्ड लोगों के प्रति बड़ी हमदर्दी दिखाया करते थे । आपको स्मरण होगा कि चौधरी चरण सिंह जी अपने 13 साथियों के साथ खरामे-खरामे आकर बैठे थे । उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था कि पंजाब के किसी मंत्री ने ऐसा किया ।

आज मान्यवर, परम्परायें नहीं देखी जाती हैं । मैं आदरणीय सदन के एक सदस्य स्वर्गीय माननीय आचार्य नरेन्द्र देव जी के बारे में कहना चाहता हूं। इसी सदन में वह कांग्रेस के नाम पर, वह विधान सभा के सदस्य चुनकर आये थे, तो उन्होंने नैतिकता के तकाजे को सामने रखकर इस विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिया था। हमें इस बात का अधिकार है कि हम अपने राजनैतिक विचार बदल दें लेकिन मान्यवर, यदि हम किसी लाभ के पद पर पहुंचे हैं तो पहले हमें उस लाभ के पद को छोड़ देना चाहिये और चौधरी चरण सिंह जी ने पंजाब के किसी मंत्री की मिसाल दी लेकिन इस सदन में जो परम्परा अपनाई गई थी उसको उन्होंने नहीं अपनाया । मान्यवर, इस बात का संकेत किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार में बहुमत होते हुए भी माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को इस्तीफा देना पड़ा था । मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि उप नेता विरोधी दल ने चौधरी चरण सिंह जी को इस बात के लिये मजबूर कर दिया था कि वह मुख्य मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते और चौधरी साहब इस बात के लिए इच्छुक थे कि अगर हम नेता रहेंगे तो हम ही मुख्य मंत्री की कुर्सी पर रहेंगे और यह विधान सभा जो उस समय भंग हुई थी वह चौधरी चरण सिंह जी के कारण ही भंग हुई थी । जब इस प्रदेश की कोटि-कोटि जनता ने उनको पराजित कर दिया तो आज वह उसका प्रहसन इस सदन में न कि सदन के बाहर भी कर रहे हैं ।

मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि इस प्रदेश की जनता ने जो बुद्धिमतापूर्वक फैसला किया है, उसको अपमानित करने की इन्हें कोशिश नहीं करनी चाहिये और अगर ये ऐसा करेंगे तो प्रदेश की 9 करोड़ जनता को अपमानित करने की कोशिश करेंगे और अगर माननीय नेता विरोधी दल ने ऐसा किया तो अबकी बार तो उन्हें नेता विरोधी दल बनने का सौभाग्य प्राप्त भी हो गया लेकिन अगली बार तो उस स्थान पर बैठने की नौबत भी नहीं आयेगी ।

चुनाव के सिलसिले को लेकर जो बातें कहीं गयीं उनको सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि वे कौनसी तैयारी कर रहे हैं । क्या वे कोई कहानी लिखने जा रहे हैं, जो आगे चलकर प्रकाशित की जायगी और वे कुछ आनन्द उठायेंगे । यह उन्हें नहीं करना चाहिये बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिये और जनमत के सामने अपने मस्तक को झुकाना चाहिये। मैं सदन के एक-एक माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या वे बेईमानी करके चुन कर आये हैं ? यह जनता का फैसला था और उसके आधार पर हमको और आपको अवसर प्राप्त हुआ कि हम इस सदन में बैठ कर इस प्रदेश की जनता की सेवा करें । माननीय चौधरी साहब से मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि वे राजनीतिक दांव-पेंच में, शतरंज की चाल में मात खा गये हैं और अब उन्हें साहस और हिम्मत के साथ अपने दल की खामियों को ढूंढना चाहिये, आत्म-चिन्तन करना चाहिये और फिर से राजनीतिक दांव-पेंच करना चाहिये और फिर 5 साल

के बाद जनता का निर्णय होगा कि कांग्रेस के हाथ में बहुमत आता है या बी0 के0 डी0 के हाथ में । बी0के0डी0 का भविष्य उज्जवल नहीं है क्योंकि इस दल ने प्रतिक्रियावादी दलों के साथ गठनबन्धन किया है । वही ढाक के 3 पात, मुस्लिम मजलिस, संयुक्त सोशलिस्ट और बी0के0डी0, इन तीनों के सिद्धांतों में कोई मेल नहीं है । तीनों ने एक सिम्बल के नीचे चुनाव लड़ा और जो हैसियत प्राप्त हुयी, उससे नाराज होकर कहा गया कि बेईमानी हुयी है। यह कोई बेईमानी नहीं हुयी है। आपको इस जनता के फैसले को शिरोधार्य करना चाहिये ।

इस सरकार से भी 2 बातें कहना चाहता हूं । आज हमारे प्रदेश में जो वितरण व्यवस्था है, वह बड़ी ही दोषपूर्ण है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो वितरण व्यवस्था है अगर उसमें सुधार न किया गया तो हमारे जो देहात के क्षेत्र हैं, उनके लिये जो सुविधायें सरकार ने दी हैं, वे उन्हें नहीं मिल पायेंगी । देहातों में जो शुगर का वितरण हो रहा है वह उन कार्डों के द्वारा हो रहा है जो 1962 की जन-गणना के आधार पर तैयार किये गये थे। तब से लेकर आज तक गांवों में बहुत से परिवार बढ़ गये हैं लेकिन बढ़े हुए परिवारों के सदस्य इन सुविधाओं से वंचित हैं । मेरी प्रार्थना है कि देहाती इलाकों में गत जनगणना के आधार पर राशन कार्ड तैयार कराये जायं और केन्द्रीय सरकार से उनके आधार पर अतिरिक्त चीनी मांगी जाय ताकि वितरण व्यवस्था में सुधार हो सके ।

इन शब्दों के साथ माननीय यादवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, हमारे दोनों पक्षों से कई माननीय सदस्य इस विवाद में भाग लेना चाहते हैं, तो मैंने नेता सम्मानित विरोधी दल से परामर्श कर लिया है, अगर आपकी अनुज्ञा हो तो आज यह सदन एक घंटा और बैठे ताकि और माननीय सदस्य बोल सकें ।

श्री रामसेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय नेता सदन ने प्रस्ताव रखा है, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि नया सदन है । इसमें बहुत से हमारे नये सम्मानित सदस्य चुनकर आये हैं । उनकी आकांक्षायें हैं । अगर सबको आप बुला सकें तो मैं आपका आभारी हूंगा, चाहे कितनी ही देर बैठना पड़े ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के भाषण पर आपके सामने सदन का ध्यान पक्ष और विपक्ष का आकर्षित करना चाहता हूं । परसों से बहस चल रही है, हम परिचय भी दे दें । सदन में हम 2 से 7 तक सदस्य ऐसे हैं जो विपक्ष के कहे जा सकते हैं, मगर हम न इस पक्ष के हैं और न उस विपक्ष के हैं जिस पर आपका ध्यान अधिक रहता है । हम एक छोटी पार्टी के सदस्य हैं । मैं आपको धन्यबाद तो देना चाहता हूं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के हमारे नेता थे । मैं धन्यबाद दे रहा हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । लेकिन राज्यपाल के भाषण म संशोधन प्रस्तुत करते हुए मैं धन्यवाद का बहिष्कार कर रहा हूं ।

[श्री भगवती प्रसाद[

मान्यवर, मैं वाक युद्ध न करके और चुनाव समीक्षा पर ज्यादा न बोल कर, सदन का ध्यान और खास तरीके से नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खाद्यान्न के अधिग्रहण की योजना को आपने खटाई में ही नहीं डाल दिया बल्कि उसको छोड़ दिया है जो कि उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान की एक समस्या बन गयी है । कृषकों से आपने वादा किया था कि 18 लाख टन खाद्यान्न हम एकत्रित करेंगे, मगर आपने केवल 8 लाख टन खाद्यान्न एकत्रित किया । कारण यह है कि आप अपने वादे से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं । साफ नक्शा है उत्तर प्रदेश का कि बाजारों में खाद्यान्न का मूल्य इस तरीके से बढ़ा हुआ है कि विरोधी दल के नेता की बात मैं क्या कहूं, हमको तो बंगाल दिखाई पड़ रहा है । आपने 8 एकड़ के किसानों से जबरिया उस समय खाद्यान्न लिया, जोकि ज्यादा लागत पर खाद्यान्न पैदा करते हैं जबकि वह भाव से बेंचने के लिए मजबूर थे । उनकी आर्थिक स्थिति डावांडोल थी । गरीबों के वोट से आप आये लेकिन क्या मैं पूछूं सत्ता के लोगों से कि गांव की गरीब जनता को आपने ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि जो दिन भर मजदूरी करने के बाद एक किलो मोटा अनाज पाता है, मैं पूछूं सदन के नेता, पुराने समाजवादी नारायण दत्त तिवारी जी से कि एक किलो मोटा अनाज पाने वाला जिसके बल पर आप चुन कर आये हैं कैसे अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है ? अगर नहीं कर सकता है तो उसकी आमदनी का जरिया क्या है ? आज गेहूं की कीमत ढाई से तीन रुपये किलो तक है । आपको मैं देहात की बात बता रहा हूं । हम लोगों को तो फर्स्ट क्लास का टिकट मिल जायेगा, 25 रुपये भत्ते के मिलेंगे मगर सारे प्रदेश के गरीब जिनके वोटो पर हम इस सदन में आये हैं, उनका क्या हाल है ? मैं पूछूं अपने पुराने दोस्त से जो भीमताल से आये हैं, जो उपनेता हमारी सोशलिस्ट पार्टी के थे और समाजवाद के पोषक थे कि समाजवाद किस को कहते हैं । दो दिन की बहस में संशोधन न पेश कर के सारी बातें चुनाव पर। विरोधी नेता चरण सिंह को वह दिन भूल गया जब बंगाल में अंधाधुन्ध गोली चली थी । पहले चुनाव प्रचार साइकिल से होता था । अब हेली-काप्टर और हवाई जहाज से होता है । इसके बाद नम्बर राकेट का है । लेकिन वियत-नाम में अमरीका का राकेट ही उड़ा था । गुजरात की कहानी हमारे विरोधी नेताओं ने दोहराई लेकिन देखा नहीं क्योंकि विरोधी नेता ने अपने पीरियड में गुजरात से ज्यादा बदतर स्थिति पैदा कर दी थी ।

मैं दो एक बातें कह दूं राज्य कर्मचारियों पर । हमारे प्रदेश में बुनकरों की समस्या है । एक कांग्रेसी साहब हैं, जो निसार साहब जीत कर आये हैं। आज लाखों बुनकरों का रोजगार खतरे में पड़ा हुआ है । मुसलिम वोटों के बल पर यह सरकार बनी है, उन्हीं मुस्लिम बुनकरों के आज कल कारखाने बन्द पड़े हुए हैं । जयपुरिया के कल कारखाने बककरार हैं, मगर इन गरीब मुस्लिम हरिजनों के कारखाने बन्द पड़े हुये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आज वितरण प्रणाली किसके हाथों में है? कारपोरेशन के हाथ में है और उसका मैनेजर कान है, आप को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और वितरण प्रणाली को ठीक करना चाहिये ।

दूसरी बात मैं राज्य कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं । आज मजदूर तबके के एक नेता को, मजदूरों के रहनुमा को आप कई महीनों से जेल में ठूंसे हुये हैं । चुनाव के कारण उसको जेल से छोड़ा नहीं गया । अब उसको नौकरी से बरखास्त करने की कार्य-वाही हो रही है । यह क्या है ? उस नेता को तुरन्त छोड़ना चाहिये । चुनाव किसी ने लड़ा और सजा किसी को मिल रही है ।

दूसरी एक बात मैं विश्वविद्यालय कांड में बन्द छात्रों के बारे में कहना चाहता हूं । अनेक निर्दोष छात्रों को जेल में बन्द कर रखा है । उनको तुरन्त रिहा करना चाहिये ।

एक बात मैं यहां सदन में और कहना चाहता हूं । हमारे बैठने के लिये कहीं कोई जगह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

वह प्रश्न दूसरा है।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले 4 रोज से बड़े गौर से अधिकतर विरोधी दलों के नेताओं की तकरीरें सुन रहा हूं। अपने साथियों की तकरीरों को सुन कर मैं यह सोच रहा था कि हम यहां पर प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं या किसी चुनाव याचिका को सुन रहे हैं। माननीय चौधरी साहब, अपने बड़े काबिल दोस्त, की तकरीर से तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की तकरीर से मुझे ऐसा लगा कि हम यहां पर किसी चुनाव याचिका पर बहस कर रहे हैं। 4 दिनों में चुनाव की गड़बड़ियों का ही राग अलापा गया (व्यवधान) हम यह आशा करते थे कि हमारे बड़े भाई चौधरी चरण सिंह जी, जो हमें नयी बिल्ली मानते हैं तो म उनको पुरानी बिल्ली मानता हूं, कुछ हमारा मार्गदर्शन करेंगे लेकिन वह सब कुछ न सुनकर मैंने केवल यही सुना। जैसे कोई हार जाता है जो अपना रोना रोता है, वैसे आजकल हो रहा है। उनका जो ख्वाब चीफ मिनिस्टर बनने का था, चूंकि वह नहीं पूरा हो सका, इसलिए उसी का वह प्रलाप करते फिर रहे हैं। इसके अलावा उनकी तकरीर में मुझे कुछ और हासिल नहीं हुआ। जहां इस सदन का कर्त्तव्य है कि वह आर्थिक नीतियों पर बहस करे, वहीं यह भी है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो संकेत दिया है, उस पर भी विचार करें। यह भी देखें कि कोई ऐसी विदेशी ताकत तो नहीं है जो प्रदेश में अराजकता पैदा करके प्रदेश को नया मोड़ देना चाहती है।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चौधरी चरणसिंह जी अपनी हार से आजकल बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानी का कारण उन्होंने बताया है चुनावों में की गई बेईमानी। यह उनकी दिमागी परेशानी की बात कोई नई बात नहीं है। यह पहले भी दो-एक बार हो चुका है। जब इन्होंने कांग्रेस को धक्का देकर एस0 बी0 डी0 सरकार बनाई थी किन्तु उसके बाद जब इनके ही पीठ में छुरा भोंककर सब अलग हो गये तब भी उन्होंने इसी प्रकार का प्रलाप करना शुरू कर दिया था। उनकी गलतफहमी जब दूर हुई तो उन्होंने प्रलाप करना शुरू किया था। 1971 में जब उन्होंने अपने को शैडो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखा और ऐलान कराया कि वह आगे चलकर हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। किन्तु 1971 में जब पांसा पलट गया और उस चुनाव में पूरे हिन्दुस्तान में बी0 के0 डी0 की केवल एक सीट आई और इनकी गलतफहमी दूर हुई तो उस समय भी इसी प्रकार का इन्होंने प्रलाप किया था। जो कुछ उन्होंने चुनाव के संबंध में चर्चा की थी, उससे मालूम पड़ता है कि उनके दिल को बड़ी चोट पहुंची है। क्योंकि उनकी निश्चित रूप से यह धारणा थी कि उनको बहुमत मिलने वाला है और यह प्रदेश के मुख्य मंत्री होने वाले हैं। जब उनका यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो वह चुनाव की अनियमितताओं को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे हैं। अब भी उनका केवल भ्रम दूर हुआ है। मैं चौधरी साहब को सन् 1930 से जानता हूं और उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह ऐसे बड़े-बड़े ख्वाब क्यों देखते हैं और बुनियादी चीजों को क्यों नहीं देखते हैं। विरोधी पक्ष के लोग शासकदल पर यह आरोप लगाते हैं कि यह खराबी है वह खराबी है। इससे मालूम होता है कि आप में कोई खूबी नहीं थी, आप केवल शासक दल की कमजोरी से जीतना चाहते थे। मैं श्री रामसेवक यादव से पूछना चाहूंगा कि यह चौधरी साहब कम से समाजवादी विचारधारा के हो गये हैं। मैं उनसे भी बताना चाहता हूं कि उनकी पार्टी की हार का कारण यह नहीं है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई बल्कि यह है कि जिन नीतियों का उन्होंने एलान किया था वे ही जनता को नापसन्द थीं। क्या देश में कोई समाजवादी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोधी करेगा, जैसा चरणसिंह जी ने किया था। क्या कोई समाजवादी राज-

[श्री ईश्वरी सिंह]

महराजाओं के प्रिवीपर्स को खत्म करने का विरोध करेगा जो उन्होंने किया। क्या कोई समाजवादी हिन्दुस्तान की आधी आबादी महिलाओं को गाली देगा जो उन्होंने किया? उत्तर प्रदेश के शोषित और पिछड़े हुए वर्ग पर उन्होंने जुल्म किये और कराये, जिसका उन पर असर हुआ और उन्होंने उनके दल को वोट देने से इंकार कर दिया, जिससे वह बहुमत में न आ सके।

मैं अपनी बात को साबित करने के लिए आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश में दो विचारधारा स्पष्ट रूप से चल रही ह। एक तरह से दो नीतियों का संघर्ष है। जो समाजवादी भाई हैं वह मेरी बात को समझें। इस प्रदेश में दो वर्गों का संघर्ष है। एक वर्ग शोषित है, वीकर सेक्शन है जिसमें शेड्यूल्ड कास्टस, मुसलमान, महिलायें आदि हैं या दूसरे वर्ग है मजदूरों का शोषक पूंजीपति वर्ग यही साबित किया है कि इस एलेक्शन में, अगर आपने आंकड़े देखे होंगे, मैं इन आंकड़ों के संबंध में सोलहों आने सही नहीं कह सकता, हमारी विधान सभा के लिये जो रिजर्व सीटें थीं उनमें कांग्रेस को 50 मिली हैं, जो नवविहित त्रिकोण है उसको केवल 2 सीटें मिली हैं। बाकी जनसंघ को 15 मिली हैं। इस प्रकार शेड्यूल्ड कास्ट्स ने बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस को नीतियों का समर्थन किया है। (तालियां) मुस्लिम के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 41 सीटों में से कांग्रेस ने 22 जीती है। नव-निर्मित गुट ने कुल 11 जीती है, बाकी लोगों ने दो, मुस्लिम लीग ने एक, सी0पी0आई0 न चार जीती हैं। इसी तरह से महिलाओं की संख्या देखें। उनकी तरफ केवल दो महिलायें हैं, इधर कितनी महिलायें है। समाज के वीकर सेक्शन ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है इससे यह जाहिर होता है कि हम कांग्रेस को क्रांतिकारी रास्ते पर ले जाने के प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रतिक्रियावादी शक्तियां है, जो राष्ट्रीयकरण की विरोधी ह, जो राजा महाराजाओं, गरीब जनता का पैसा प्रिवीपर्स के रूप में दिलाना चाहती थीं।

एक बात और कहना चाहता हूं। इस प्रदेश के चुनाव ने जातिपांति की राजनीति को दफना दिया है। मेरे बड़े भाई चौधरी चरणसिंह और यादव जी ने कहा कि चुनाव के संबंध में इनक्वायरी होनी चाहिये। इस प्रदेश में जातिपांति का जहर किसने फैलाया है उसकी भी इनक्वायरी होनी चाहिये। मेरे भाई, चुनाव में आप की हार का कारण आपकी गलत नीतियां हैं। हमें देखना होगा कि हमारे प्रदेश में जो कुछ वर्गों को भड़काना चाहते हैं, चौधरी चरण सिंह तक के मन से जो हिंसा की भावना आ गयी है, चौधरी साहब भल ही अपन को दल बदलू न माने, लेकिन उनके विचार निश्चित रूप से स्पष्ट हो चुके हैं वह दल बदलू अवश्य है, वह आज गांधीवाद के आड़ में तलवार और गोली छिपा कर इस प्रदेश में हिंसा पैदा करना चाहते है। तो माफ कीजिये, सशस्त्र क्रांति के लिये हमारे प्रदेश की आम जनता तैयार नहीं है। यदि आप सशस्त्र क्रांति के नाम पर अराजकता पैदा करना चाहते हैं तो हुकूमत इतनी बुजदिल नहीं है कि अराजकता फैलाने वालों को मौका देगी। उसका उन्हें दंड भोगना होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे विरोधी दल के साथी इन बुनियादी नीतियों पर गहराई से सोचेंगे, समझेंगे और सोचने के बाद मुझे यकीन है कि वह भी इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप स उन्होंने गवनर के अभिभाषण को स्वीकार कर लिया है। धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे खेद है कि आज प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर कत्ल, डकैती, नकब और राहजनी हो रही है, कोई दिन ऐसा अब शेष नहीं जाता जिस दिन किसी न किसी समाचार-पत्र में यह पढ़ने को न मिले कि फलां जिले में, फलां कस्बे में

जो डकैती पड़ी है उसमें इतने लोग मरे हैं और इसके बावजूद भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैनपुरी जिले में एक कस्बे में पुत्तूलाल के घर में डकैती पड़ी जिसके घर से थाना केवल 60-70 कदम की दूरी पर है वहां पर 21-22 दिसम्बर की रात को सशस्त्र डकैतों ने डकैती डाली और उस डकैती में 3 लोग मारे गये। पुत्तूलाल का बेटा श्रीकृष्ण गुप्ता, रघुनन्दन नाई और उसका बेटा—यह तीनों लोग मारे गये और लगभग 80 हजार की सम्पत्ति लूट ली गई लेकिन वहां की पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। जब पता चला तो दूसरे दिन मैं वहां उसके घर पहुंचा, मालूम हुआ कि घर में डकैत लगभग डेढ़ घंटे रहे। 5 किवाड़ उखाड़ दिये गये। उस पर घर का एक व्यक्ति छिपकर निकलकर थाने में सूचना देने चला गया और थानेदार के कहा कि चलिये मेरे घर में डकैती पड़ रही है। दरोगा जी बिना बन्दूक लिये, कुछ सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचे। डकैती पड़ रही थी, वह वापिस गये और बन्दूक लाये और उन्होंने रोशनी के कारतूस चलाये। इसका मतलब यह था कि उन डकैतों से वह मिले हुए थे, डकैती में उनकी शाजिस थी क्योंकि उन्होंने यह संकेत दिया ताकि वे लोग भाग जायं। जब नजदीक पहुंचे और मकान के अन्दर पहुंचे तो श्रीकृष्ण गुप्त मर चुका था। उसकी पत्नी ने कहा कि दरोगा जी ये बदमाश जा रहे हैं। मुश्किल से वह बदमाश 25 कदम के फासले पर थे, लेकिन उन्होंने फायर नहीं किया। अगर दरोगा जी चाहते तो डकैतों को घेरा जा सकता था, लेकिन उस दरोगा के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और दरोगा जी कस्बे में कहते हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री बहुगुणा जी हैं तब तक कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकारी पक्ष से यह कहा जाता है कि यह विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह और उनके अनुयायी इस उत्तर प्रदेश को पटना और गुजरात बनाना चाहते हैं। मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से आपका शासन और आपकी पुलिस निष्क्रिय रही तो लखनऊ को भी पटना बनने में देर नहीं है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी के नेता श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा और माननीय नारायण दत्त तिवारी पर होगी।

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में जब माननीय कमलापति त्रिपाठी जी मुख्य मंत्री थे तब यहां पर 'बहू राज्य' रहा। आज मैनपुरी में श्रीमती किरण चतुर्वेदी का राज्य चल रहा है। वह कलेक्टर से जाकर कहती हैं कि उनकी मंशा के खिलाफ कोई काम न किया जाय, क्योंकि किरण चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थीं और माननीय सदस्य श्री नत्थू सिंह ने 15 हजार वोट से हरा दिया। आज कल वह कहती हैं कि मैं बहुगुणा जी की खास हूं। जिलाधीश महोदय और कप्तान साहब आप समझ लीजिये अगर आपके जिले में मेरी मंशा के खिलाफ काम किया तो आपका स्थानान्तरण हो जायेगा। एस0 पी0 और जिलाधीश श्रीमती किरन चतुर्वेदी के कारण आतंकित हैं और कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है।

तीसरी बात कहना चाहता हूं कि आज छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं। परीक्षा शुरू हो गई लेकिन उन्हें न तो बिजली मिल रही है और न मिट्टी का तेल मिल रहा है। जो मिट्टी का तेल मिल रहा है उसके लिये घंटे दो घंटे उन्हें लाइन लगाना पड़ता है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि छात्र का जो समय बर्बाद हो रहा है वह इसको भूलेगा नहीं और एक दिन आयेगा जब वह विद्रोह करेगा और इस सरकार को हर तरह से बदलने का प्रयास करेगा।

चौथी बात कहना चाहता हूं कि जसवंतनगर इटावा में भारी पाला पड़ा है और जो फसल थी वह नष्ट हो गयी है। आपके अमीन लोग घूम रहे हैं। आपने सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं किया इसलिए उनकी फसल नष्ट हो गयी। अब आप उनकी वसूली बन्द करायें और उनका लगान माफ करें। जसवन्तनगर से कचौरा को सड़क जाती है तथा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। 15 मील में कोई रास्ता नहीं है। जमुना को क्रास करना पड़ता है। इतना

[श्री मुलायम सिंह यादव]

भयंकर रास्ता है कि लोग पैदल जाते हैं । लेकिन इस अभिभाषण में उस सड़क पर कोई काम करने की इच्छा नहीं जाहिर की है।

इसी प्रकार से जो पी0ए0सी0 कांड हुआ था उसका भी राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कोई जिक्र नहीं किया है । वह इसलिये नहीं किया क्योंकि पी0ए0सी0 कांड का सीधे सीधे संबंध श्रीमती इंदिरा गांधी से था । उन्होंने समझ लिया था कि अगर कमलापति त्रिपाठी मुख्य मंत्री रहेंगे और उनकी अध्यक्षता में चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी हारेगी क्योंकि पंडित कमलापति त्रिपाठी माननीय बहुगुणा जितने बेईमान और झूठ बोलने वाले नहीं थे । लेकिन आज जनता कांग्रेस के खिलाफ हो चुकी है । लगातार 26 साल झूठ बोला गया है । अब झूठ पर झूठ कौन अच्छा बोलेगा, कौन जनता को झूठ और पैसे के लालच में फंसायेगा । उन्हें यही तरीका मिला कि पी0ए0सी0 के द्वारा यह कांड करवायें और फिर पं0 कमलापति का इस्तीफा दिलवायें । अब मैं सरकारी पक्ष से चाहता हूं कि उनकी मंशा पूरी हो गयी । अब उन नौजवानों को क्यों जेल में डाले हुए हैं और उनके बच्चों को क्यों भूखों मार रहे हैं । उन्होंने आपकी सत्ता कायम रखने के लिये यह काम किया था, उन पर रहम करें । अगर वह सच नहीं है तो आप जनतंत्र की दुहाई देते हैं उन्होंने यह मांग की थी अपनी पुलिस परिषद् के लिए अगर पुलिस परिषद् बनाते हैं तो लोकतंत्र में रोक नहीं है। उन्हें परिषद् बनान का अधिकार है। छोटे-छोटे कर्मचारियों से बड़े-बड़े आफिसर्स बेगार लेते थे तो उन्होंने परिषद् बनाई और उससे छुटकारा पाने के लिये उन्होंने सोचा था । अगर उन्होंने परिषद् बनाई थी तो कोई गलत काम नहीं किया था क्योंकि सभी आई० ए० एस० और बड़े-बड़े आफिसरों की अपनी परिषदें बनी हुई हैं। तो उन बेचारे पुलिस के सिपाहियों ने कोई बुरा काम नहीं किया था। इसलिये मैं चाहूंगा कि उन जवानों को तुरन्त रिहा किया जाय । उनका जो निलम्बन किया जा रहा है, उनको जो बरखास्त किया जा रहा है, वह कार्य-वाही वापस हो । बहुगुणा को मुख्य मंत्री बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वर्ना वह बन नहीं सकते थे ।

श्री अध्यक्ष---

अब खतम करें । 8 मिनट हो गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव---

दो मिनट और दे दीजिये ।

श्री राजमंगल पांडेय ने उत्साह और घमंड से अपने भाषण में कहा था कि दुनियां के सभी देशों में महंगाई बढ़ी है । यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है इसको वह भूल जाते हैं । एशिया में एक देश जापान है । उसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग मील है और उसकी जन-संख्या 10 करोड़ है । भारत का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग मील है और जन-संख्या 55, 56 करोड़ है। जापान के हिसाब से हिन्दुस्तान की जन-संख्या 1 अरब 20 करोड़ होना चाहिये । आप जापान के नागरिक की स्थिति देखिये और अपने यहां के नागरिक की देखिये । इस तरह से दूसरे देशों से मुकाबला करें तो आप देखेंगे कि यहां पर प्रति व्यक्ति आमदनी 347 रुपये है जबकि अमरीका में आमदनी लगभग 32 हजार रुपये है । अगर अमरीका में महंगाई बढ़ी है तो वहां पर आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन यहां पर तो महंगाई बढ़ी है और आमदनी घटी है। इसलिए आप स्वयं बिहार और गुजरात बनाना चाहते हैं । बिहार और गुजरात, निश्चित रूप से बनेगा और उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर होगी।

श्री भगवती चरण (जिला पौड़ी-गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे पहले-पहले इस सम्मानित सदन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव

है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और इस रूप में इसका समर्थन कर रहा हूं कि इस संक्षिप्त भाषण में गागर में सागर भरा हुआ है और इसमें आशा की किरण है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिये वह जो आशा करते हैं वह पूरी होगी। मान्यवर, मुझे विस्वास कि हमारा जो पर्वतीय प्रान्त है और पिछड़ा हुआ इलाका है वह इस पांच वर्ष में प्रान्त के दूसरे भागों के समान ही उन्नति करेगा और समानता प्राप्त करेगा। आज भी हमारे यहां ढांगू और डबरालस्यू आदि ऐसे इलाके ह जहां पर जाने के लिये भी कोई साधन नहीं है। आज आदमी जब चन्द्र लोक में जा रहा है, वहां पर जाने के लिये सड़कें भी नही हैं। मान्यवर, हमारे लिये पर्वतीय विकास निगम बना है। मैं मानता हूं कि उससे कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन पर्वतीय विकास निगम की गति मन्द है, उसकी गति मे तेजी लाई जाय और जनता की आशा के अनुरूप उसे बनाया जाय। मैंने इस अभिभाषण का समर्थन इसलिये भी किया है कि राज्यपाल महोदय ने उसमें एक बारीक चीज की ओर भी इशारा किया कि अनुसूचित और जन जातियों को जो साहूकारों के शिकन्ज में फंसे हुये हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिये सरकार एक विधेयक लाने वाली है मैं सरकार को उसकी इस जागरूकता के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बारीक बात की ओर भी उसका ध्यान गया। सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है कि उसने इस छोटी सी चीज पर भी ध्यान दिया। मेरे जिले में भी बोक्सा जनजाति की काफी जमीन साहूकारों ने गिरवी रख ली है, वे लोग बहुत उत्पीड़ित हैं। इस विधेयक से वहां के लोगों को भी मुक्ति मिल जायगी और वह पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ सकगा। जिले के अन्तराल में भी कई ऐसे पीड़ित लोग होंगे।

मैं माननीय नेता विरोधी दल के इस कथन की ओर आकर्षित माननीय सदन का ध्यान करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि सरकार ने श्री नगर में एक युनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की केवल चुनाव को ध्यान में रख कर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विश्वविद्यलय के लिये वहां के छात्रों आन्दोलन चल रहा था। जनता उसमे सहयोग था। उनकी यह अनिवार्य तथा आवश्यक मांग थी। चौधरी साहब इस बात को सुनकर तिलमिला गये। वहां के लोग हिमालय की भांति एक सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा का काम करते हैं। अगर उनको एक युनिवर्सिटी मिल जाती है तो चौधरी साहब तिलमिला जाते हैं अच्छा हुआ कि वह मुख्य मंत्री नहीं बने। कुछ ऐसी हवा चली थी अखबारों में और उनके कार्यकर्ताओ का भी कुछ ऐसा विचार था कि 28 तारीख को श्रीमान् जी मुख्य मंत्री होने वाले हैं। पहाड़ के लोग घबड़ा गये थे। कहीं यह श्री मान जी मुख्य मंत्री हो गये तो उनका सत्यानाश ही हो जायगा। एक उदाहरण दूंगा। महंगाई की बात कही जाती है लेकिन संविद सरकार के समय एक भेली गुड़ को हमने 8 रुपये में खरीदी और 25 ग्राम चीनी हर उपभोक्ता को मिलती थी जो बालकों के दूध के लिये भी पर्याप्त नहीं थी। और आज इस सरकार पर लांछन लगाया जाता है जो जनता की हर तरफ से मदद करने में लगी हुई है। हम लोग तो घबड़ा गये थे लेकिन यह अच्छा ही हुआ कि हम उनसे मुक्ति पा गये हम तो आज तक उनको समझ नहीं पाये। हमने पढ़ा और सुना था कि विरोधी दल के नेता एक बड़ा एक सशक्त नेता होता है। वह सरकार को अच्छी-अच्छी बातें सुझाता है लेकिन यहां आकर हमने यही देखा कि कागज के गुल्ले बनाकर राज्यपाल पर फेंकी और इधर आप कांग्रेस पार्टी को देखें कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने जरा इशारा किया कि सब लोग शान्त रहो। सब लोग खामोश रहे। दंत चित्त होकर विरोधियों को सुनाते रहे। विरोधी दल के लोग अनुशासन-अनुशासन चिल्ला रहे थे। पर वे कोध में थे, इसी क्रोध के नाम पर गीता का एक श्लोक याद आता है।

क्रोधात् भवति संमोहा संमोहा स्मृति विभ्रमः,
स्मृति भ्रंशाद् बुद्धि नाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।

मान्यवर, हम लोगों के लिये कहा जाता है कि नये लोग चुनकर आये हैं उन्हें सीखना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि पहिले लोग भी तो इस सदन में एक नये सदस्य के रूप में

[श्री भगवती चरण]

आये होंगे और कुछ अनुभव के बाद ही पुराने हुये होंगे । हम नये लोगों को पुराने लोगों से कुछ ग्रहण करना है पर हम कभी उच्छृंखल विरोधी पक्ष की बातों को ग्रहण नहीं करेंगे । हम हमेशा सही रास्ते पर चलेंगा और जनता की सेवा करेंगे । अनुशासन में रहेंगे तथा कभी ऐसी सीख ग्रहण नहीं करेंगे जिससे प्रदेश को लेशमात्र भी ठेस पंहुचे । धन्यवाद ।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आज पहली बार मुझे कहने का अवसर दिया है इससे मुझे बड़ी सन्तुष्टि है । मान्यवर, सदन के चार मुख्य स्तम्भ हैं--प्रथम अध्यक्ष, दूसरे नेता सदन, तीसरे हमारे माननीय नेता विरोधी दल और चौथे जनसंघ दल के नेता । ये चार स्तम्भ हैं जिन्हें संसदीय पद्धति का दूरदर्शी ज्ञान है । इन सभी से हमें प्रेरणा मिलती है । इन सब चीजों के बावजूद भी हमारे नेता के बारे में चर्चा होती है कि उन्होंने साढे तीन घन्टे तक चुनाव की ही चर्चा की । मैं कहता हूं कि हम जो आज यहां पर बैठे हुये हैं वह चुनाव के अनन्तर ही बैठे हैं । चुनाव ही लोकतंत्र की नीव है, बुनियाद है, मेरुदंड है । अगर ये बुनियाद गलत हो जाय तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं । हमारे माननीय मित्रों को बड़ी तकलीफ होती है कि हमने ऐसा क्यों कह दिया कि आज सारे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है । हम आपकी बात मानते हैं किन्तु यदि हम कह दें कि क्या आप सत्यवादी हरीशचन्द्र हैं ? आज प्रदेश की जनता अभाव की स्थिति से गुजर रही है । इस अवसर पर मुझे, प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की शायरी याद आती है:--

जमीं बदली फलक बदला, मजाके जिन्दगी बदला,
तमद्दुन के कदीम मकदार बदले, आदमी बदला बदलते जा रहे हैं, हम भी ।
दुनिया को बदलने में नहीं बदली अभी दुनिया
तो दुनिया को अभी बदला कभी सोचा भी है
ऐ नज्म कोहना के खुदा बन्दों, तुम्हारा हश्र क्या होगा
जो ये आलम कभी बदला ।।

यही स्थिति होने वाली है । यह बात सही है कि अच्छा आचरण नहीं किया और राज्यपाल के अभिभाषण पर शोरगुल और हंगामा हुआ लेकिन राज्यपाल तो ब्रिटिश शासन की एक देन हैं, उस समय राज्यपाल शान शौकत से रहते थे और जब नौजवानों ने देखा कि आज भी राज्यपाल उसी शान शौकत से रहते हैं और जब पश्चिमी जिलों वालों को मालूम हुआ कि राज्यपाल प्रच्छन्न रूप से चुनाव को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं तो नौजवान उबल पड़े । सत्ता की जो शक्ति होती है वह साधारण शक्ति नहीं होती, वह दानवी शक्ति होती है । जब दानवी शक्ति से काम होता है तो फिर आचरण देखने की बात पीछे पड़ जाती है । श्री कृष्ण का सन्देश है--यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तंन्तदेवे तरो जनः ।

स यत्प्रमाणी कुरुते लोकस्त दनु वर्त्तते ।।

ऊपर वाले जैसा आचरण करते हैं, नीचे वाले भी वैसा ही आचरण करते हैं । मेरे नेता के लिये कहा गया कि वे लोकतंत्र के दुश्मन हैं । आप अपने हृदय पर हाथ रख कर बतलावें कि अगर चौधरी साहब जैसा सजग प्रहरी इस सूबे में न हो तो एक दिन भी यह सरकार चल सकती है और इस सूबे में कोई व्यवस्था चल सकती है ? वायदे आप लोगों ने बड़े-बड़े किये । बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, इससे क्या हो गया, कितनी स्थिति सुधरी ? हां, पूंजीपतियों की स्थिति सुधरी । गेंहूं का अधिग्रहण हुआ, उससे क्या हो गया ? भुखमरी, बढ़ गयी, अकाल बढ़ गया । इससे गरीबों को क्या मिला ? रामराज्य का सपना गांधी जी का अधूरा ही रह गया । हरिजनों की बात कही गयी । उनके लिये क्या किया गया ? हरिजनों का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । अगर मेरी बात गलत साबित हो जाय तो मैं अपने नेता की अनुमति लेकर विधान सभा की सदस्यता से हटने को भी तयार हो जाऊंगा ।

एक हरिजन पडरौना का है जो सफाई कर्मचारी हैं, मेहतर है, उसे तीन पया महीना मिलता है। उसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री के0के0 एन0 सिंह से फरियाद की, और अपनी पुकार की लेकिन वह बेकार गयी। जो हरिजनों के हितैषी बनते हैं वे कहते हैं कि हरिजन के यहां बिजली जलेगी ? उनको पेट भर भोजन नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, बीमार के लिये दवा नहीं। हरिजन कल्याण के नाम पर मिलने वाले सारे पैसे कौन डकार गया। आज जो हरिजनों की वकालत करने वाले हैं वे ही सारे पैसे डकार गये। अगर मैं नाम लूं तो हंगामा जाय। हरिजन का बच्चा पानी पांडे बन गया, वाह री सरकार, वाह रे प्रशासन। यह सत्य किसी से छिपा नहीं है। "कब तक जियेगा वाय्ये फरदा पर आदमी, इस वायदे तहलील का कोई इन्तहा भी है, जालिम निकल के शीश महल से जरा बता, हम मुफलिसों के दर्द की कोई दवा भी है।"

इसकी गरिमा को न घटाइये। पी0ए0सी0 के जवानों पर पाबन्दी। कभी उनके दुख दर्द को भी आपने महसूस किया ? यह किसी से छिपा नहीं है कि एक एक कमाडेन्ट को 8—8 जवान दिये जाते थे जो उनके जूतों पर पालिश करते थे, बागों की पानी से सिंचाई करते थे खुरपी से खेतों की सोहनी करते थे, और इस तरह के काम जब उन जवानों से लिये गये तो वे विद्रोह पर उतारू हो गये। और आग कितनी आगे बढी गई। मेरे साथियों छीटाकशी और व्यंग से काम नहीं चलेगा। चिमन भाई पटेल से पूछो और ईश्वर न करे दस दिन बाद बिहार के मुख्य मंत्री अब्दुल गफूल से पूछ लेना। यह जो आग भड़क गई है इसको शान्त कीजिये इस आग को शान्त करने वाला हमारे नेता चौधरी साहब हैं।

आज तो कम्युनिस्ट्स लोग ही आपके सहयोगी हैं। इनका इतिहास आप भूल गये। यह लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इनको आपने अपनी बगल में बिठा लिया है। क्या इनके यहां लोकतंत्र की पद्धति के अनुसार कभी चुनाव हुये हैं। इन्होंने आज आपको गुमराह कर दिया है और जो आपके हितैषी हैं उनको आपने आपना दुश्मन समझ लिया है। जैसा कि कहा गया है कि—

"बहकाने वाले आपके सब यार बन गये।
समझाने वाले मुफ्त गुनहगार बन गये।
अपनों से बैर कर लिया गैरों से दोस्ती।
यारों का सर कटा दिया सरदार बन गये॥"

इनको सारे संकेत मास्को से मिलते हैं। माननीय कृष्णमचारी ने लोक सभा में कहा था जब कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बिल का विरोध किया था तो वे अवाक रह गये। उन्होंने कहा था कि परमात्मा के रहस्य का पता चल सकता है परन्तु कम्युनिस्टों का पता नहीं चल सकता है। हमारे सच्चे नेता माननीय सुभाष चन्द्र बोस को कुत्ता कहने वाले आज लोकतंत्र के प्रहरी बने हुये हैं। यह लोकतंत्र की जड़ में भठ्ठा डाल रहे हैं और इसको उखाड़ कर फेंक देंगे।

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने ऐतिहासिक बात कही जो पांच हजार वर्ष पहले घटना हुई थी। महाभारत की लड़ाई क्यों हुई ? दुर्योधन ने वही काम किया जसा आपने किया है और उससे बड़ा राजनीतिज्ञ भगवान कृष्ण घूमते ही रह गये और वे कुछ नहीं कर सके। 11 अक्षोणी सेना दुर्योधन के पास और सात अक्षोणी सेना पांडवों पास थी। चार अक्षोणी सेना उनके पास कम थी। फिर भी वही नतीजा निकला जो निकलना चाहिये था।

एक सदस्य—

इनकी बातें कब तक सुनी जायेंगी। इनको अब बन्द कीजिये।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

यह तो बन्द होने को ही है । मुझे थोड़ा समय और दिया जाय । कुछ गम्भीर बातें मैं करना चाहता हूं । बच्चों के पौष्टिक आहार की समस्या है जो यूनीसेफ से दूध आता है वह बच्चों को नहीं मिलता और देश के नेता लोग उसको ब्लैक कर देते हैं ।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय यादवेन्द्र सिंह जी ने रखा है उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हू । माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में एक समाजवादी समाज की रचना क लिये जितनी आवश्यकतायें हो सकती हैं सब का उसमें समावेश है । हमारी पांचवी योजना पर कुल लागत जिसका आखिरी फैसला अभी योजना आयोग द्वारा लिया जाना है 2,700 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ रुपये तक होने की आशा है । जबकि चौथी योजना में लगभग 1,130 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । लगभग 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । जिसमें प्राइमरी शिक्षा, गांव की सड़कों, गांवों में स्वास्थ्य व पानी पूर्ति की व्यवस्था की जायेगी । इसके साथ ही साथ बिजली पहुंचाना व भूमिहीनों के रिहायशी मकानों के लिये जमीन की व्यवस्था करन व पौष्टिक आहार और गन्दी बस्तियों के सुधार भी सम्मिलित हैं ।

श्रीमन्, अगले 5 सालों में 30 नई चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव इस अभिभाषण में किया गया है । ये ऐसी व्यवस्थायें हैं जिनसे प्रदेश का काया कल्प हो सकता है इसमें पर्वतीय विकास के लिये व्यवस्था की गयी है । हम पर्वतीय अंचल से आये हैं । हम जानते हैं कि पर्वतों पर गरीबी और भुखमरी है । पर्वतीय विकास के लिये निगम बनाये गये हैं । मैं चाहता यह था कि पर्वतीय परिषद् साधन संपन्न संस्था हो जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके । मैं जानता हूं कि वहां एक ऐसा अंचल है जहां खाद्यान नहीं होता है । आज डीजल की कमी है जिसके कारण खाद्यान्न वहां पहुंचाया नहीं जा सका है । ग्रामीण अंचलों में राशन कार्ड पर मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था है । मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार राशन के कार्ड पर मिट्टी के तेल की व्यवस्था है उसी प्रकार से खाद्यान्न के वितरण की भी व्यवस्था की जाये । 25 वर्षों से भामर क्षेत्र में शुद्ध जल नहीं मिल रहा है वहां की जनता को शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये । जिससे वहां को लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो सके । तराई में डीजल की बड़ी कमी है जिससे वहां पर जो खेती करना चाहते हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ है । हमें अपनी समस्याओं को मूल रूप में रखना है । मुझे यहां पहले ही दिन आने पर वह देखने को मिला जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता था । माननीय राज्यपाल महोदय पधारे और विरोधी दल के सदस्यों ने जो किया वह नहीं होना चाहिये था ।

बड़ी चर्चा हुई श्रीमन्, चुनाव के बारे में भी हमारे विरोधी दल के जितने लोग हैं सबने चुनाव के बारे में बड़ी चर्चा की थी । चर्चा में भी करना अपना कर्तव्य समझता हुं । 1974 में जो परिस्थितियां थी वह प्रदेश की जनता से छिपी नहीं है । अन्न का संकट था, देश पर आर्थिक संकट था, सूखा था और सूखा के कारण बिजली की कमी थी । खाद्यान्न की कमी थी 1967 के बाद विरोधी पक्ष ने यह सोचा कि अब की बार जो मौका आया है सारी सीटें जीत लें । चौधरी चरण सिंह जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी सरकार बनेगी और उनकी सरकार बनते ही भ्रष्टाचार दूर हो जायगा । चौधरी साहब को ऐसा आभास हो गया था कि जैसे सारी सीटें वही जीत जायेंगे । सबों ने यह सोचा कि हमारी हुकूमत बनने वाली है, चाहे किसी ने 250 सीटों पर कंडीडेट्स खड़े किये थे। किसी ने 350 सीटों पर कैंडीडेट्स खड़े किये हुये थे, सबने यह सोचा कि हुकूमत हमारी ही बनने वाली है जो यहां उपलब्ध नहीं थे बाहर के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोगों को बुलाकर आमंत्रित कर दिया था । श्रीमन् धनुष यज्ञ जब हुआ था तो बहुत से राजा महाराजा आये हुये थे और सबने यह सोचा था कि धनुष हमी ही तो ड़ेगे । तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इस चुनाव में सभी विरोधी पक्ष की पार्टियों ने यह सोचा था कि उनकी सरकार बनने वाली है और सारी सीटें वह ही जीतने वाले हैं । लेकिन श्रीमन्, हुआ क्या कि जनता ने कांग्रेस को बहुमत प्रदान किया और कांग्रेस की हुकूमत बनी । तो श्रीमन्, ने विरोधी पक्ष के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर के यह कहा कि यह क्या कि कांग्रेस को बहुमत कैसे मिल गया । तो श्रीमन्, अब सदन के अन्दर तथा सदन के बाहर यह कहा जाता है कि चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है, चुनाव में गलत तरीके से वोट डाले गये हैं ।

श्रीमन्, चुनाव के बाद जो सरकार बनी है, यह जो चुनकर आये हैं उनका कर्तव्य है कि वह अपने अपने क्षेत्र की सेवा करें । श्रीमन्, महात्मा गांधी के जमाने में जब हमें आजादी नहीं मिली थी तो उस समय श्रीमन्, हमारे हाथ में ताकत नहीं थी, उस समय हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अब श्रीमन् हमारे हाथ में ताकत है हमें अब जनता की सेवा करना चाहिये । हम लोग जनता के नुमाइन्दे हैं, जनता ने हम लोगों को चुनकर भेजा है । जनता हम लोगों पर भरोसा रखती है । हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता ने हम सबको इसी सेवा के फलस्वरूप यहां पर भेजा है । जनता का भरोसा और समर्थन हमें प्राप्त है । आज देखा जाता है कि जनता की कठिनाइयों का फायदा उठाकर विरोधी पक्ष यह चाहते हैं कि उनकी सरकार बननी चाहिये थी । जब विरोधी पक्ष बहुमत में नहीं आ सके तो अनेकों प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं कि सरकारी पक्ष की ओर से बेईमानी कराई गई, गलत प्रचार किये गये, वोट फेंक दिये गये कांउन्टिग सही नहीं हुई या सादे बैलट पेपर्स रख दिये गये । कांग्रेस ने जनता की सेवा की थी, इसलिये उसे बहुमत प्राप्त हुआ है और उसकी सरकार गठित की गई । इन विरोधी पक्षों को कभी भी बहुमत नहीं मिल सकता है जब तक कि वे जनता की सच्ची सेवा नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक जनता की कठिनाइयों का विरोधी पक्ष भी ध्यान नहीं रखेंगे तब तक उन्हें वोट नहीं मिल सकता है और वह बहुमत में नहीं आ सकते हैं। हमारे प्रदेश पर जो आर्थिक संकट आया हुआ है उस पर हमें मनन करना चाहिये लेकिन विरोधी पक्ष के लोग उस पर मनन नहीं करना चाहते हैं । हमारे विरोधी पक्ष के नेता दुर्भाग्य की बात है यहां पर नहीं है । मैं चाहता था कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में वह भी कुछ सुझाव देंते । ऐसा लगता है कि वह विक्षुब्ध है क्योंकि उनको कुर्सी नहीं मिली है, जिस कुर्सी के वह लालायित थे । वह सरकारी पक्ष से विरोधी पक्ष में कई बार आ चुके हैं, और उनका पर्दाफाश अब हो चुका है । अभी अभी उनके दल के एक नेता बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नाटक कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपका समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं । मुझे जो समय बोलने के लिये मिला है मैं उसके लिये आभार प्रकट करता हूं ।

श्री शफीकुल रहमान (जिला मुरादाबाद)—

जनाब स्पीकर साहब, आज तीन रोज से मैं गवर्नर के एड्रेस पर बहस सुन रहा हूं ।

मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि चौधरी चरणसिंह साहब ने गवर्नर के अभिभाषण में जो तरमीम पेश की है, उसकी ताईद में बोलना चाहता हूं । चौधरी साहब ने एड्रेस के मौके पर जो कुछ भी कहा मैं समझता हूं काफी है। मैं इस सिलसिले में ज्यादा रोशनी न डालते हुए सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूंगा कि जहां तक इलेक्शन के नतायज का ताल्लुक है, इसमें 2 राय नहीं हैं और यह मानना ही पड़ेगा कि बहुत नाइन्साफियां और बहुत से मजालिम जरूर हुए हैं, जिनसे नतायज पर असर पड़ा है । मैं अपने ही हल्के सम्भल की बात बताता हूं । जब वहां पर काउंटिंग हो रही थी तो मेरे हल्के के बैलेट पेपर्स चन्दौसी के हल्के में निकले और बैलेट पेपर भी 2 रंग के थे । यही नहीं दौराने इलेक्शन सम्भल में कांग्रेस के श्री महमूद हसन खां ने कोतवाली सम्भल के इंचार्ज श्री धर्मवीर सिंह का एमर्जेंसी में तबादला कराया, क्योंकि

[श्री शफीकुल रहमान]

उन्हें उम्मीद थी कि मुझे उनसे कोई मदद नहीं मिल सकेगी। ये सब बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि कांग्रेस पार्टी बरसरे इक्तिदार होते हुए जितने भी जराय थे, तमाम इस्तेमाल कर रही थी। फेयर इलेक्शन, मुन्सिफाना इलेक्शन उसी वक्त हो सकते हैं जबकि किसी भी पार्टी के हाथ में कोई ताकत न हो। उस वक्त ही इलेक्शन के सही नतायज निकल सकते हैं। इतना मुझे जरूर अर्ज करना है कि सम्भल एक बहुत पुरानी बस्ती है जिसकी सही तारीख का पता नहीं चलता बहुत पसमांदा है क्योंकि सम्भल के अन्दर न किसी किस्म की फैक्ट्री है और न कारखाना है जिससे मजदूरों की खपत हो सके। यहां 1 लाख की आबादी है। यह पर सींग का काम बहुत ज्यादा होता है और इसके अगर कहीं कारीगर हैं तो वे सम्भल में है लेकिन आज तक उनके लिए कोई भी इस किस्म का सहारा नहीं दिया गया जिससे यह सनअत तरक्की करती जबकि उसका माल फारेन में भी जाता है।

मेरी कांस्टीटुयेंसी सम्भल के अन्दर और जिले में जो सड़कें बन रही हैं कुछ अरे तामीर हैं। एक सड़क सम्भल से जोया को जाती है, यह अन्डर कान्सट्रक्शन है लेकिन 4–5 साल से मुकम्मल नहीं हो सकी है इसके न बनने की वजह से देहात के लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी सड़क चौदरपुर से मनोटा को जाती है। इस सड़क पर बड़ी सुस्ती के साथ काम हो रहा है और मुकम्मल नहीं हो सकी है। मेरी माननीय मन्त्री जी से गुजारिश है कि वे इन सड़कों को मुकम्मल करवा दें।

दूसरे सम्भल खंडसारी शुगर के लिये मशहूर है। मुरादाबाद ही एक ऐसा जिला है कि जहां पर गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है और इसमें सम्भल मरकजी जगह है लेकिन सरकार ने इस ओर कोई तवज्जह नहीं दी है। अगर इन चीजों की तरफ सरकार ने तवज्जह की होती तो मैं समझता हूं कि सम्भल तरक्की कर सकता था। पृथ्वी राज के जमाने में सम्भल राजधानी रहा, फिर सूबा रहा और आज बदकिस्मती से सम्भल तहसील है इसलिए इस पर जितना मातम किया जाय वह कम है। मुझे वहां से लगाव है, मैं वहां का बसने वाला हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार सम्भल की तरक्की के लिए कार्यवाही करे और पस्मांदा इलाका करार देकर उसकी उन्नति और तरक्की के लिए पूरे-पूरे साधन पैदा करे।

श्री अध्यक्ष--

आप कितने मिनट लेंगे अपनी तकरीर खत्म करने में ?

श्री शफीकुल रहमान बर्क--

दो तीन मिनट।

श्री अध्यक्ष--

तो मैं समय बढ़ा देता हूं।

श्री शफीकुल रहमान बर्क--

वहां पर सरकार कोई इस किस्म के कारखाने कायम करे जिससे कि वहां के बसने वालों को रोजगार मिल सके। मेरी यह अपील है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिलसिले में सरकार जरूर गौर करायेगी।

आज हिन्दुस्तान के अन्दर जबकि शहर रेलवे से एक दूसरे से मिले हुए हैं, बदकिस्मती से सम्भल में रेलवे ब्रांच लाइन है आगे को लाइन नहीं है जब कि वाया हसनपुर होकर रेलवे ट्रेन देहली तक जा सकती है और सम्भल जंक्शन बन सकता है और ट्रांस्पोर्ट का इन्तजाम होने के बाद सम्भल तरक्की कर सकता है। इसलिए सरकार रेलवे ट्रेन के सम्बन्ध में भी मरकजी सरकार को लिखे और सोचे जिससे कि सम्भल की तरक्की तहसील कर सके।

जिला मुरादाबाद के अन्दर जितनी भी य जनायें हैं, उस सिलसिले में भी यह गुजारिश करूंगा कि आज तक जो हिस्सा दूसरे जिलों को मिला है वह जिला मुरादाबाद को नहीं मिल सका। बदकिस्मती यह रही है कि हमारे नुमाइन्दों ने या तो यह गफलत की कि उन्होंने इस सिलसिले में कोई आवाज नहीं उठाई, या हमारी सरकार ने भी उसको अपने सूबे का एक जरूरी हिस्सा न समझा। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार इस सिलसिले में पूरी-पूरी तवज्जह फरमा कर सम्भल और जिला मुरादाबाद की तरक्की के लिये जो योजनाएं बनाने वाली है और दो सौ करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर किया है जिसमें डेवलपमेंट का काम होगा उसमें से हिस्सा मेरे जिले और सम्भल दोनों को मिलेगा, यह मुझे उम्मीद है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, 5 मिनट हमको भी दे दें।

श्री शफीकुल रहमान बर्क—

मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि मेरा देश जोकि मेरा वतन है इसकी तरक्की होनी चाहिए और इसकी तरक्की तभी हो सकती है जब कि हम मिलजुल कर काम करें और ऐसे रहनुमा पैदा करें जिससे कि हमारे देश का मस्तक ऊंचा हो। अबसे 20 साल पहले हमारा हिन्दुस्तान दुनिया के देशों में पांचवें नम्बर पर था, मगर आज वह इतना पसमांदा हो चका है दूसरों के हाथों बिक चुका है कि आज 122वां नम्बर है। यह हमारी बदकिस्मती है :—

"अगर रहेगी हवायें यूं ही जमाने की,
न खैर होगी चमन की, न आशियाने की"

दोस्तों, मुझे और आपको मिल कर सोचना होगा कि हमें यह देश और समाज कैसा बनाना है, इस हिन्दुस्तान को हम कैसा बनाना चाहते हैं। अगर हम हिन्दुस्तान को ऊपर उठाना चाहते हैं दुनियां की निगाहों में, इसकी तरक्की करना चाहते हैं और यहां के बसने वालों को अगर फलने-फूलने का मौका देना चाहते हैं तो हमें और आपको मिल-जुल कर इस देश के सुधार के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आपने इसको नहीं सोचा तो माफ फरमाइयेगा, जितने भी लोगों के जजबात हैं और असालात हैं एक दिन वह रंग लायेंगे और जमाने के हालात बदल कर आपको मजबूर कर देंगे कि आप अपनी कुर्सियों से हट जायं और दूसरों को काम करने का मौका दें। कांग्रेस ने अगर इस पर नहीं सोचा और बरसरे इक्तदार आयी है—ठीक है वह जिस तरह से भी आई है लेकिन कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिये। अगर कांग्रेस ने मुल्क की भलाई के लिये नहीं सोचा तो एक दिन मजबूर होकर जनता उसको हटा देगी और हुकूमत की ताकत दूसरों के हाथ में आयेगी।

श्री अयध्क्ष—

श्री मोहम्मद असलम। 15 मिनट समय में स्वयं बढ़ा सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अगर आपको कष्ट न हो तो थोड़ी देर और बैठ सकते हैं।

श्री मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)—

मैं बहुत मशकूर हूं आपका कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर जो उन्होंने 19 तारीख को यहां दिया था उसके समर्थन में कुछ अर्ज कर सकूं। मैं पहली मर्तबा ही इस असेम्बली में आया हूं।

(कोरम नहीं है कि आवाज)

श्री अध्यक्ष —

अब आप अपनी तकरीर अगले दिन जारी रखेंगे क्योंकि अभी किसी ने कोरम की बात कह दी। कोरम नहीं है। इसलिए अब हम उठते हैं और 26 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 8 मिनट पर मंगलवार, 26 मार्च, 1974 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
22 मार्च, 1974.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 214 पर)

संख्या 1392/ उन्तीस–आ0 व0–1–77 के0 ओ0-73

प्रेषक,

श्री पूरन चन्द्र पांडे,
आयुक्त एवं सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

खाद्य तथा रसद (आवश्यक वस्तुएं) अनुभाग–1

दिनांक लखनऊ, 28 फरवरी, 1974 ।

विषय—जिलावार मिट्टी के तेल का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या 10801/ उन्तीस-आ0 व01–77–के 0ओ–73, दिनांक 17 नवम्बर, 1973 के क्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि हाई स्पीड डीजल की अधिक मांग होने के कारण उत्तर प्रदेश के मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती करनी पड़ती है और फरवरी, 1974 के लिए भारत सरकार ने राज्य को 20,812 मी0 टन का कोटा आवंटित किया है। फलस्वरूप इससे अनुपात में जिलों के कोटे में कटौती करनी आवश्यक हो गई है। इस दृष्टि से जिलों के कोटे में परिवर्तन कर दिया गया है जिसकी एक सूची संलग्न है।

2—अनुरोध है कि आप कृपया अपने जिले में मिट्टी के तेल का वितरण वर्तमान शासनादेशों के अनुसार सुचारु रूप से करायें ।

भवदीय,
पूरन चन्द पांडे,
आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या 1392 (1)/ उन्तीस–आ0 व0–1–77 के0 ओ0-73

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

2—खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

3—समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

4—डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इण्डियल आयल कारपोरेशन लि0 (मार्केटिंग डिवीजन), 15 बी हैमिल्टन रोड, इलाहाबाद/35 कमला नेहरू मार्ग, सिविल लाइन्स, बरेली/इंडियन आयल भवन, जनपथ, नई दिल्ली/ए-34, निराला नगर, लखनऊ ।

5—डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बर्मा शैल लि0, लखनऊ/एस्सो स्टैन्डर्ड ईस्टर्न क0, लखनऊ/कालटैक्स इण्डिया लि0, लखनऊ ।

6—श्री बी० पी० मलिक, आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी, इन्डियन आयल कारपोरेशन लि० (मार्केटिंग डिवीजन), ए-34, निरालानगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त आवंटन के आधार पर जिलों में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दें ।

आज्ञा से,
पूरन चन्द्र पांडे,
आयुक्त एवं सचिव ।

फरवरी 1974 से उत्तर प्रदेश के जिलों का मिट्टी के तेल का आवंटन

क्रम-सं०	जिला	आवंटन किलो-लीटर में	क्रम-सं०	जिला	आवंटन किलो-लीटर में
1	कानपुर	1,700	28	बिजनौर	325
2	आगरा	1,100	29	बुलन्दशहर	650
3	वाराणसी	1,300	30	चमोली	150
4	इलाहाबाद	1,000	31	देवरिया	575
5	लखनऊ	1,150	32	एटा	300
6	अलीगढ़	500	33	इटावा	400
7	बरेली	600	34	फतेहपुर	250
8	देहरादून	500	35	फर्रुखाबाद	350
9	फैजाबाद	500	36	गोंडा	425
10	गोरखपुर	500	37	गाजीपुर	325
11	झांसी	600	38	गढ़वाल	150
12	मुरादाबाद	800	39	हमीरपुर	300
13	मथुरा	450	40	हरदोई	325
14	मेरठ	1,200	41	जालौन	350
15	मुजफ्फरनगर	800	42	जौनपुर	525
16	मिर्जापुर	450	43	खीरी	375
17	नैनीताल	500	44	मैनपुरी	250
18	रामपुर	600	45	पीलीभीत	250
19	सहारनपुर	625	46	प्रतापगढ़	275
20	आजमगढ़	600	47	पिथौरागढ़	150
21	अल्मोड़ा	200	48	रायबरेली	325
22	बदायूं	250	49	शाहजहांपुर	300
23	बाराबंकी	450	50	सीतापुर	375
24	बलिया	500	51	सुल्तानपुर	300
25	बस्ती	250	52	उत्तर काशी	125
26	बहराइच	325	53	टेहरी-गढ़वाल	150
27	बांदा	350	54	उन्नाव	350

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ 231 पर)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के कल्याण की प्रोन्नति के निमित्त एक निधि स्थापित करने और उसके प्रवर्तन करने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषायें

2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में—

(क) "अधिवक्ता" का तात्पर्य स्टेट बार काउंसिल की नामावली में नाम निर्दिष्ट एडवोकेट से है;

(ख) "स्टेट बार काउंसिल" का तात्पर्य एडवोकेट्स ऐक्ट, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल से है;

(ग) "निधि" का तात्पर्य धारा 3 में निर्दिष्ट निधि से है;

(घ) "न्यासी समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित समिति से है ।

(घ) "न्यासी समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित समिति से है ।

निधि का उद्देश्य

3—(1) सामान्य लोक उपयोगिता के निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक ऐसी निधि के सम्बन्ध में, जिसका गठन एतत्पश्चात् की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायगा, और जिसे उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि कहा जायेगा, एक पूर्व न्यास का सृजन किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) साठ वर्ष की आयु तक के अधिवक्ताओं के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम से सामूहिक बीमा की पालिसी लेना;

(ख) जिला बार एसोसियेशनों के लिए हालों तथा पुस्तकालयों के लिए भवनों की तथा कैन्टीन एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, अथवा ऐसी व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ जिला बार एसोसियेशन को अभिदान करना;

(ग) आवश्यकता प्राप्त अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अन्य योजनाओं को आयोजित करना; और

(घ) ऐसे अन्य उद्देश्य, न्यासी, समिति की राय में, अधिवक्ताओं की कार्यदशा तथा सुविधाओं में सुधार हो ।

(2) निधि, में निम्नलिखित धनराशियां होंगी —

(क) धारा 4 के अधीन उसे अन्तरित सभी धनराशियां;

(ख) स्टेट बार काउंसिल द्वारा दिये गये सभी अभिदान;

(ग) किसी अधिवक्ता द्वारा निधि में स्वेच्छा से दिया गया दान या अभिदान, जिसके अन्तर्गत सामूहिक जीवन बीमा की पालिसी के अधीन, किसी बीमाकृत अधिवक्ता की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई धनराशि भी है जहां ऐसे अधिवक्ता ने न्यासी समिति को ऐसा व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किया है जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दिशा में पालिसी द्वारा सुरक्षित धनराशि का भुगतान किया जायगा ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा निधि को दिया गया कोई अनुदान;

(ङ) धारा 5 के अधीन उधार ली गयी कोई धनराशि;

(च) अधिवक्ताओं के सामूहिक जीवन बीमा की पालिसी के सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई लाभ अथवा लाभांश; और

(छ) निधि के किसी भाग के सम्बन्ध में किये गये किसी विनियोजन पर कोई ब्याज या लाभांश अथवा अन्य प्रतिलाभ ।

(3) निधि एक ऐसी न्यासी समिति में निहित होगी और उसके द्वारा धृत तथा प्रबन्धित होगी जिसका नाम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति होगा और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, पदेन, जो अध्यक्ष होंगे;

(ख) अध्यक्ष, स्टेट बार काउंसिल पदेन, अथवा यदि उक्त पद तत्समय महाधिवक्ता द्वारा धृत हो, तो स्टेट बार काउंसिल द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिवक्ता; और

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग, पदेन, जो सदस्य-सचिव होगा ।

(4) उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा, किन्तु वह किसी भी समय अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है ।

(5) न्यासी समिति उपयुक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे सम्पत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(6) न्यासी समिति के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से कि उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई दोष है, न तो कोई आपत्ति की जायगी और न उसे अविधिमान्य समझा जायगा ।

कतिपय धन का निधि में अन्तरण

4—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्ति शीघ्र, स्टेट बार काउंसिल के पास अधिवक्ताओं द्वारा भर्ती के प्रमाण पत्रों पर दिये गए स्टाम्प शुल्क के मद्दे जमा धनराशि तथा उस पर वास्तविक रूप से अर्जित ब्याज की धनराशि के समकक्ष धनराशि, उसके द्वारा निधि में जमा कर दी जायेगी और निधि में जमा की जायेगी और निधि में इस प्रकार जमा होने पर स्टेट बार काउंसिल उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रति अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगी ।

वित्तीय उपबन्ध

5—(1) न्यासी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित धनराशियां समय-समय पर उधार ले सकती है।

(2) निधि का धन किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जा सकता है अथवा न्यासी समिति द्वारा किसी ऐसे निगम को, जो राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में हो, ऋण अथवा अग्रिम धन के रूप में, अथवा ऐसी अन्य रीति से जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निदेश दे, विनियोजित किया जा सकता है।

(3) निधि एक स्थानीय निधि समझी जायगी और उसकी सम्परीक्षा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी।

संलेख आदि का निष्पादन तथा अधि-प्रमाणीकरण आदि

6—न्यासी समिति द्वारा लिये गये तथा निष्पादित सभी निर्णय तथा संलेख सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जा सकते हैं, जिन्हें उक्त समिति की ओर से किसी बैंक लेखे का प्रचलन करने की भी शक्ति होगी।

निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

7—राज्य सरकार न्यासी समिति को, समय-समय पर, ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हों, और ऐसे निदेशों का पालन करना न्यासी समिति का कर्त्तव्य होगा।

निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, 1974

8—(1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अध्यादेश, 1974 एतद्-द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानों यह अधिनियम 20 जनवरी, 1974 को प्रवृत्त हो गया था।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

उद्देश्य और कारण

प्रत्येक अधिवक्ता के भर्ती के प्रमाण-पत्र के लिए 500 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगाया गया था जो बाद में कम करके 250 रुपए कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल ने इस करारोपण की वैधता को चुनौती दी थी किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इसका वैधता की पुष्टि की। मामले के विचाराधीन रहने की अवधि में, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन स्टाम्प शुल्क के रूप में देय धन स्टेट बार काउंसिल द्वारा नकद वसूल किया गया और एक अलग खाते में जमा कर दिया गया। इस मामले में सरकार के जीत जाने के बाद यह धन स्टेट बार काउंसिल द्वारा सरकार को देय हो गया। तथापि सरकार ने अनुभव किया कि यह न्याय संगत और उचित होगा कि इस संचित धनराशि का उपयोग विशेषतः अधिवक्ताओं के कल्याण के प्रयोजनों, जिसके अन्तर्गत अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा भी है, के लिए किया जाय। तदनुसार, सरकार ने एक ऐसा ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया जिसमें उक्त धनराशि, स्टेट बार काउंसिल से प्राप्त होने के बाद निहित हो जायेगी।

2—चूंकि राज्य विधान मंडल सूत्र में नहीं था, अतएव निर्दिष्ट लोपोपयोगी उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त कानूनी ट्रस्ट के सृजन के लिये अध्यादेश प्रख्यापित किया गया।

3—तदनुसार, यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पूर्व पुरःस्थापित किया जाता है।

राज मंगल पांडेय
न्याय मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ग"

(देखिए पीछे पृष्ठ 231 पर)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 1974

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

अधिनियम संख्या 19, 1950 की धारा 4 में संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 म—

(1) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(6) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रुपए की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी ।"

(2) पार्श्व शीर्षक में शब्द "दस करोड़ रुपए की एक और धनराशि" तथा "शब्द का निकाला जाना" के बीच में शब्द "तथा दस करोड़ रुपये की एक और धनराशि" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 1974 का निरसन तथा अपवाद ।

3—(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया काय समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था ।

उद्देश्य और कारण

इस समय राज्य आकस्मिकता निधि की सीमा तीस करोड़ रुपए है जो राज्य के आवश्यक तथा अप्रत्याशित व्ययक को विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः दस करोड़ रुपए की और धनराशि इस निधि में जमा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 प्रख्यापित किया गया। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी

वित्त मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०पू०पी०—ए०पी०-20 वि० सभा—(433)—1974—835।